



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2013/माघ 29, 1934

No. 51]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2013/MAGHA 29, 1934

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 16 फरवरी, 2013

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(निवेश) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2013

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./आरईजी/16/74/2013.— धारा 27ए, 27बी, 27डी और बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), प्राधिकरण के 114ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के साथ विचार-विमर्श में निम्नलिखित विनियमों में आगे संशोधन करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000, 16 अगस्त, 2000 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया और भारत के राजपत्र में मई 2001 को संशोधित किया है, आगे 2 अप्रैल, 2002 को भारत के राजपत्र में संशोधन किया है और आगे में संशोधन 5 जनवरी, 2004 और आगे 31 जुलाई, 2008 को संशोधन किया है और आगे 8 फरवरी, 2013 में संशोधन पर अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

1. (1) इन नियमों को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2013 कहा जा सकता है।
- (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख पर बल में आ जाएगा।

2. "निवेश की संपत्ति" की परिभाषा के संशोधन :

नियमन 2 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"परिभाषाएँ :

2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) 'अधिनियम'

(ख) निवेश आय, बिक्री पर लाभ मौजूदा निवेश और परिचालन अधिशेष/मोचन "धन की अभिवृद्धि" का अर्थ है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभाव में आ जाएगा

## 2. विनियम 2 में संशोधन:

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 2 निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

### "परिभाषाएँ"

2 इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम"-बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4)

(ख) "धन की अभिवृद्धि" का अर्थ है निवेश पर आय, मौजूदा निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ और परिचालन अधिशेष;

(ग) "लेखा मानक"(एएस) का अर्थ है लेखा मानक के रूप में भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा सिफारिश की है और कंपनी अधिनियम 1956 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित, या किसी भी उत्तराधिकारी अधिनियमन के अधीन बनाए गए लेखा मानक;

(घ) "प्राधिकरण" का अर्थ है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उप - धारा (1) (1999 का 41) के तहत स्थापित बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण;

(ङ) "वित्तीय संजात का अर्थ है व्युत्पन्न के रूप में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के धारा(एए) के तहत परिभाषित और अंतर्निहित एक अनुबंध है जो अपने मूल्य, ऋण प्रतिभूतियों और इस तरह के अन्य व्युत्पन्न अनुबंध में अंतर्निहित की ब्याज दरों जो कि प्राधिकरण द्वारा समय - समय पर निर्धारित किया जा सकता है, से प्राप्त किया जा सकता है;

(च) "समूह" का अर्थ है: दो या दो से अधिक व्यक्तियों, व्यक्तियों का संघ, कंपनियों, ट्रस्टों, न्यासी, या कॉर्पोरेट निकायों, या उसके किसी संयोजन है, जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से (एएस) 2 में परिभाषित किसी अन्य संघ, कॉर्पोरेट निकाय, संस्था और न्यास और (ii) व्यक्तियों का संघ जोकि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित और समय - समय इन नियमों के तहत निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार, उनके ऊपर पर महत्वपूर्ण प्रभाव और / नियंत्रण, आम ब्रांड नाम का उपयोग करते हैं या उपयोग की स्थिति में होने के लिए अथवा स्थापित किया जाता है;

(छ) "निवेश की संपत्ति" का अर्थ है निम्नलिखित में से किया गया निवेश

(1) एक जीवन बीमा कंपनी के मामले में:

- (क) सॉल्वेंसी मार्जिन, गैर - यूनिट लिंकड बीमा कारोबार का गैर - यूनिट रिज़र्व, पॉलिसीधारकों का भागीदारी गैर भागीदारी फंड प्रचलित मूल्य के आधार पर प्रतिनिधित्व करने के अनुसार शेयरधारकों के धन;
- (ख) प्रचलित मूल्य के आधार पर पॉलिसीधारकों के धन, पेंशन, वार्षिकी व्यापार और समूह व्यापार;
- (ग) पॉलिसीधारकों के यूनिट लिंकड बीमा कारोबार के यूनिट रिज़र्व उनके बाजार मूल्य पर जो कि इन नियमों के तहत समय समय पर जारी किए गए दिशा - निर्देशों के अनुसार।

(2) एक जनरल बीमा कंपनी के मामले में:

- (क) सॉल्वेंसी मार्जिन और प्रचलित मूल्य पर पॉलिसीधारक फंड के आधार पर प्रतिनिधित्व शेयरधारकों का धन के रूप में बैलेंस शीट दिखाया गया हो जोकि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों की वित्तीय वक्तव्यों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयारी) विनियम, 2000, लेकिन विविध व्यय शीर्षक में प्रदर्शित मदों को छोड़कर।

(ज) मुद्रा बाजार के उपकरण

मुद्रा बाजार के साधन में लघु अवधि के फंड जिनकी परिपक्वता अवधि एक साल से अधिक एक साल से अधिक नहीं हो, समावेश करना होगा:

समावेश उपकरणों निम्नलिखित हैं :

1. सेबी (क्रेडिट मूल्यांकन किया आईएनजी एजेंसियां) के तहत पंजीकृत एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा मूल्यांकन जमा के प्रमाणपत्र, 1999;
  2. वाणिज्यिक सेबी (क्रेडिट मूल्यांकन किया आईएनजी एजेंसियां) के तहत पंजीकृत एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटेड कागज, 1999;
  3. रेपो, रिवर्स रेपो
  4. कोषागार बिल
  5. कॉल, सूचना, मीयादी मुद्रा
  6. इन नियमों की अनुसूचियों I तथा II के अनुसार सीबीएलओ.
  7. कोई अन्य उपकरण के रूप में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है
- (झ) "प्रमोटर" का अर्थ है आईआरडीए के 2 के तहत (एम) (पूंजी की जीवन बीमा कंपनियों द्वारा जारी) विनियम 2011 के तहत नियम 2(एम) में परिभाषित प्रमोटर है

(ज) "प्रधान अधिकारी" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति को एक बीमा कंपनी के प्रबंधन के साथ जुड़ा हुआ है या कोई अन्य व्यक्ति जिसे प्राधिकरण द्वारा मान्यता देते कोई नोटिस दिया गया होगा.

यहाँ इन विनियमों में अपरिभाषित परंतु बीमा अधिनियम, 1938 अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ क्रमशः वही होंगे जो उन अधिनियमों में उनके लिए निर्दिष्ट किये गये हैं।

3. विनियमन 3 के संशोधन:

3 विनियमन 3 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"निवेश का विनियमन"

3. एक जीवन बीमा कंपनी, इन नियमों के उद्देश्य के लिए निवेश, और हर समय में निवेश रखने के लिए करते हैं, निवेश नियंत्रित फंड का हिस्सा बनाने के रूप में नीचे के रूप में अधिनियम की धारा 27ए में परिभाषित आस्तियाँ:

क. जीवन बीमा कारोबार के सभी धन और एक साल अक्षय शुद्ध समूह अवधि बीमा व्यवसाय (और्वाईआरजीटीए), और गैर इकाई भंडार यूनिट लिंकड जीवन बीमा व्यापार की सभी श्रेणियों के, 4 विनियमन के प्रति के रूप में

ख. पेंशन वार्षिकी, और समूह व्यापार के सभी धन के रूप में [5 नियमन के अनुसार 2 विनियमन (घ) के आईआरडीए (बीमांकिक रिपोर्ट और सार) विनियम, 2000 के तहत परिभाषित], और

ग. इकाई 6 विनियमन प्रति यूनिट लिंकड धन की सभी श्रेणियों के हिस्से के रूप में सुरक्षित रखता है "

4. नई विनियमन 4 सम्मिलित करें:

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के लिए निम्नलिखित नई विनियमन 4 सम्मिलित करें: -

"4 27 धारा या 27ए अधिनियम के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हर जीवन बीमा के कारोबार पर बीमाकर्ता कंपनी के निवेश, और विनियमन 3 (क) में सभी समय पर अपने निवेश की संपत्ति के निवेश के रूप में परिभाषित रखना (करेगा, पेंशन से संबंधित धनराशि के अलावा अन्य और जनरल वार्षिकी और समूह व्यापार यूनिट और यूनिट लिंकड व्यापार के सभी निम्नलिखित तरीके में) श्रेणियों के भंडार:

संख्या	निवेश के प्रकार	धन के लिए प्रतिशत नियमन 3 (क) के तहत के रूप में
(i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों	25% से कम नहीं
(ii)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों	50% से कम नहीं (उपर्युक्त (I) सहित)
(iii)	निवेश स्वीकृत अधिनियम की धारा 27ए और अन्य निवेश के रूप में निर्दिष्ट 27ए अधिनियम की धारा (2) में निर्दिष्ट के रूप में है और मैं इन नियमों का कार्यक्रम तय करने के लिए के लिए, (सभी एक साथ लिया गया है) के रूप में 9 नियमन में निर्दिष्ट एक्सपोजर / विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन:	50% से अधिक नहीं
(iv)	अन्य निवेश के रूप में अधिनियम की धारा 27ए (2) के तहत निर्दिष्ट, रूप में 9 विनियमन में निर्दिष्ट एक्सपोजर / विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन:	15% से अधिक नहीं
(v)	<p>आवास और बुनियादी ढांचे में अंशदान या की खरीद के रूप में निवेश:</p> <p><b>ए हाउसिंग में निवेश</b></p> <p>क. / हडको और राष्ट्रीय आवास बैंक के बांड डिबेंचर</p> <p>ख. हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की या तो विधिवत राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त है, घर के निर्माण गतिविधियों के लिए, या सरकार द्वारा विधिवत गारंटी या सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों) 1999 के तहत पंजीकृत एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा 'एए' से कम नहीं की वर्तमान रेटिंग ले / बांड डिबेंचर ,</p> <p>ग. अंतर्निहित आवास ऋण के साथ आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों, इन नियमों के तहत समय - समय पर जारी दिशा - निर्देशों में</p>	<p>आवास और बुनियादी ढांचे में कुल निवेश उपर्युक्त हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (यानी,) सभी श्रेणियों (i), (ii) (iii) और (iv) में निवेश शामिल होगा 3 नियमन 3 ए के अनुसार निधि का 15% से कम नहीं होना चाहिए</p>

संख्या	निवेश के प्रकार	धन के लिए प्रतिशत नियमन 3 (क) के तहत के रूप में
	<p>विनिर्दिष्ट मानदंडों को संतोषजनक का अनुसरण होना चाहिए.</p> <p>बी बुनियादी ढांचे में निवेश</p> <p>(स्पष्टीकरण: सदस्यता या बांड / डिबेंचरों, इक्विटी और अंतर्निहित बुनियादी ढांचे की संपत्ति के साथ परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियों की खरीद इस आवश्यकता के प्रयोजन के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे.</p> <p>'इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा' अर्थ है के रूप में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के 2 विनियमन संशोधन (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2008 के धारा (ज) के रूप में दी समय - समय पर संशोधन</p> <p>नोट: उपर्युक्त श्रेणी (i) और (ii) के तहत किए गए निवेश आवास और बुनियादी ढांचे में निवेश के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते संबंधित सरकार ऐसी प्रतिभूति जारी करे जोकि विशेष रूप से बुनियादी सुविधा 'के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्रों में से किसी की जरूरतों को पूरा कर सके,</p>	

5. नई विनियमन 5 डालें:

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के लिए निम्नलिखित नई विनियमन 5 सम्मिलित करें: -

"5. अधिनियम की धारा 27 या 27ए प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हर पेंशन वार्षिकी, और समूह व्यापार पर बीमाकर्ता कंपनी के रूप में [2 विनियमन (घ) के आईआरडीए (बीमांकिक रिपोर्ट और सार) विनियम, 2000 के तहत परिभाषित] निवेश और सब पर होगा बार रखने के लिए

निम्नलिखित तरीके से उसकी पेंशन वार्षिकी, और समूह के कारोबार के निवेश की संपत्ति का निवेश:

संख्या	निवेश के प्रकार	नियमन 3 के तहत धन के लिए प्रतिशत (ख)
(i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों	20% कम से कम नहीं
(ii)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों	40% कम से कम नहीं (उपर्युक्त (I) सहित)
(iii)	स्वीकृत निवेश में निवेश किया जाना शेष है, में अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाता है, के रूप में 9 विनियमन में निर्दिष्ट एक्सपोजर / विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन.	60% से अधिक नहीं

नोट: इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए कोई 'अन्य निवेश के रूप में अधिनियम की 27ए (2) के तहत निर्दिष्ट के अंतर्गत पड़ने निवेश किया जाएगा "

#### 6. नई विनियमन 6 सम्मिलित करें:

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के लिए निम्नलिखित नई विनियमन 6 सम्मिलित करें: -

"6 यूनिट बीमा कारोबार लिंकड: हर बीमा कंपनी निवेश और सभी समय पर 3 विनियमन (ग) के तहत अपने अलग कोष (ओं) का निवेश रखने संरक्षक स्तर पर अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ लिंक बिजनेस यूनिट के प्रति निवेश के पैटर्न के लिए की पेशकश के रूप में करेगा और नीति धारकों जहां इकाइयों संपत्ति है जो दोनों विक्रेय और सरलता से वसूली योग्य है की श्रेणियों के लिए जुड़े हुए हैं के द्वारा अनुमोदित है. हालांकि स्वीकृत निवेश में निवेश ऐसे कोष (ओं) के कम से कम 75% ऐसे प्रत्येक अलग फंड में नहीं होगा. "

#### 7. विनियमन 4 संशोधन:

विनियमन बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के 4, निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"निवेश का विनियमन

7 सामान्य बीमा व्यापार पूर्वाग्रह अधिनियम की धारा 27बी बिना हर जनरल बीमाकर्ता निवेश (आरोग्य बीमाकर्ता सहित) और सभी समय पर रखने के लिए नीचे निर्धारित तरीके में अपने निवेश की संपत्ति का निवेश करेगा:

संख्या	निवेश के प्रकार	निवेश की संपत्ति का प्रतिशत
(i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों	20% से कम नहीं
(ii)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों	30% से कम नहीं (उपर्युक्त (I) सहित)
(iii)	निवेश के रूप में स्वीकृत अधिनियम और अन्य निवेश की धारा 27बी में निर्दिष्ट अधिनियम और अनुसूची द्वितीय धारा 27बी (3) इन नियमों के लिए, (सभी एक साथ लिया गया है) के रूप में	70% से अधिक नहीं
(iv)	विनियमन 9 में निर्दिष्ट एक्सपोजर / विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन में निर्दिष्ट के रूप में:  अन्य निवेश रूप में 27बी अधिनियम की धारा (3) के तहत निर्दिष्ट, रूप में विनियमन 9 में निर्दिष्ट एक्सपोजर / विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन:	अधिक से अधिक 25%
(v)	आवास और राज्य सरकार को आवास और अग्निशमन उपकरणों लिए अंशदान या की खरीद के रास्ते से, ऋण:  ए हाउसिंग में निवेश  क. हडको द्वारा जारी बांड डिबेंचर, राष्ट्रीय आवास बैंक  ख. हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की या तो विधिवत राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त है, घर के निर्माण गतिविधियों के लिए, या सरकार द्वारा विधिवत गारंटी या सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए) 1999 के तहत पंजीकृत	आवास में कुल निवेश (यानी,) श्रेणियों में निवेश (i), (ii) (iii) और (iv) एक साथ लिया ऊपर निवेश एसेट्स के 5% से कम नहीं होगा.  इंफ्रास्ट्रक्चर में कुल निवेश (यानी,) श्रेणियों में निवेश (i),



संख्या	निवेश के प्रकार	निवेश की संपत्ति का प्रतिशत
	<p>एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा 'एए' से कम नहीं की वर्तमान रेटिंग ले / बांड डिबेंचर.</p> <p>ग. अंतर्निहित आवास ऋण के साथ आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों, इन नियमों के तहत समय - समय पर जारी दिशा - निर्देशों में विनिर्दिष्ट मानदंडों को संतोषजनक.</p> <p><b>बी इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश</b></p> <p>(स्पष्टीकरण: सदस्यता या बांड / डिबेंचरों, इक्विटी और अंतर्निहित बुनियादी ढांचे की संपत्ति के साथ परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियों की खरीद इस आवश्यकता के प्रयोजन के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे.</p> <p>'इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा' का अर्थ है के रूप में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के 2 विनियमन (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम (संशोधन), 2008 के धारा (ज) के रूप में दी समय - समय पर संशोधन किया जाएगा.</p> <p><b>नोट:</b> श्रेणी (i) और (ख) के ऊपर के तहत किए गए निवेश आवास या बुनियादी ढांचे में निवेश के रूप में माना जा सकता है, जैसा भी मामला हो, संबंधित सरकार के मुद्दों में सुरक्षा प्रदान की विशेष रूप के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्रों में से किसी की जरूरतों को पूरा करने के 'बुनियादी सुविधा'</p>	<p>(ii) (iii) और (iv) एक साथ लिया ऊपर निवेश की संपत्ति 10% से कम नहीं होगा.</p>

66262/13-3

### 8. नई विनियमन 8 सम्मिलित करें:

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के लिए निम्नलिखित नई विनियमन 8 सम्मिलित करें: -

8 पुनर्बीमा व्यापार हर पुनर्बीमाकर्ता भारत में पुनर्बीमा व्यापार पर ले जाने का निवेश और हर समय निवेश में एक ही तरीके से अपने निवेश की संपत्ति रखने के रूप में 7 नियमन में स्थापित करेगा

### 9. नोट का संशोधन विनियमन 4 के अंत में संलग्न:

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 विनियमन 4 के अंत में संलग्न नोट, निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

#### : विनियम 3 से 8के प्रयोजन के लिए नोट

1. संपत्ति या उपकरणों, जो बाजार अभ्यास के प्रति के रूप में मूल्यांकन किया जा रहा है में सक्षम हैं में सभी निवेश, ऐसी संपत्ति या उपकरणों की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर किया जाएगा. अनुमोदित नहीं निवेश उपकरणों में किया जाएगा, अगर इस तरह के उपकरणों रेटेड सक्षम हैं, लेकिन रेटेड नहीं कर रहे हैं
2. दर्जा सेबी (क्रेडिट मूल्यांकन किया आईएनजी एजेंसियां) के तहत पंजीकृत एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए, 1999
3. कॉर्पोरेट बॉन्ड या डिबेंचर ए.ए. से कम नहीं है या अपने समकक्ष और पी 1 या अल्पावधि बांड, डिबेंचर, जमा और वाणिज्यिक पत्र का प्रमाण पत्र, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा, सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए) के तहत पंजीकृत है, 1999 के लिए बराबर रेटिंग होगा रेटेड 'के रूप में स्वीकृत 'निवेश माना जाता है
4. एक अखिल भारतीय वित्तीय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस तरह के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा जारी ऋण साधन की रेटिंग 'एए' या बराबर रेटिंग का होगा. इस ग्रेड के मामले में निवेश निवेश बीमा कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं और निवेश बीमा कंपनी की निवेश समिति के रूप में उसी के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, तो, के लिए कारणों निवेश समिति की मिनट में दर्ज करने के लिए, निवेश समिति 'ए+' या समकक्ष के रूप में एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सेबी के तहत पंजीकृत (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) विनियम, 1999 के द्वारा किए गये मूल्यांकन की तुलना में कम नहीं की वर्तमान रेटिंग ले उपकरणों में निवेश को अनुमोदित कर सकते हो, 'के रूप में स्वीकृत निवेश' माना जाता है

5. नियमों, 4, 5, 6, 7 और 8 के तहत स्वीकृत निवेश जो निर्धारित न्यूनतम रेटिंग से डाउनग्रेड कर रहे हैं स्वचालित रूप से 'निवेश' के तहत निवेश के पैटर्न के उद्देश्य के "अन्य निवेश श्रेणी" के लिए फिर से वर्गीकृत किया जाना चाहिए
6. एक पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश सक्रिय रूप से कारोबार और तरल उपकरणों अर्थात् में बनाया जाना चाहिए, इक्विटी के रूप में परिभाषित किया उन लोगों की तुलना में अन्य शेयरों बारीकी सेबी नियमों और दिशा निर्देशों के बारे में समय के लिए समय से आपसी धन में सेबी द्वारा निर्गत शासी प्रति के रूप में कारोबार
- 7 (क), मामले का जीवन बीमा कंपनी (केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों सहित) में ऋण उपकरणों में निवेश के 75% से कम नहीं है और ऋण उपकरणों में निवेश का कम से कम 65% (केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित सामान्य बीमा कंपनी के मामले में राज्य सरकार की प्रतिभूतियों या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों) संप्रभु ऋण, दीर्घकालिक और संप्रभु ऋण, पी1 + या अल्पावधि उपकरणों के लिए बराबर के लिए एएए या समकक्ष रेटिंग में होगा. यह अलग कोष (ओं) यूनिट लिंकड व्यापार के मामले में लागू करेगा
- (ख) 5% से अधिक और 3 विनियमन (एक) और जीवन बीमा के मामले में ऋण उपकरणों (केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों सहित) में विनियमन 3 (ग) के तहत नहीं % (केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों सहित) सामान्य बीमा कंपनी के मामले में ऋण उपकरणों में निवेश की लंबी अवधि के लिए एक या नीचे या समकक्ष रेटिंग के एक दर्जा करेगा
- (ख) (ग) नहीं निवेश 3 नियमन के तहत धन के अन्य निवेश में किया जा सकता है
- (घ) ऋण उपकरणों में निवेश ए.ए. रेटेड (ए.ए. ऋण) या नीचे अन्य निवेश के हिस्से के रूप में करेगा
8. इस बात पर बल दिया है कि रेटिंग बीमाकर्ता की ओर से उचित जोखिम विश्लेषण और प्रबंधन की जगह नहीं चाहिए. बीमाकर्ता का जोखिम विश्लेषण के अनुरूप उत्पाद की जटिलता (एस) और उनकी जोत के माद्दा आचरण करना चाहिए, या ओ ए सकता है इस तरह के निवेश से बचना

### 10. विनियमन 5 के संशोधन:

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियमन 5, निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

### 9. एक्सपोजर / विवेकपूर्ण मानदंड

27ए धारा और अधिनियम निम्न जोखिम मानदंडों के अनुसार हर बीमा कंपनी के रूप में अपने निवेश की सीमा होगा 27बी में निहित कुछ प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना:

ए के निवेश की संपत्ति के लिए एक्सपोजर मानदंडों:

1. (क) जीवन बीमा कारोबार के सभी धन और एक साल अक्षय शुद्ध समूह अवधि बीमा व्यवसाय (और्वाईआरजीटीए), और गैर इकाई भंडार यूनिट के सभी श्रेणियों के जीवन बीमा कारोबार से जुड़े
- (ख) पेंशन वार्षिकी, और समूह व्यापार के सभी धन के रूप में विनियमन 2(घ) के आईआरडीए (बीमांकिक रिपोर्ट और सार) विनियम, 2000 के तहत परिभाषित]
- (ग) इकाई भंडार यूनिट लिंकड धन की सभी श्रेणियों के भाग, विनियमन 6 के अनुसार "जीवन, पेंशन वार्षिकी, और समूह के कारोबार और यूनिट लिंकड बीमा कारोबार के भीतर प्रत्येक अलग फंड (प्रमोटर समूह जोखिम के लिए छोड़कर)
2. जनरल इश्योरेंस कारोबार,
3. पुन बीमा व्यापार

अधिनियम के अनुसार दोनों स्वीकृत निवेश के लिए अनुसूची, और में इन विनियमों की द्वितीय अनुसूची, और अन्य निवेश के रूप में 27ए (2) और अधिनियम की 27बी (3) के तहत अनुमति दी है के रूप में के तहत किया जाएगा.

ए 'निवेशी' कंपनी के लिए अधिकतम प्रदर्शन सीमा (इक्विटी, ऋण, और अन्य निवेश के साथ लिया) (ए.1.ए, ए.1.बी, ए.1.स सब एक साथ लिया बिंदु के तहत सभी निवेश की संपत्ति से बी ) (ए.2) और (ए.3) ऊपर उल्लेख किया है, निम्न में से कम से अधिक नहीं होगी;

- (i) विनियमन 2 (छ) (1), 2 विनियमन (छ) (2) के तहत निवेश की संपत्ति के 10% की एक राशि
- (ii) राशि का एक समग्र बिंदु (एक) के तहत गणना और (ख) निम्न तालिका

निवेश के प्रकार (1)	सीमा 'निवेशी' कंपनी के लिए (2)	निवेशी कंपनी के पूरेसमूह के लिए सीमा (3)	सीमा उद्योग क्षेत्र जो निवेशी कंपनी है के लिए (4)
क 'इक्विटी', वरीयता शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश.	10% * बकाया इक्विटी शेयरों (अंकित मूल्य) या जीवन बीमा कंपनियों के मामले में ए.1 (ए), ए.1. (बी), ए.1 (सी) (अलग माना जाता है.) बिंदु के तहत राशि का 10% सामान्य बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता के मामले ए.2 या ए.3 के तहत राशि का 10% अलग - जो भी कम हो	ए.1 बिंदु के तहत 15% से अधिक नहीं राशि का (एक) या ए.1. (ख) या ए.1. (ग) या निवेश की संपत्ति की ए.2 या ए.3 या 15% में सभी कंपनियों को समूह से संबंधित है, जो भी कम हो प्रमोटर ग्रुप से संबंधित कंपनियों में किए गए निवेश के संपर्क में नोटों के तहत 7 प्वाइंट के अनुसार किया जाएगा 9 नियमन करने के लिए बनाया	ए.1 बिंदु के तहत किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में बीमा कंपनी द्वारा निवेश राशि का 15% से अधिक नहीं हो (एक) या ए.1. (ख) या ए.1. या (ग) या ए.2 या ए.3 चाहिए. या निवेश परिसंपत्ति का 15%, जो भी कम हो  नोट: औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (सभी आर्थिक गतिविधियां) की तर्ज में वर्गीकृत किया जाएगा - 2008 [एनआईसी] क्षेत्र, बुनियादी ढांचा क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों के लिए एक्सपोजर आर से एकडिवीजन स्तर पर वित्तीय और बीमा गतिविधियों के लिए गणना की थी. जोखिम अनुभाग स्तर पर होगा.  'बुनियादी ढांचे' निवेश के लिए संपर्क करने के लिए नोट के अधीन हैं: 1, 2, 3, 4 और नीचे उल्लेख किया
ख/ ऋण ऋण में निवेश और / आइटम 'एक ऊपर से अन्य विनियमन अधिनियम के प्रति के रूप में किसी भी अन्य निवेश की अनुमति दी.	पेड - अप शेयर पूंजी, नि: शुल्क (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) भंडार और / 'निवेशी' कंपनी के बांड और डिबेंचर के 10% * या ए.1 बिंदु के तहत 10% राशि (एक) या ए.1. (ख) या ए.1. (ग) जीवन बीमा कंपनियों के मामले में अलग		

निवेश के प्रकार (1)	सीमा 'निवेशी' कंपनी के लिए (2)	निवेशी कंपनी के पूरेसमूह के लिए सीमा (3)	सीमा उद्योग क्षेत्र जो निवेशी कंपनी है के लिए (4)
	से विचार ऊपर. ए.2 या ए.3 के तहत सामान्य बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता के मामले में एक राशि जो भी कम है.		

\* 2 विनियमन (छ) (1) और 2 विनियमन (छ) उल्लेख आकार के तहत, (\*) उपरोक्त तालिका में चिह्नित सीमा (2) के अर्थ के भीतर इक्विटी में निवेश के लिए निवेश की संपत्ति होने बीमा कंपनियों के मामले में, वरीयता शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ऋण, ऋण या अधिनियम / नियमों के तहत किसी भी अन्य निवेश की अनुमति दी, नीचे के रूप में प्रतिस्थापित हो जाएगी:

निवेश संपत्ति	सीमा 'निवेशी' कंपनी के लिए	
	इक्विटी	ऋण
250000 करोड़ रुपए या उससे अधिक रुपये	बकाया इक्विटी शेयरों (अंकित मूल्य) के 15%	15% शेयर पूंजी का भुगतान, निर्बाध आरक्षित निधियां(पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) और / डिबेंचर, बांड
रु. 50000 करोड़ रुपए है, लेकिन रुपये से भी कम है. 250000 करोड़ रुपए	बकाया इक्विटी शेयरों (अंकित मूल्य) के 12%	12% शेयर पूंजी का भुगतान, निर्बाध आरक्षित निधियां(पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) और / डिबेंचर, बांड
रुपए से कम है. 50000 करोड़ रुपए	बकाया इक्विटी शेयरों (अंकित मूल्य) के 10%	10% शेयर पूंजी का भुगतान, निर्बाध आरक्षित निधियां(पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) और / डिबेंचर, बांड

**नोट:**

- 1 उद्योग क्षेत्र मानदंडों 'इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा क्षेत्र के रूप में आईआरडीए के 2 विनियमन (ज) (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के तहत परिभाषित के रूप में समय - समय पर संशोधन में किए गए निवेश के लिए लागू नहीं होगा. एनआईसी वर्गीकरण 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' सुविधा में किए गए निवेश के लिए लागू नहीं होगा
- 2 इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आईडीएफ) में निवेश, केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थित के रूप में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मामले के आधार पर एक मामले पर, बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए गिना किया जाएगा.
- 3 एक पब्लिक लिमिटेड 'इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेशी कंपनी' एकसपोजर बकाया इक्विटी शेयरों की इक्विटी के मामले में 20% (अंकित मूल्य) हो जाएगा (या) इक्विटी प्लस (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) निर्बाध आरक्षित निधियां प्लस डिबेंचर / एक साथ लिया बांड की 20% में ऋण राशि (या) के विनियमन 9 (बी) (i) के तहत मामला है, जो भी कम है. 20% ऊपर उल्लेख किया है, आगे एक अतिरिक्त 5% से बढ़ा जा सकता है, अकेले ऋण उपकरणों के मामले में निदेशक मंडल के पूर्व अनुमोदन के साथ. ऋण उपकरणों की बकाया अवधि, उपरोक्त तालिका में निर्धारित जोखिम से परे, एक बुनियादी सुविधाओं निवेशी कंपनी में निवेश के समय में 5 साल से कम नहीं होना चाहिए. इक्विटी निवेश, एक कॉर्पोरेट / पीएसयू को लागू नहीं होगी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के प्राथमिक जारी करने के मामले में लाभांश धारा (1) 27ए (एल) और (1) अधिनियम की 27बी (ज) के प्रति के रूप में ट्रैक रिकॉर्ड के मामले में होल्डिंग कंपनी है. लेकिन सभी एक 'बुनियादी ढांचे निवेशी कंपनी' में किए गए निवेश समूह / प्रवर्तक समूह जोखिम मानदंडों के अधीन किया जाएगा.
- 4 एक बीमा कंपनी है, निवेश के समय में, समूह / प्रवर्तक समूह ऋण मानदंड के अधीन कर सकते हैं, परियोजना लागत का 20% की एक अधिकतम (के रूप में एक सक्षम शरीर द्वारा निर्णय लिया गया है) एक पब्लिक लिमिटेड विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बुनियादी ढांचे में लगे निवेश क्षेत्र स्वीकृत प्रदान की निवेश के एक भाग के रूप में (या) विनियमन 9 (बी) (i), जो भी कम हो, के तहत राशि:

क. ऐसे निवेश ऋण में है

ख. मूल कंपनी पूरे बढ़ाया ऋण और एसपीवी के ब्याज के भुगतान की गारंटी देता है

ग. मूल या ब्याज में और यदि नियत तारीख के 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया है, इस तरह के ऋण अन्य निवेश के तहत वर्गीकृत किया जाएगा.

घ. मूल कंपनी (औ) के नवीनतम उपकरण ए.ए. रेटिंग से कम नहीं

- ड. यह गारंटी मूल कंपनी के निवल मूल्य के 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए मूल कंपनी के मौजूदा गारंटी सहित देता है यदि कोई हो,
- च. यदि मूल कंपनी असूचीगत है तो उसके निवल मूल्य 500 करोड़ रुपए रु से कम नहीं होगा. यदि मूल कंपनी (औ) राष्ट्रव्यापी टर्मिनलों 250 करोड़ रुपए (औ) के शुद्ध असूचीगत अगर, लायक रुपये से कम नहीं होगी. 500 करोड़ रुपए या जहां मूल कंपनी (औ) राष्ट्रव्यापी टर्मिनलों होने वा ला स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध है, तो उसके निवल मूल्य रुपए 50 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा.
- निवेश समिति को लगातार इस तरह के निवेश के जोखिम का मूल्यांकन करना चाहिए और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करे जहां मूल कंपनी (औ) एक से अधिक एसपीवी बनाया हुआ है
- 5 प्रतिभूतिकृत संपत्ति में निवेश [गिरवी समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) / परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस) / सुरक्षा प्राप्तियां (एसआर) दोनों अनुमोदित और अन्य निवेश की श्रेणी के अंतर्गत जीवन कंपनियों के मामले में निवेश की संपत्ति का 10% और गैर जीवन कंपनियों के मामले में निवेश संपत्ति का 5% से अधिक नहीं होगा. अंतर्निहित हाउसिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के साथ एमबीएस / एबीएस में स्वीकृत निवेश जीवन कंपनियों के मामले में निवेश की संपत्ति के 10% से अधिक नहीं हो और गैर - जीवन कंपनियों के मामले में अधिक से अधिक 5%. किसी भी अंतर्निहित संपत्ति आवास या बुनियादी सुविधाओं के साथ एमबीएस/एबीएस, अगर नीचे डाउनग्रेड एएए या समकक्ष अन्य निवेश के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा.
- 6 अधिनियम की धारा 27ए (1) (एन) के तहत अचल संपत्ति में निवेश के समय से अधिक के निवेश का समय नहीं है, निम्न का 5% से अधिक नहीं हो (क) सामान्य बीमा कंपनी के मामले में निवेश की संपत्ति और (ख) जीवन बीमा के मामले में पेंशन वार्षिकी, और समूह धन.
- 7 उपरोक्त तालिका में उल्लेखित जोखिम सीमा के अधीन रहते हुए, एक बीमा कंपनी सभी 'प्रमोटरों समूहों से संबंधित कंपनियों में अपने कुल निवेश का कुल में 5% से अधिक का निवेश नहीं होगा. सभी प्रमोटर समूह से संबंधित कंपनियों में किए गए निवेश की प्राइवेट प्लेसमेंट का रास्ता (इक्विटी) द्वारा या असूचीगत उपकरणों में नहीं बनाया जा सकता (जमा और सावधि जमाओं की इक्विटी, ऋण प्रमाणपत्र (27ए धारा (9) और धारा 27बी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना करेगा (10) अधिनियम के) एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में आयोजित), धारा (4) 27ए या अधिनियम की धारा 27बी (5) के तहत बीमा कंपनियों द्वारा गठित कंपनियों के लिए छोड़कर.



- 8 वित्तीय और बीमा गतिविधियों के लिए जोखिम सीमा (एनआईसी वर्गीकरण-2008 की धारा के रूप में ) के निवेश की संपत्ति के 25% में सभी बीमा कंपनियों के लिए खड़े होंगे.
- 9 27ए धारा (9) और अधिनियम की धारा 27बी (10) के प्रावधानों के संदर्भ में सावधि जमा और एक अनुसूचित बैंक की जमा के प्रमाण पत्र में निवेश किया जाएगा. वित्तीय और बीमा (- 2008 रूप में एनआईसी वर्गीकरण की धारा क प्रति) गतिविधियों के लिए जोखिम के रूप में इस तरह के निवेश को नहीं समझा जाएगा.

#### 7. विनियमन 6 के संशोधन:

विनियमन बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 का विनियमन 6, निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

#### 10 एक बीमा कंपनी के द्वारा प्रस्तुत रिटर्न

हर बीमा कंपनी ऐसे समय के भीतर प्राधिकरण को निम्न रिटर्न में विधिवत् सत्यापित / प्रमाणित ढंग से इंगित अंतराल पर प्रस्तुत करेगा.

नहीं	फॉर्म	विवरण	वापसी की आवर्तिता	प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा	सत्यापित / द्वारा प्रमाणित
1	फॉर्म 1	निवेश और निवेश पर आय का विवरण	त्रैमासिक	तिमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर	प्रधान अधिकारी / मुख्य (निवेश) / मुख्य (वित्त)
2	फॉर्म 2 (भाग ए, बी)	रेटेड उपकरण के डाउनग्रेड निवेश का विवरण, विवरण	त्रैमासिक	तिमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर	प्रधान अधिकारी / मुख्य (निवेश) / मुख्य (वित्त)
3	फॉर्म 3ए (भाग ए, बी, सी, डी, ई.)	निवेश एसेट्स (जीवन बीमा कंपनियों का विवरण)	त्रैमासिक	तिमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर	प्रधान अधिकारी / मुख्य (निवेश) / मुख्य (वित्त)
4	फॉर्म 3 बी (भाग ए, बी)	निवेश की संपत्ति का विवरण (जनरल इंश्योरेंस और पुनः बीमाकर्ता)	त्रैमासिक	तिमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर	प्रधान अधिकारी / मुख्य (निवेश) / मुख्य (वित्त)

नहीं	फॉर्म	विवरण	वापसी की आवर्तिता	प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा	सत्यापित / द्वारा प्रमाणित
5	4 फॉर्म (भाग ए)	एक्सपोजर / प्रूडेंशियल और अन्य निवेश मानदंड - अनुपालन प्रमाणपत्र	त्रैमासिक	तिमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर	प्रधान अधिकारी / मुख्य (निवेश) / मुख्य (वित्त)
6	4 फॉर्म (भाग बी)	निवेश जोखिम प्रबंधन सिस्टम पर आंतरिक / समवर्ती लेखा परीक्षकों प्रमाणपत्र - कार्यान्वयन स्थिति	त्रैमासिक	तिमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर	आंतरिक / समवर्ती लेखा परीक्षक इस विनियमन के तहत नियुक्त
7	4ए फॉर्म (भाग ए, बी, सी)	निवेश ऋण मानदंड विषय का विवरण - निवेशी कंपनी, समूह, ने प्रमोटर ग्रुप, उद्योग क्षेत्र	त्रैमासिक	तिमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर	प्रधान अधिकारी / मुख्य (निवेश) / के मुख्य (वित्त)
8	फार्म 5	निवेश सुलह का विवरण	त्रैमासिक	तिमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर	प्रधान अधिकारी / मुख्य (निवेश) / के मुख्य (वित्त)
9	फॉर्म 5ए	म्यूचुअल फंड में निवेश का विवरण	त्रैमासिक	तिमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर	प्रधान अधिकारी / मुख्य (निवेश) / के मुख्य (वित्त)
10	फार्म 6	28 (2), 28 (2 बी) और बीमा अधिनियम के 28b (3), 1938 धाराओं के तहत प्रमाण पत्र	त्रैमासिक	तिमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर	अध्यक्ष, निदेशक 1, 2 निदेशक, प्रधान अधिकारी
11	7 फॉर्म	गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का	त्रैमासिक	तिमाही के अंत के 30 दिनों के	प्रधान अधिकारी / मुख्य (निवेश) /

नहीं	फॉर्म	विवरण	वापसी की आवर्तिता	प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा	सत्यापित / द्वारा प्रमाणित
		विवरण		भीतर	के मुख्य (वित्त)

**नोट:**

1. आंतरिक समवर्ती बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के 'बहुत गंभीर', टिप्पणी, 'गंभीर' अंक (के रूप में बीमा कंपनियों के निवेश के कार्यों की आंतरिक / समवर्ती लेखापरीक्षा पर तकनीकी गाइड प्रति के साथ पिछली तिमाही की ऑडिट रिपोर्ट में है, द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में भारत के चार्टर्ड) लेखाकार, और लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति संस्थान मौजूदा तिमाही रिटर्न के साथ प्राधिकरण के साथ दायर की जाएगी
2. मार्च को समाप्त तिमाही के लिए सभी रिटर्न के आधार पर अनंतिम आंकड़े और बाद में फिर से निदेशक मंडल द्वारा अंकेक्षित खातों की गोद लेने के 15 दिनों के भीतर आंकड़ों के साथ प्रस्तुत ऊपर निर्धारित अवधि के भीतर दायर की जाएगी.

**8. विनियमन 7 के संशोधन:**

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियमन 7, निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

**11. अतिरिक्त जानकारी के लिए कॉल करने का अधिकार.**

अधिकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे तरीके, अंतराल और समय सीमा के रूप में उसमें विनिर्दिष्ट किया जा सकता है में बीमा कंपनियों में अन्य जानकारी से की आवश्यकता हो सकती है.

**9. विनियमन 8 के संशोधन:**

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियमन 8, निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

**12. निवेश पोर्टफोलियो को प्रभावित करने के लिए असाधारण घटनाओं की रिपोर्ट इ्यूटी.**

हर बीमा कंपनी प्राधिकरण झट, प्रभाव या किसी भी घटना के संभावित प्रभाव के अपने जान है, जो सामग्री निवेश पोर्टफोलियो पर और फलस्वरूप पॉलिसी - धारक लाभ या अपेक्षाओं की

सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है आने के लिए रिपोर्ट करेगा.

#### 10. विनियमन 9 के संशोधन:

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के नियमन 9, निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

#### 13 निवेश प्रबंधन पर प्रावधान

#### ए निवेश समिति के संविधान

1. हर बीमा कंपनी को एक निवेश समिति है जो बीमा कंपनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त, निवेश प्रभाग के प्रमुख, और जहाँ भी दो गैर - कार्यकारी निदेशक, एक नियुक्त मुंशी कार्यरत नियुक्त मुंशी की एक न्यूनतम से मिलकर बनेगी का गठन करेगा. निवेश समिति द्वारा लिए गए निर्णयों और दर्ज किया जाएगा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला हो.

#### बी निवेश नीति

1. हर बीमाकर्ता के आकर्षित, एक निवेश नीति (निधि यूनिट लिंक्ड बीमा व्यवसाय के मामले में विवेक आईपी) करेगा और उसके निदेशक मंडल से पहले अपने अनुमोदन और इसकी वार्षिक समीक्षा के लिए एक ही जगह.
2. हर बीमा कंपनी के आचरण के एक मॉडल कोड अंदरूनी सूत्र / अधिकारियों की व्यक्तिगत व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिषेध) सेबी नियमन, 1992 के साथ अनुपालन में निवेश संचालन के विभिन्न स्तरों में शामिल के रूप में समय - समय पर संशोधन को रोकने के लिए और अपने बोर्ड के समक्ष एक ही जगह होगा इसके अनुमोदन के लिए निदेशक.
3. जबकि निवेश नीति तैयार करने, बोर्ड निम्नलिखित के साथ अनुपालन सुनिश्चित करेगा:

- (1) तरलता से संबंधित मुद्दों, विवेकपूर्ण मानदंड, जोखिम सीमा, प्रतिभूति व्यापार, निवेश जोखिम का प्रबंधन, संपत्ति और देनदारियों बेमेल के प्रबंधन, निवेश और निवेश के आँकड़े के आंतरिक या समवर्ती लेखा परीक्षा के स्कोप और निवेश आपरेशनों के सभी अन्य आंतरिक नियंत्रण सहित नुकसान सीमा को रोकने के लिए, बीमा अधिनियम, 1938 और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के प्रावधानों, दिशानिर्देश और परिपत्र के तहत बनाया है.

(II) पॉलिसीधारक और शेयरधारकों के धन संरक्षण, सुरक्षा, और ऐसे कोष (ओं) की तरलता के साथ संगत पर पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करना.

4. दोनों के जीवन और गैर - जीवन बीमा कंपनियों के रूप में बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति निवेश समिति द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा. बोर्ड एक त्रैमासिक आधार पर निधि विवेक और उत्पाद प्रदर्शन विवेक की निगरानी की समीक्षा करेगा.
5. बोर्ड छमाही आधार पर या इस तरह के कम अंतराल पर निवेश नीति और इसके कार्यान्वयन की समीक्षा के रूप में यह फैसला और निवेश नीति के लिए इस तरह के संशोधन कर सकते हैं के रूप में करने के लिए यह निवेश के प्रावधानों के साथ लाइन में लाने के लिए आवश्यक है अधिनियम में निर्धारित करेगा और विनियमों के तहत बनाया है. 'पॉलिसीधारकों के हित में है और इन नियमों में या के यूनिट लिंकड बीमा व्यापार के मामले में पॉलिसीधारक के साथ में प्रवेश किया समझौते के मामले में निर्धारित निवेश के पैटर्न के मन संरक्षण में रखते हुए.

### सी. निवेश संचालन

1. बीमा कंपनी के धन और निवेश किया जाएगा इक्विटी शेयर, इक्विटी संबंधित उपकरणों और 3 विनियम नीचे प्रति नोट के रूप में मूल्यांकन किया गया ऋण उपकरणों में एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों) विनियम, 1999 के तहत पंजीकृत से 8 के लिए निवेश जारी रखा जाएगा. बोर्ड नीचे 'अन्य निवेश 27ए (2) और बीमा अधिनियम की 27बी (3), 1938 निवेश समिति द्वारा धाराओं के तहत निर्दिष्ट में निवेश करने के लिए स्पष्ट मानदंडों बनायेगी, खाते में पॉलिसीधारक धन की सुरक्षा और तरलता को ले और उनके हित के संरक्षण.
2. अध्याय द्वितीय, आईआरडीए के 7 विनियमन (ग) (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के तहत आवश्यक निवेश कार्य करता है और बीमा कंपनी के संचालन के उचित आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के स्पष्ट रूप से कार्य करता है और सामने के संचालन, मध्य और वापस कार्यालय अलग करेगा और कोई फ्रंट के अंतर्गत पड़ने समारोह, मध्य और वापस कार्यालय निवेश समारोह (के रूप में भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी बीमा कंपनियों के निवेश के कार्यों के आंतरिक / समवर्ती लेखापरीक्षा पर तकनीकी गाइड में प्रदान की) (एस), आउटसोर्स किया जाएगा. इसके अलावा, कंप्यूटर निवेश प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया आवेदन के प्राथमिक डेटा सर्वर देश के भीतर रहेगा.

### डी. प्रसंस्करण यूनिट लिंकड व्यावसायिक अनुप्रयोगों और एनएवी की घोषणा

1. प्रीमियम भुगतान, स्विच, मोचन, समर्पण, परिपक्वता दावे आदि के लिए प्राप्त आवेदनों सभी पर समय मुहर लगी और दिनांक होना चाहिए.

662 4713-6

## 2. "प्रीमियम भुगतान के लिए आवेदन

- क. स्थानीय चेक, एटीएम या मांग जगह है जहाँ प्रीमियम प्राप्त होता है पर सममूल्य पर देय ड्राफ्ट के साथ प्राप्त करने के बाद, एक दिन के कारोबार पर समय कट ऑफ (3.00 बजे) से पहले, अनुप्रयोगों के लिए, लागू एनएवी उसी दिन के बंद होने वाला एनएवी होगा .
- ख. स्थानीय चेक, एटीएम या जगह है जहाँ प्रीमियम प्राप्त होता है पर मांग के बाद एक दिन के कारोबार पर समय कट ऑफ (3.00 बजे) सममूल्य पर देय, मसौदा के साथ प्राप्त आवेदन के लिए लागू एनएवी अगले बंद होने वाला एनएवी होगा दिन के कारोबार.
- ग. के लिए एक आउटस्टेशन चेक या डिमांड ड्राफ्ट, जिस दिन चेक मांग / ड्राफ्ट का एहसास हो रहा है के बंद होने वाला एनएवी के साथ प्राप्त प्रीमियम को लागू किया जाएगा.

## 3. प्रीमियम के अलावा अन्य भुगतान के लिए आवेदन

- क. एक दिन के कारोबार पर समय कट ऑफ (3.00 बजे) से पहले प्राप्त आवेदनों के लिए लागू एनएवी उसी दिन के बंद होने वाला एनएवी होगा.
- ख. के बाद एक दिन के कारोबार पर समय कट ऑफ (3.00 बजे) प्राप्त आवेदनों के लिए लागू एनएवी अगले दिन के कारोबार के बंद होने वाला एनएवी होगा.

## 4. रोज / उत्पाद और फंड जानकारी के प्रकटीकरण सुलह

- क. हर बीमा कंपनी यूनिट लिंकड कारोबार कर रहा है, इस प्रणाली के माध्यम से सामंजस्य, प्रत्येक उत्पाद के तहत प्रीमियम (शुल्क और लाभ भुगतान की शुद्ध) (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर - यूआईएन) प्राप्त किया जाएगा और सभी अलग (ओं) निधि (जुदा फंड पहचान संख्या के मूल्य के साथ - एसएफआईएन फंड प्रबंधन शुल्क, दिन के आधार पर एक दिन पर एक एकल यूआईएन के तहत आयोजित की शुद्ध).
- ख. बीमाकर्ता यूआईएन विवेक सुलह (बिंदु से ऊपर एक के रूप में) का खुलासा करेगा और नीति विवेक बीमा कंपनियों वेबसाइट और दोनों बीमाकर्ता की वेबसाइट और जीवन परिषद की वेबसाइट पर निधि विवेक एनएवी (एसएफआईएन वार) पर पॉलिसीधारक द्वारा उसी पर आयोजित इकाइयों के मूल्य दिन.

ग. आंतरिक / समवर्ती लेखा परीक्षक स्वचालित प्रणाली और प्रक्रिया यूआईएन विवेक सुलह संभाल (बिंदु 'एक' के ऊपर) और नीति विवेक पॉलिसीधारक और निधि विवेक एनएवी द्वारा आयोजित इकाइयों के मूल्य पर एक त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट करेगा

**5. अनुप्रयोगों के लिए लागू एनएवी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन के कारोबार पर प्राप्त**

क. के लिए वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर 3:00 तक प्राप्त आवेदनों में पिछले दिन के कारोबार के एनएवी (ध्यान दिए बिना अगर भुगतान साधन स्थानीय या बाह्य) के साथ कार्रवाई की जाएगी

ख. पिछले दिन के कारोबार पर 3.00 बजे के बाद प्राप्त आवेदनों के लिए, एक ही अगले वित्तीय और तत्काल अगले दिन के कारोबार के वर्ष एनएवी लागू होगा में गिर जाएगा.

ग. बीमा कंपनी को एक वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन के कारोबार के लिए एनएवी की घोषणा करेगा, भले ही वह एक गैर व्यावसायिक दिन.

**6. इकाइयों के आवंटन के लिए नई नीति के नवीकरण के लिए प्रीमियम की प्राप्ति की और ठेके की तारीख के लिए पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि के अनुसार लागू एनएवी के रूप में होगा.**

7. सभी बीमा कंपनियों को एक प्रमाण पत्र, ऊपर बिंदु 5 पर जारी निर्देशों में से प्रत्येक के अनुपालन के लिए आंतरिक / समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए, के बारे में पिछले दिन के कारोबार पर प्राप्त आवेदनों के लिए लागू एनएवी फ़ाइल करेगा. सांविधिक लेखा परीक्षक भी वार्षिक खाते में एक ही पुष्टि करेगा.

**नोट:**

व्यापार दिन का मतलब होगा छुट्टियों जहां राष्ट्रीय विस्तृत टर्मिनलों के साथ शेयर बाजारों में व्यापार (दिन पर एक्सचेंजों के परीक्षण के लिए खुले हैं के अलावा अन्य) या किसी भी दिन के लिए खुले हैं के अलावा अन्य दिनों में दिन के कारोबार के रूप में प्राधिकरण द्वारा घोषित.

**ई. जोखिम प्रबंधन प्रणाली और इसकी समीक्षा**

1. बोर्ड निवेश जोखिम प्रबंधन और प्रक्रिया, प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य को लागू करेगा. कार्यान्वयन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, "निवेश

जोखिम प्रबंधन प्रणाली और बीमा कंपनियों की प्रक्रिया की समीक्षा और प्रमाणन पर तकनीकी गाइड", भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुसार नीचे रखी है, के रूप में संशोधन समय - समय पर.

2. हर दूसरे वित्तीय वर्ष या ऐसे कम आवृत्ति के रूप में बीमा कंपनी के बोर्ड द्वारा तय की शुरुआत में निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा करेगा, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म और ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की फाइल प्राधिकरण के साथ साथ, पहली तिमाही रिटर्न के साथ.
3. चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म कार्यान्वयन और निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा प्रमाणित और प्रक्रिया की नियुक्ति इन नियमों के तहत जारी किए गए परिपत्र के अनुसार किया जाएगा.

#### एफ ऑडिट और प्रबंधन के लिए रिपोर्टिंग

1. हर बीमा कंपनी बोर्ड के एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगा. लेखा परीक्षा समिति के एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की अध्यक्षता में किया जाएगा, अगर वह बीमा कंपनी के बोर्ड में एक सदस्य है.
2. बीमाकर्ता का करेगा निवेश दोनों शेयरधारकों और पॉलिसीधारक धन को कवर लेनदेन आंतरिक या समवर्ती लेखा परीक्षक के माध्यम से इस विनियमन के तहत जारी किए गए परिपत्र के अनुसार लेखा परीक्षा.
3. त्रैमासिक लेखापरीक्षा / आंतरिक समवर्ती रिपोर्ट, दोनों शेयरधारकों के निवेश के रूप में के रूप में अच्छी तरह से पॉलिसीधारकों को कवर के रूप में भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए, के रूप में संशोधन "बीमा कंपनियों के निवेश के कार्यों की आंतरिक / समवर्ती लेखापरीक्षा पर तकनीकी गाइड" के अनुसार होगा समय - समय पर.
4. निवेश नीति का विवरण, निवेश जोखिम प्रबंधन और प्रक्रिया या इसकी समीक्षा के कार्यान्वयन की स्थिति आंतरिक या समवर्ती लेखा परीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा. लेखा परीक्षक और निवेश आपरेशनों, सिस्टम और अपनी रिपोर्ट में इस प्रक्रिया के लिए बोर्ड के लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाना पर इसके प्रभाव की समीक्षा पर टिप्पणी करेगा.

#### जी निवेश की श्रेणी

1. हर बीमाकर्ता प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा - निर्देशों में सूचीबद्ध निवेश की संपूर्ण श्रेणी के भीतर ही उसके सारे फंड (ओं) का निवेश करेगा, के रूप में समय - समय पर संशोधन



**एच. अन्य**

1. प्राधिकरण बीमा कंपनी (ओं) से अधिक जानकारी के लिए यदि आवश्यक हो और पॉलिसीधारकों के हित में हो तो समय - समय पर बीमा कंपनियों के लिए इस तरह के निर्देश जारी कर सकते हैं.

**11. विनियमन 10 के संशोधन:**

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियमन 10, निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

**“14. विविध”.**

1. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरण और बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2000 और एसेट्स के मूल्यांकन के अनुसार निवेश के लेखा के अनुसार इन नियमों के तहत समय - समय पर जारी दिशा - निर्देशों के रूप में होगी.
2. प्राधिकरण, किसी भी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या संशोधित कर सकता है आवेदन उप विनियमों (3) (4) (5), (6), (7), (8) (9) में बदलने के लिए और (10) या तो अपने स्वयं के या इसे करने के लिए किए गए एक आवेदन पर किसी भी बीमा कंपनी के लिए.

**12. विनियमन 11 के संशोधन:**

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियमन 11, निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

**“15 वित्तीय संजात में लेनदेन”**

1. हर जीवन बीमा या सामान्य बीमा के कारोबार पर बीमाकर्ता कंपनी वित्तीय डेरिवेटिव में ही अनुमति दी हद तक निपटने के लिए और समय - समय पर इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के अनुसार.
2. कोई मार्जिन या प्रत्युत्सर्जन् प्रीमियम हद तक वे प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशा - निर्देशों के अनुसार बीमा कंपनी के बैलेंस शीट में संपत्ति की स्थिति के रूप में परिलक्षित होते हैं वित्तीय डेरिवेटिव के साथ संबंध में किसी भी बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया,

662 ९७/13-7

'स्वीकृत' निवेश के रूप में नीचे जाएगा इलाज किया जा में अनुसूची और इन नियमों का कार्यक्रम तय करने के लिए द्वितीय, केवल हद तक व्युत्पन्न स्थिति अंतर्निहित निवेश या पोर्टफोलियो जो खुद को इन नियमों के तहत एक अनुमोदित निवेश के रूप में व्यवहार किया जाता है के लिए एक बचाव का गठन किया है. अन्य सभी हाशिए या प्रत्युत्सर्जन प्रीमियम बीमा कंपनी के बैलेंस शीट में समय - समय पर इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के अनुसार में परिलक्षित हद तक भुगतान किया, 'अन्य निवेश के रूप में इलाज किया जाएगा. "

### 13. अनुसूची I का संशोधन:

अनुसूची I की बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

#### अनुसूची I

(3 से 6 विनियमन देखें)

जीवन व्यापार के लिए मंजूरी दे दी निवेश की सूची

अधिनियम की धारा 27ए के प्रयोजनों के लिए स्वीकृत निवेश निम्न में से मिलकर बनेगी:

- क) सभी को छोड़कर अधिनियम की धारा 27ए में निर्दिष्ट निवेश
- (i) धारा (ख) के अधिनियम की धारा 27ए की उप - धारा (1);
  - (ii) अचल संपत्ति पर पहले बंधक के किसी दूसरे देश में स्थित के रूप में अधिनियम की धारा 27ए की उपधारा (1) के धारा (एम) में कहा गया है;
  - (iii) अचल संपत्ति किसी दूसरे देश में स्थित के रूप में अधिनियम की धारा 27ए की उपधारा (1) के धारा (एन) में कहा गया है.
- ख) इसके अलावा निम्न निवेश यह उप - धारा के खबरदार (ओं) अधिनियम की धारा 27ए के धारा (1) में निहित शक्तियों के तहत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निवेश के रूप में समझा जाएगा.
- (i) सभी सुरक्षित ऋण के रूप में अधिनियम के तहत आवश्यक, रेटेड (बांड सहित) प्रति विनियमन 3 से 8 के लिए संलग्न नोट के रूप में और डिबेंचरों अन्य रेटेड और सुरक्षित ऋण उपकरणों. इक्विटी शेयर और वरीयता शेयरों और ऋण अखिल भारतीय वित्तीय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस तरह के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा जारी किए गए उपकरणों निवेश निवेश नीति के दिशा निर्देशों, मानक और निवेश ऋण, बीमा कंपनी के निदेशक बोर्ड ने मंजूरी दे दी सीमा के संदर्भ में किया जाएगा.
  - (ii) ए.ए. से कम नहीं है या अपने समकक्ष और पी। या अल्पावधि बांड, डिबेंचर, जमा और वाणिज्यिक कागजात की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र, सेबी के तहत पंजीकृत (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों) विनियम 1999 के लिए बराबर रेटिंग होगा रेटेड कंपनियों द्वारा जारी बांड या डिबेंचर के रूप में स्वीकृत निवेश माना जाता है.

- (iii) मानदंडों और बैंकों (चालू खाते में उदाहरण के लिए, कॉल जमा, नोटिस जमा, जमा आदि के प्रमाण पत्र के साथ बीमा कंपनियों जमा (27ए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा (9) के अनुसार की सावधि जमाओं सहित) के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमा के अधीन ) भारत अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के रिजर्व बैंक और प्राथमिक डीलरों के साथ विधिवत रूप से इस तरह के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त जमा की द्वितीय अनुसूची में किया जा रहा है समय के लिए शामिल है.
- (iv) जमानती उधार और ऋण दायित्वों (सीबीएलओ) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई है और भारतीय रिजर्व बैंक और गिल्ट, जी धारा और तरल निवेश प्रति म्यूचुअल फंड इन नियमों के तहत जारी किए गए दिशा निर्देशों के रूप में स्वीकृत की म्यूचुअल फंड हिस्सा बनाने के लिए जोखिम के द्वारा मान्यता प्राप्त है और मुद्रा बाजार लिखत / निवेश.
- (v) आवास ऋण अंतर्निहित या अंतर्निहित के रूप में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के 2 विनियमन (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2008 के धारा में 'बुनियादी सुविधा' (ज) के तहत परिभाषित के रूप में समय पर संशोधन के रूप में बुनियादी सुविधाओं परिसंपत्तियों होने के साथ संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियों समय.
- (vi) वाणिज्यिक एक कंपनी या अखिल भारतीय वित्तीय संस्था द्वारा जारी किए गए कागजात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस तरह के रूप में मान्यता प्राप्त सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों) 1999 के नियमों के तहत पंजीकृत एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा एक क्रेडिट रेटिंग होने.
- (vii) मुद्रा बाजार के साधन के रूप में 2 इन नियमन के विनियमन (ज) में परिभाषित किया गया है.

स्पष्टीकरण -

1. 3 से 8 विनियमन के लिए संलग्न 'नोट' में उल्लिखित सभी शर्तों के साथ पालन किया जाएगा.

#### 14. द्वितीय अनुसूची में संशोधन:

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 द्वितीय अनुसूची निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

## अनुसूची II

(विनियमन 7 एवं 8 देखें)

### स्वीकृत निवेश के सामान्य व्यापार के लिए सूची

अधिनियम की धारा 27बी के उद्देश्य के लिए 'स्वीकृत' निवेश को निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

क) सभी को छोड़कर अधिनियम की धारा 27बी में निर्दिष्ट निवेश

- (i) धारा (ख) के अधिनियम की धारा 27ए की उप - धारा (1);
- (ii) अचल संपत्ति किसी दूसरे देश में स्थित के रूप में अधिनियम की धारा 27ए की उपधारा (1) के धारा (एन) में कहा गया है;
- (iii) अचल संपत्ति पर पहले बंधक के किसी दूसरे देश में स्थित के रूप में अधिनियम की धारा 27बी की उपधारा (1) के धारा (i) में कहा गया है.

ख) इसके अलावा निम्न निवेश प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निवेश के रूप में किया जाएगा यह के अधिनियम की धारा 27बी की उप - धारा (1) के खंड (जे) में निहित शक्तियों के तहत समझा:

- (i) अधिनियम के अनुसार सभी सुरक्षित ऋण, रेटेड (बांड सहित) विनियम 3 से 8 संलग्न नोट और डिबेंचरों के रूप में अन्य रेटेड और सुरक्षित ऋण उपकरणों. इक्विटी शेयर, वरीयता शेयरों और ऋण उपकरणों अखिल भारतीय वित्तीय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस तरह के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा जारी किए गए निवेश निवेश नीति के दिशा निर्देशों, मानक और निवेश ऋण, बीमा कंपनी के निदेशक बोर्ड ने मंजूरी दे दी सीमा के संदर्भ में किया जाएगा.
- (ii) ए.ए. से कम नहीं है या अपने समकक्ष और पी। या अल्पावधि बांड, डिबेंचर, जमा और वाणिज्यिक कागजात की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र, सेबी के तहत पंजीकृत (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों) विनियम 1999 के लिए समतुल्य रेटिंग होगा रेटेड कंपनियों द्वारा जारी बांड या डिबेंचर के रूप में स्वीकृत निवेश माना जाता है.
- (iii) मानदंडों और बैंकों (चालू खाते में उदाहरण के लिए, कॉल जमा, नोटिस जमा, जमा आदि के प्रमाण पत्र के साथ बीमा कंपनियों जमा (27बी बीमा अधिनियम, 1938 की धारा (10) के अनुसार की सावधि जमाओं सहित) के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमा के अधीन ) भारत अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के रिजर्व बैंक और प्राथमिक डीलरों के साथ विधिवत रूप से इस तरह के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा

मान्यता प्राप्त जमा की द्वितीय अनुसूची में किया जा रहा है समय के लिए शामिल है.

- (iv) जमानती उधार और ऋण दायित्वों (सीबीएलओ) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई है और भारतीय रिजर्व बैंक और गिल्ट के लिए जोखिम, जी प्रतिभूतियां और तरल म्यूचुअल फंड प्रति म्यूचुअल फंड इन नियमों के तहत जारी किए गए दिशानिर्देश के रूप में स्वीकृत निवेश का हिस्सा बनाने के द्वारा मान्यता प्राप्त मुद्रा बाजार लिखत निवेश.
- (v) समय समय पर संशोधन बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2008 का विनियमन के खंड(एच) के तहत परिभाषित 'बुनियादी सुविधा' का अर्थ आवास ऋण अंतर्निहित या अंतर्निहित बुनियादी संपत्तियों के साथ संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियों.
- (vi) वाणिज्यिक एक कंपनी या अखिल भारतीय वित्तीय संस्था द्वारा जारी किए गए कागजात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस तरह के रूप में मान्यता प्राप्त सेबी के तहत पंजीकृत एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों) द्वारा एक क्रेडिट रेटिंग होने विनियम 1999
- (vii) मुद्रा बाजार के साधन के रूप में इस विनियमन के 2 विनियमन (ज) में परिभाषित किया गया है.

स्पष्टीकरण:

1. 3 से 8 विनियमन के लिए संलग्न 'नोट' में उल्लिखित सभी शर्तों के साथ पालन किया जाएगा.

जे. हरि नारायण, अध्यक्ष  
[विज्ञापन III/4/161/12/असा.]

662 6715-6











क्र. उपकरणों में निवेश	बुक वैल्यू (जीवन, पेंशन फंड और सामान्य बीमा कंपनियों)	बाजार मूल्य (यूलिप फंड के लिए)	%															
सावरेन उपकरणों में निवेश																		
स्वीकृत निवेश																		
एएए या एए तक या समतुल्य																		
स्वीकृत निवेश एकरम, ऋण, अन्य																		
अन्य निवेश ए.ए., ए.कम की तुलना में एक या समतुल्य																		
अनरेटेड, ऋण, अन्य - अन्य निवेश																		
कुल ऋण निवेश (क से छ तक)																		
<b>प्रमाणिकरण</b>																		
प्रमाणित किया जाता है कि अपने जान और विश्वास के अनुसार यहाँ दी गई जानकारी सही, पूर्ण है प्रमाणित किया जाता है कि किया हुआ और रिटर्न में दिखाया गया निवेश समय - समय पर सशोधित निवेश के दिशा-निर्देशों में प्रदान श्रेणियों के भीतर है।																		
नोट:																		
1 स्तम्भ (1) निवेश के आकड़े का मिलान (प्रत्येक प्रकार के लिए) प्रपत्र 3ए (भाग ए)/ प्रपत्र 3बी से होना चाहिए																		
2 और प्रदर्शन निवेश की संपत्ति को प्रथम दिखाया जाएगा, रेटिंग पर ध्यान दिए बिना																		
3 लिस्ट निवेश के व्यापार मूल्यों को बाजार मूल्य पर होगा																		
4 इक्विटी या इक्विटी से संबंधित उपकरणों के रूप में बीमा अधिनियम, 1938 या आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 के तहत अनुमति दी जाएगी के रूप में समय - समय पर सशोधित																		
5 फार्म - 2 (फर्ट बी) प्रत्येक निधि के संबंध में तैयार किया जाएगा यूलिप के मामले में फार्म 2 भी प्रत्येक फंड (एसएफआईएन) के स्तर पर और समेकित स्तर पर तैयार किया जाएगा																		
<b>फार्म - 2</b>																		
(10 विवरण के साथ)																		
बीमा कंपनी के नाम:																		
भाग - सी																		
पंजीकरण:																		
निवेश की संपत्ति और इन्फो निवेश दर्जी प्रोफाइल																		

हस्ताक्षर:  
पूरा नाम:  
मुख्य वित्त

निवेश की संपत्ति	रुपये कराड़	चालान के लिए % संपत्ति
केंद्रीय सरकार, + सेक अन्य अनुमोदित प्रतिष्ठितियों		
कुल (1)		
स्वीकृत निवेश		
एएए या एए तक या समतल्य		
इन्विटी - स्वीकृत निवेश		
स्वीकृत निवेश: मिमी, ऋण, अन्य		
कुल (2)		
अन्य निवेश		
ए.ए., ए. कम की तुलना में एक या समतल्य		
इन्विटी - अन्य निवेश		
अनरटेड, एनपीए, ऋण, अन्य - अन्य निवेश		
कुल (3)		
कुल निधि (1+2+3)		
दुनियादी सुविधाओं में स्वीकृत निवेश		
एएए या एए तक या समतल्य		
इन्विटीज स्वीकृत		
एम.एम, ऋण, अन्य		
स्वीकृत निवेश		
कुल (1)		
अन्य निवेश		
ए.ए., ए. कम की तुलना में एक या समतल्य		
इन्विटीज अन्य निवेश		
ऋण, एनपीए, अन्य - अन्य निवेश		
कुल (2)		
कुल इका निवेश (2+1)		
कुल निधि	0	
प्रमाणिकरण		
प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ दी गई जानकारी सही है और अपने ज्ञान का सबसे अच्छा करने के लिए पूरा कर रहे हैं. यह भी प्रमाणित है कि विशिष्ट निवेश किया है और बदले में किया गया		
हस्ताक्षर:		
पूरा नाम:		
मुख्य वित्त		
नोट:		
1. स्तम्भ (1) (निवेश के प्रत्येक प्रकार के लिए) में आंकड़े प्रपत्र 3ए साथ मिलान किया जाएगा (भाग एक) / प्रपत्र 3बी		
फॉर्म - 2 (भाग सी) जीवन निधि के संबंध में तैयार किया जाएगा		







फार्म - 3ए								भाग - डी	
( विनियमन 10 के साथ पढ़ें )									
बीमा कंपनी के नाम:									
पंजीकरण संख्या:								3ए फार्म लिक (भाग एक)	
वक्तव्य पर के रूप में:									
फंड की अभिवृद्धि का विवरण (भारत में व्यापार)								करोड़ रु	
प्रस्तुत करने की नियत काल: त्रैमासिक									
संख्या	निवेश की श्रेणी	पीओआई	प्रारंभ का शेष	कुल% (क)	तिमाही लिए शब्द अभिवृद्धि	कुल अभिवृद्धि करने के लिए%	कुल	कुल% (1+2)	
			1		2		(1+2)		
3ए	जीवन निधि								
1	केन्द्रीय सरकार. सेकंड	25% कम से कम नहीं							
2	केन्द्रीय सरकारप्रतिभूतियां, राज्य सरकारप्रतिभूतियां या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां(उपरोक्त सहित	कम से कम 50%							
3	निवेश ऋण मानदंड विषय								
	ए. हाउसिंग एड इंफ्रास्ट्रक्चर	15% कम से कम नहीं							
	1. स्वीकृत निवेश								
	2. अन्य निवेश								
	बी. (I) निवेश स्वीकृत	35% से अधिक नहीं							
	(II) अन्य निवेश (15% से अधिक नहीं)								
	कुल (एक)								
संख्या:	निवेश की श्रेणी	पीओआई	प्रारंभ का शेष	(बी) के कुल%	तिमाही लिए शब्द अभिवृद्धि	कुल अभिवृद्धि करने के लिए%	कुल	कुल% (2 1)	
			1		2		(1+2)		
बी	पेशन और आम वार्षिकी और समूह व्यापार								
1	केन्द्रीय सरकार. सेकंड	20% कम से कम नहीं							
2	केन्द्रीय सरकारप्रतिभूतियां, राज्य सरकारप्रतिभूतियां या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (ऊपर अंदर (II))	40% कम से कम नहीं							
3	अनुमोदित निवेश में संतुलन	60% से अधिक नहीं							

		कुल (बी)							
संख्या:	निवेश की श्रेणी	पीओआई	प्रारंभ का शेष	कुल% (सी)	तिमाही लिए शब्द अभिवृद्धि	कुल अभिवृद्धि करने के लिए%	कुल	कुल% (1+2)	
			1		2		(1+2)		
सी	जूडे फंड								
1	स्वीकृत निवेश	75% कम से कम नहीं							
2	अन्य निवेश	25% से अधिक नहीं							
		कुल (सी)							
<b>प्रमाणन</b>									
प्रमाणित किया जाता है कि अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार यहाँ दी गई जानकारी सही, पूर्ण है. और कुछ भी छुपाया या दबाया नहीं गया है									
<b>तिथि:</b>									
						<b>हस्ताक्षर:</b>			
						<b>पूरा नाम:</b>			
						<b>मुख्य वित्त अधिकारी</b>			

<b>फार्म - 3ए</b>			
(10 विनियमन के साथ पढ़ें)			<b>पार्ट - ई</b>
<b>बीमा कंपनी के नाम:</b>			
<b>पंजीकरण संख्या:</b>			
<b>वक्तव्य पर के रूप में:</b>			
यूनिफ उत्पादों के निवेश विवरण की पृथक फंड विवरण			
(भारत में व्यापार)			<b>करोड़ रु</b>
प्रस्तुत करने की नियत काल: त्रैमासिक			



निवेश "यूलिप उत्पादों" विवरण [यूआईएन] पृथक फंड में एसएफआईएन]			
अन्तर्विह	यूआईएन1	यूआईएन2	यूआईएन3
प्रीमियम			
अन्य (बताएं)			
कुल (एक)			
बहिर्वाह			
आयोग			
प्रभार			
का दावा है			
अन्य लोग			
कुल (बी)			
सी = (ए-बी)			
ऊपर में "सी" नीति फंड आवंटित			
1 एसएफआईएन			
2 एसएफआईएन			
3.एसएफआईएन			
कुल (डी)			
अंतर ई = (सी-डी) (यदि कोई हो)			
<b>प्रमाणन</b>			
प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ दी गई जानकारी सही है, पूर्ण और कुछ भी नहीं छुपा दिया गया है या दबा रहे हैं, अपने ज्ञान और विश्वास का सबसे अच्छा करने के लिए.			
तिथि:			
		हस्ताक्षर:	
		पूरा नाम:	
		मुख्य वित्त	
नोट:			
1. यूआईएन अनोखा उत्पाद संख्या का प्रतिनिधित्व करता है के रूप में प्रति			
2. एसएफआईएन पृथक फंड पहचान संख्या के रूप			

66265/13-11



क्र.सं.	वर्ग और अन्य परिभाषितियों (यदि कोई हो)	12	विवरण	राज्य		राज्य के अलावा के क्षेत्रों में	राज्य के अलावा के क्षेत्रों में	राज्य के अलावा के क्षेत्रों में	राज्य के अलावा के क्षेत्रों में	राज्य के अलावा के क्षेत्रों में
				राज्य (अ)	राज्य के अलावा के क्षेत्रों में (ब)					
4	वर्ग और अन्य परिभाषितियों (यदि कोई हो)									
5	वर्तमान क्षेत्र	13								
6	आवृत्ति	14								
7	विवरण	15								
8	यदि एक एच ए / एच (सी) का क्षेत्र है तो के क्षेत्रों के रूप में उपरि वर्णित									
पारा 2										
	विवरण के रूप में प्रतिनिधित्व	पट्टी %								
1	केन्द्रीय सरकार प्रतिनिधियों	20% कम से कम नहीं								
2	केन्द्रीय सरकार प्रतिनिधियों, राज्य सरकार प्रतिनिधियों या अन्य अनुमोदित प्रतिनिधियों/उपरोक्त	30% से कम नहीं								
3	विवरण के रूप में									
	ए. एस.सी. को आवार और बृग आवार और एफएफई के लिए	5% से कम नहीं								
	1. स्वीकृत निवेश									
	2. अन्य निवेश									
	की अधिकतम सुविधाओं में निवेश	कम से कम 10%								
	1. स्वीकृत निवेश									
	2. अन्य निवेश									
	की अधिकतम सुविधाओं में निवेश	55% से अधिक नहीं								
	3. अन्य निवेश									
	निवेश की आपूर्ति	100%								
ध्यान देने योग्य बातें:										
	प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ दी गई जानकारी सही पूर्ण और कुछ भी नहीं छुपा कर दिया गया है या दबा अपने जान और विचार का सबसे अच्छा काटे के लिए कर रहे हैं									
विवरण:										
नोट:										
	1. (1) एजेंडारखत सेल्फेसी मांजिन र्व प्रतिनिधित्व पर बजार के लिए स्थापित करता है									
	2. अन्य निवेश के रूप में 27 वीं (1) के तहत अनुमति दी जाती है									
	3. निवेश के भंडार दोनो श्रेणियों में सेल्फेसी मांजिन और प्रतिनिधित्व धन का प्रतिनिधित्व धन के लिए लागू है									
	4. जो कुछ सेल्फेसी मांजिन के पूरे एक अलग अभिलेखा जाता से है के लिए लागू नहीं होती									

हराबतः  
पूरा नाम:  
मुख्य वित्त  
अधिकारी

1. (1) एजेंडारखत सेल्फेसी मांजिन र्व प्रतिनिधित्व पर बजार के लिए स्थापित करता है  
2. अन्य निवेश के रूप में 27 वीं (1) के तहत अनुमति दी जाती है  
3. निवेश के भंडार दोनो श्रेणियों में सेल्फेसी मांजिन और प्रतिनिधित्व धन का प्रतिनिधित्व धन के लिए लागू है  
4. जो कुछ सेल्फेसी मांजिन के पूरे एक अलग अभिलेखा जाता से है के लिए लागू नहीं होती

फॉर्म - 3बी								
(10 विनियमन के साथ पढ़ें)								भाग - बी
बीमा कंपनी के नाम:								
पंजीकरण संख्या:								
व्यक्तियों पर के रूप में:								
एसेट्स की अभिवृद्धि का विवरण								
(भारत में व्यापार)								
प्रस्तुत करने की नियत काल:								
त्रैमासिक								
संख्या:	निवेश की श्रेणी	सीओआई	प्रारंभ शेष - (ए)	प्रारंभ शेष की%	तिमाही लिए शुद्ध अभिवृद्धि (बी)	कुल प्रोद्घवन%	कुल (ए,+बी)	कुल%
1	केन्द्रीय सरकार, प्रतिभूतियां							
2	केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों राज्य सरकार सेक या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों (ऊपर भंडार (ii))							
3	<b>निवेश ऋण मानदंड विषय</b>							
	ए. आवास और आवास और उनके के लिए एसजी को ऋण							
	1. स्वीकृत निवेश							
	2. अन्य निवेश							
	बी. बूनियादी सुविधाओं में निवेश							
	1. स्वीकृत निवेश							
	2. अन्य निवेश							
	सी. स्वीकृत निवेश							
	डी. अन्य निवेश (25% से अधिक नहीं)							
	संपूर्ण							
<b>प्रमाणन:</b>								
प्रमाणित किया जाता है कि अपने जान और विश्वास के अनुसार यहाँ दो गड़े जानकारी सही, पूरा है और कुछ भी छुपाया या दबाया नहीं गया है .								
तिथि:								
						हस्ताक्षर:		
						पूरा नाम:		
						मुख्य वित्त अधिकारी		
<b>नोट:</b>								
1. कुल (ए + बी), निधि अनुसार प्रपत्र 3 बी (भाग ए) में दिखाए गए आंकड़ों के साथ मिलान								

फार्म 4

## (10 विनियमन के साथ पढ़ें)

जीखिम / प्रूडेंशियल और अन्य निवेश के मानदंडों के अनुपालन के प्रमाण पत्र

भाग क

बीमाकर्ता के नाम और कोड:

लिथि: पर : .....

अनुभाग	मानदंड	एक्सपोजर / अन्य मानदंड विनियमन, के अनुसार	आवश्यक मानदंड का अनुपालन ? (हां / नहीं)	टिप्पणियाँ
1	निवेशी कंपनी एक्सपोजर	क. इक्विटी, वरीयता शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश: - 10% * बकाया इक्विटी शेयरों (अंकित मूल्य) या जीवन बीमा कंपनियों के मामले में ए.1 (ए), ए.1 (बी), ए.1 (सी) (अलग माना जाता है.) बिंदु के तहत राशि का 10% सामान्य बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता के मामले ए.2 या ए.3 के तहत राशि का 10% अलग - जो भी कम हो [ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मामले में, 10% की सीमा को 20% के रूप में पढ़ा जाएगा. जहां बीमा कंपनी के निवेश की संपत्ति रुपये हैं 250000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, 10% की सीमा बकाया इक्विटी शेयरों (अंकित मूल्य) के 15% के रूप में पढ़ा जाएगा या जहां बीमा कंपनी के निवेश की संपत्ति 50000 करोड़ रुपए से अधिक पर 250,000 करोड़ रुपए की तुलना में कम हो 10% की सीमा को 1.2% बकाया इक्विटी शेयरों (अंकित मूल्य) के रूप में पढ़ा जाएगा ]		

66297/13-12

अनुभाग	मानदंड	एक्सपोजर / अन्य मानदंड विनियमन, के अनुसार	आवश्यक मानदंड का अनुपालन ? (हां / नहीं)	टिप्पणियाँ
		<p>ख ऋण में निवेश और/अधिनियम के विनियमन, अन्य की तुलना में प्रति के रूप में किसी भी अन्य निवेश की अनुमति दी 'इक्विटी', अधिमानी शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों: -</p> <p>जीवन बीमा कंपनियों के मामले में समय के किसी भी बिंदु पर एक्सपोजर पेड-अप शेयर पूंजी के 10%, निर्बाध आरक्षित निधियां/पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) से अधिक नहीं और डिबेंचर / निवेशी कंपनी के बांड या बिंदु के तहत राशि का 10% विनियमन 9(ए.1.1.(ए) ए या ए.1. (बी) या ए.1. (सी) ऊपर अलग से माना जाता है सामान्य बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता के मामले में, विनियमन 9(ए.2) या (ए.3) इस विनियमन (ए.3) के तहत इस विनियमन की राशि जो भी कम हो.</p> <p>[ इन्फ्रास्ट्रक्चर सह के मामले में, 10% की सीमा 20% के रूप में पढ़ा जाएगा. बीमा कंपनी के निवेश की संपत्ति कहाँ रुपये है. 250000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, 10% की सीमा के पेड - अप शेयर पूंजी के 15% के रूप में पढ़ा जाएगा, निर्बाध आरक्षित निधियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) और डिबेंचर बांड या जहाँ बीमा कंपनी के निवेश की संपत्ति 50000 करोड़ रुपए लेकिन कम रुपये 250000 करोड़ रुपए की तुलना में 10% की सीमा के रूप में 12% शेयर पूंजी, निर्बाध आरक्षित निधियां(पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) और / डिबेंचर बांड का भुगतान पढ़ा जाएगा)</p> <p>ग. एक 'निवेशी' कंपनी के लिए अधिकतम सीमा के अंतर्गत सभी निवेश की संपत्ति से जोखिम (इक्विटी / अधिमानी शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचर / डिबेंचर बांड // सीपीएस / ऋण और किसी भी अन्य की अनुमति दी अधिनियम / नियमन प्रति के रूप में ऋण</p>		

अनुभाग	मानदंड	एक्सपोजर / अन्य मानदंड विनियमन, के अनुसार	आवश्यक मानदंड का अनुपालन? (हां / नहीं)	टिप्पणियाँ
		<p>निवेश), नियमन 9 में निर्धारित सीमा के भीतर कर रहे हैं (बी) (इन्फ्रास्ट्रक्चर सह के मामले में 10% की सीमा 20% के रूप में पढ़ा जाएगा)?</p> <p>घ. निवेश विनियमन 9: क्या ऋण बुनियादी ढांचे एस्प्रीवी में किए गए निवेश सीमा, नियमों और शर्तों के रूप नोट S4 में उल्लेख के साथ पालन किया है?</p>		
II	निवेशी कंपनी के पूरे समूह के लिए सीमा	<p>पूरे "निवेशी कंपनी का समूह" में कुल निवेश किया है से कम है:</p> <p>क. बिंदु के अंतर्गत राशि विनियमन 9(ए.1. (ए.) एक या ए.1. (बी) या ए.1. (सी) ऊपर अलग से माना जाता है) की जीवन बीमा कंपनियों / एक के मामले में, इस विनियमन विनियमन 9(ए.2) या इस विनियमन (ए.3) के तहत जनरल बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता के मामले में राशि (या)</p> <p>ख. समूह से संबंधित सभी कंपनियों में निवेश की संपत्ति के 15% (बिंदु "क" में वर्णित सीमा के ऊपर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मामले में 20% के रूप में पढ़ा किया जाएगा)</p>		
III	प्रमोटर ग्रुप कंपनी	<p>कुल सभी "बीमाकर्ता प्रमोटर ग्रुप के अंतर्गत पड़ने कंपनियों में निवेश किया है:</p> <p>क. सभी 'प्रमोटरों समूहों से संबंधित कंपनियों में अपने कुल निवेश का कुल में 5% से अधिक नहीं है.</p> <p>ख. ओ.टी. किसी भी कंपनियों में निवेश किया प्राइवेट प्लेसमेंट के रास्ते (इक्विटी) प्रमोटरों के समूह से संबंधित</p> <p>ग. ओ.टी. अस्वीकृत प्रतिभूति में किसी भी निवेश इक्विटी और ऋण जमा का</p>		

अनुभाग	मानदंड	एक्सपोजर / अन्य मानदंड विनियमन, के अनुसार	टिप्पणियाँ
		<p>प्रमाण पत्र निश्चित (अधिनियम की धारा 27ए (9) और धारा 27बी (10) पूर्वाग्रह के बिना) जमा धारा (4) 27ए या अधिनियम की सेक 27बी (5) के तहत बीमा कंपनियों द्वारा गठित कंपनियों के लिए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में छोड़कर, आयोजित .</p>	
iv	उद्योग क्षेत्र	<p>क्या बीमा कंपनी द्वारा निवेश किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में [ वित्तीय और बीमा क्रियाएँ छोड़कर राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (सभी आर्थिक गतिविधियाँ) 2008 के अनुसार]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निचले से अधिक नहीं : नियमन 9 के तहत राशि का 15% (ए.1. (i) एक या ए.1. (ख) या ए.1. (ग) अलग माना जाता है) जीवन बीमा कंपनी / के मामले में इस विनियमन के विनियमन 9(ए.2) के तहत एक राशि या (ए.3) इस विनियमन के जनरल बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता के मामले में, (या) निवेश संपत्ति का 15%</li> <li>2. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (सभी आर्थिक गतिविधियाँ) 2008 के अनुसार वित्तीय और बीमा क्रियाएँ क्षेत्र में बीमा कंपनी द्वारा किए गए निवेश किया है (सावधि जमा, सावधि जमा और जमा प्रमाणपत्र को छोड़कर) अपने कुल निवेश की संपत्ति का 2.5% से अधिक नहीं ?</li> <li>3. औद्योगिक क्षेत्रों के वर्गीकरण राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (सभी आर्थिक गतिविधियाँ) 2008 की तर्ज पर किया गया है - "बुनियादी ढांचा क्षेत्र को छोड़कर</li> </ol>	



अनुभाग	मानदंड	एक्सपोजर / अन्य मानदंड विनियमन, के अनुसार	टिप्पणियाँ
		<p>सभी क्षेत्रों के लिए, [एनआईसी]।</p> <p>4. बुनियादी ढांचा क्षेत्र के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों के लिए वर्गीकरण (एनआईसी सभी आर्थिक गतिविधियाँ) 2008 - जोखिम की गणना ए से आर तक डिवीजन स्तर पर गई है?</p> <p>5. जोखिम वित्तीय और बीमा क्रियाएँ क्षेत्र के लिए अनुभाग स्तर (एनआईसी सभी आर्थिक गतिविधियाँ) 2008 (सभी आर्थिक गतिविधियाँ) एनआईसी में गणना की गई है?</p>	
v	रेटिंग मानदंड	<p>1. क्या स्वीकृत निवेश के तहत किए गये निवेश रेटड प्रतिभूतियों में कर रहे हैं. क्या प्रतिभूतियाँ रेटड सक्षम हैं?</p> <p>2. खरीद के समय, कॉर्पोरेट बांड ए.ए. (बीमाकर्ता की बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के साथ ए+) नीचे मूल्यांकन कर रहे हैं या अपने समकक्ष और पी1 या समकक्ष (अल्पावधि प्रतिभूति के मामले में) के अंतर्गत वर्गीकृत "अन्य निवेश"।</p> <p>3. क्या विनियमन 3 और 4 के लिए नोट के तहत 8 आईआरडीए (निवेश) नियमन, 2000 के रूप में समय - समय पर संशोधन के लिए निर्धारित न्यूनतम नीचे रेटिंग डाउनग्रेड प्रतिभूति प्रणाली के माध्यम से "अन्य निवेश" के अंतर्गत पुनर्वर्गीकृत?</p> <p>4. कर्ज (केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों सहित) यंत्र - मामले जीवन बीमा कंपनी में निधि विवेक, (अलग फंड स्तर पर यूलिप फंड सहित) और सामान्य बीमा कंपनी के मामले में निवेश की संपत्ति - एक न्यूनतम रेटिंग सॉवरिन, लंबी और अल्पावधि, कम से कम 75% (जीवन बीमा) /65% (सामान्य</p>	

अनुभाग	मानदंड	एक्सपोजर / अन्य मानदंड विनियमन, के अनुसार	आवश्यक मानदंड का अनुपालन ? (हां / नहीं)	टिप्पणियाँ
		<p>बीमाकर्ता) प्रतिभूति के लिए नहीं स्वायत्त, पी1+ या समकक्ष पद के लिए एएए या समकक्ष रेटिंग के?</p> <p>5. 'कर्ज' (केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों सहित) प्रतिभूति फंड विवेक, जीवन बीमा कंपनी (अलग फंड स्तर पर यूलिप फंड सहित) और सामान्य बीमा कंपनी के मामले में निवेश की संपत्ति के मामले में एक है लंबी अवधि के लिए एक या नीचे या समकक्ष दर्जा की रेटिंग, 5% से अधिक (गैर - जीवन बीमा कंपनियों के मामले में 8%) नहीं कर रहे हैं?</p>		
vi	अन्य	<p>ए नीति / प्रणाली प्रक्रिया पर पुष्टि</p> <p>1. निवेश संचालन के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग, निवेशी-कंपनी, समूह, प्रमोटर ग्रुप और उद्योग क्षेत्र की पूरी तरह से जोखिम मानदंडों 'निवेश की संपत्ति' के विभिन्न स्तरों प्रति के रूप में गणना में मैन्युअल के हस्तक्षेप के बिना स्वचालित किया गया विनियमन 9 (बी) के तहत प्रदान की जाती है?</p> <p>2. निवेश नियमन के 13 नियमन के तहत वर्णित आवश्यकताओं के साथ पूर्ण अनुपालन में बीमाकर्ता की निवेश समिति के संविधान है?</p> <p>3. क्या बीमा कंपनी ने निवेश संचालन की प्रक्रिया जो फ्रंट ऑफिस / बैक ऑफिस/मिडऑफिस, में आ रही है? (दोनों श्रेणियों का है और पॉलिसीधारक का निवेश आउटसोर्स किया है सिवाय</p>		

अनुभाग	मानदंड	एक्सपोजर / अन्य मानदंड विनियमन, के अनुसार	आवश्यक मानदंड का अनुपालन? (हां / नहीं)	टिप्पणियाँ
		<p>संबंधित के कार्यों में से कोई भी, (अनुबंध-II के 11 प्वाइंट और 12 के तहत परिपत्र आईएनव्ही/सीआईआर/ अनुमत सीमा / 008/2008-09 दि. 22 अगस्त 2008, निवेश सलाह और एनएवी गणना की आउटसोर्सिंग के लिए)?</p> <p>4. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की अध्यक्षता, बशर्ते वह बीमा कंपनी के बोर्ड के एक सदस्य है?</p> <p>5. आवधिक निवेश करने के लिए तिमाही के लिए दायर की जा रिटर्न, के साथ पूर्ण अनुपालन में आईआरडीए द्वारा जारी ग्राइड्स नोट निवेश रिटर्न की तैयारी पर तैयार है?</p> <p>6. निवेश नीति संशोधन, बीमाकर्ता की बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है?</p> <p>7. आदर्श आचार संहिता है, अंदरूनी सूत्र / अधिकारियों की व्यक्तिगत व्यापार को रोकने के निवेश संचालन में शामिल है, सामने, मध्य और वापस कार्यालय के रूप में बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, लागू किया? यदि ऐसा है तो:</p> <p>क. क्या यह विभिन्न स्तरों पर निवेश के संचालन में शामिल अधिकारियों को कवर?</p> <p>ख. आचार संहिता का इस तरह के स्तर में प्रत्येक अधिकारी को कवर करता है?</p> <p>ग. अनुपालन के बोर्ड को सूचित किया गया या अन्यथा इस तिमाही के दौरान आदर्श आचार संहिता?</p> <p>घ. समवर्ती लेखा परीक्षक बीमाकर्ता द्वारा लागू आचरण के मॉडल कोड के पहलुओं पर किसी भी योग्यता के बिना अपनी पिछली तिमाही की ऑडिट रिपोर्ट जारी की है?</p>		

अनुभाग	मानदंड	एक्सपोजर / अन्य मानदंड विनियमन, के अनुसार	आवश्यक मानदंड का अनुपालन? (हां / नहीं)	टिप्पणियाँ
		<p>ड. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, यदि कोई हो, कहां दौरान पिछले रिपोर्ट तिमाही, ठीक से और उचित कार्रवाई निपटा दिया गया है के रूप में लेखा परीक्षा समिति / बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई लिया?</p> <p>8. सामने के अलगवाव, मध्य और वापस कार्यालय भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी बीमा कंपनियों के निवेश के कार्यों के आंतरिक / समवर्ती लेखापरीक्षा पर तकनीकी गाइड प्रति के रूप में कर रहे हैं?</p> <p>9. चार्टर्ड लेखाकार का प्रमाण पत्र की रिपोर्ट में सभी गैर अनुपालन निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया के कार्यान्वयन की स्थिति पर जारी (के रूप में निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली और बीमा कंपनियों की प्रक्रिया पर तकनीकी गाइड के अनुसार, आईसीएआई) द्वारा प्रति के रूप में लागू किया गया है समय सीमा आईआरडीए के लिए प्रतिबद्ध है?</p> <p>10. आंतरिक/ समवर्ती बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के 'बहुत गंभीर' पर टिप्पणी के साथ 'गंभीर' अंक (के रूप में बीमा कंपनियों के निवेश के कार्यों की आंतरिक / समवर्ती लेखापरीक्षा पर तकनीकी गाइड के अनुसार, द्वारा जारी किए गए पिछली तिमाही के समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के चार्टर्ड) लेखाकार, और ऑडिट समिति की सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति के संस्थान मौजूदा तिमाही के दौरान बीमा कंपनी के बोर्ड के समक्ष रखा गया है?</p> <p>11. लेखा परीक्षा समितियों सिफारिश और इसके कार्यान्वयन की स्थिति इन रिटर्न के साथ</p>		

अनुभाग	मानदंड	एक्सपोजर / अन्य मानदंड विनियमन, के अनुसार	आवश्यक मानदंड का अनुपालन? (हां / नहीं)	टिप्पणियाँ
		<p>साथ प्राधिकरण के साथ दायर के साथ पिछली तिमाही के ऑडिट रिपोर्ट है?</p> <p>12. वृद्धि हुई है तिमाही के दौरान, शेयरधारकों में 'धन (शेयरधारकों से आय की तुलना में अन्य के साथ निवेश, एक अलग अभिरक्षा खाते) की सौल्वेसी मार्जिन आवश्यकता से परे आयोजित में बनाए रखा है, अधिशेष नियुक्त मुंशी द्वारा प्रमाणित गणना के द्वारा समर्थित है चयक नियुक्त मुंशी इस वापसी के लिए प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि?]</p> <p>13. बोर्ड की समीक्षा (दोनों के जीवन और गैर - जीवन बीमा कंपनियों) के रूप में एच पिछली तिमाही के दौरान प्रदर्शन उत्पाद की सामान्य बीमा कंपनियों के मामले में व्यापार के स्तर के लाइन पर?]</p> <p>14. पिछली तिमाही के दौरान बोर्ड, (दोनों के जीवन और गैर - जीवन बीमा कंपनियों) निवेश के प्रदर्शन की समीक्षा की है? [समीक्षा में जीवन बीमा कंपनियों के मामले दोनों गैर लिंकड और लिंकड फंडों [एसएफआईएन स्तर को कवर किया जाना चाहिए]</p> <p>15. जीवन बीमा कंपनी है, मेल मिलाप यूलिप व्यापार के मामले में, इस प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक उत्पाद के तहत प्रीमियम (शुल्क और लाभ भुगतान की शुद्ध) (अद्वितीय पहचान संख्या यूआईएन वार) प्राप्त सभी अलग कोष (ओं) के मूल्य के साथ ( पृथक्कृत फंड पहचान संख्या - एसएफआईएन वार फंड प्रबंधन शुल्क के नेट), एक एकल यूआईएन के तहत आयोजित, दिन के आधार पर एक दिन पर तिमाही के दौरान,?</p> <p>16. जीवन बीमा बीमाकर्ता की वेबसाइट पर यूआईएन विवेक सुलह खुलासा एक ही दिन पर?</p>		

अनुभाग	मानदंड	एक्सपोजर / अन्य मानदंड विनियमन, के अनुसार	आवश्यक मानदंड का अनुपालन? (हां / नहीं)	टिप्पणियाँ
		<p>17. वहाँ एक पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली उत्पन्न करने के लिए दिन के आधार पर एक दिन पर, पर्चा 3ए - पार्ट ई (पृथक्कृत फंड यूलिप उत्पाद के चालान निवेश विवरण)?</p> <p>18. जीवन बीमा कंपनी के मूल्य का खुलासा नीति विवेक बीमाकर्ता पॉलिसीधारक पोर्टल पर पॉलिसीधारक द्वारा आयोजित इकाइयों?</p> <p>19. जीवन बीमा निधि विवेक एनएवी (एसएफआईएन वार) का खुलासा बीमाकर्ता वेबसाइट और जीवन उसी दिन पर परिषद की वेबसाइट पर?</p> <p>20. मानक संचालन प्रक्रिया है (एसओपी) बीमाकर्ता की निवेश समिति द्वारा मंजूरी दे दी है?</p> <p>21. क्या एसओपी, प्रत्येक निवेश की श्रेणी के लिए ही है सभी फंड (ओं) के पार?</p> <p>22. क्या बीमा कंपनी की एसओपी में निवेश के "प्रत्येक" श्रेणी के लिए, (आईएनव्ही/जीएलएन/001/2003-04 दिशानिर्देश के रूप में समय - समय पर संशोधन, प्राधिकरण द्वारा जारी) के अनुसार फ्रंट ऑफिस /बैंक ऑफिस/मिडऑफिस द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को कहा गया है</p> <p>23. क्या सभी निवेश (100%) आईसी से अनुमोदित एसओपी में है ?</p>		

अनुभाग	मानदंड	एक्सपोजर / अन्य मानदंड विनियमन, के अनुसार	आवश्यक मानदंड का अनुपालन? (हां / नहीं)	टिप्पणियाँ
		<p>24. तिमाही के दौरान किए गए निवेश, निवेश की 'संपूर्ण श्रेणियों' के भीतर हैं आईएनवी/जीएलएन/001/2003-04 दिशानिर्देश, के रूप में समय - समय पर संशोधन के तहत निर्धारित हैं?</p> <p>25. तिमाही के दौरान बीमाकर्ता के किसी भी व्युत्पन्न स्थिति (ब्याज दरों की अदला-बदली और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप सहित) ले लिया है? यदि हाँ:</p> <p>क. डेरिवेटिव्स नीति बीमाकर्ता की बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है?</p> <p>ख. बीमाकर्ता ऐसे डेरिवेटिव्स नीति के लिए आईआरडीए के पूर्व अनुमोदन ले लिया है?</p> <p>ग. यदि हाँ, तो वहाँ बचाव जा जोखिम की पहचान करने के लिए एक प्रक्रिया है [जीवन बीमा कंपनियों के मामले में फंड के लिहाज से ]?</p> <p>घ. ऐसे व्युत्पन्न स्थिति आईआरडीए के दिशानिर्देशों के साथ अनुपालन?</p> <p>ङ. व्युत्पन्न जोखिम ले लिया है, स्पष्ट रूप से पोर्टफोलियो के जोखिम के साथ की पहचान कर रहे हैं बचाव?</p> <p>च. बीमाकर्ता के विनियामक जानकारी / जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत आवश्यक रिटर्न दायर किया?</p> <p>26. अचल संपत्ति में 27ए अधिनियम के खंड (1) (एन) के तहत कवर किया जाता है निवेश निवेश के समय से अधिक नहीं हो, निवेश के 5% संपत्ति भीतर करेगा, प्रति फ़ार्म 3बी (पार्ट ए) / सामान्य बीमाकर्ता की मामले में लाइफ फंड के 5% के भीतर, पेंशन एंड सामान्य वार्षिकी फंड प्रति प्रपत्र 3ए के रूप में (पार्ट ए) जीवन बीमा के मामले में.</p>		

अनुभाग	मानदंड	एक्सपोजर / अन्य मानदंड विनियमन, के अनुसार	आवश्यक मानदंड का अनुपालन ? (हां / नहीं)	टिप्पणियाँ
		<p>27. अचल संपत्ति में निवेश यूलिप फंड से बाहर किया गया है?</p> <p>28. आईपीओ के माध्यम से इक्विटी शेयरों में निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड, वैचर फंड सेबी वैकल्पिक निवेश फंड, कॉर्पोरेट बी दूसरी रिवर्स आर आईओ, आईडीएफ (विनियमन 9के रूप में प्रति नोट 2) बैंक टीयर - में पूंजी सदा डीईबीटी प्रतिभूति को मंजूरी दे दी और ऋण सी बैंक अपर टियर-11 पूंजी, प्रासंगिक समय - समय पर इस संबंध में जारी किए गए परिपत्रों के साथ अनुपालन में बनाया पूंजी प्रतिभूति?</p> <p>29. परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश, पीटीसी, एसआरएस दोनों श्रेणी के अंतर्गत स्वीकृत और अन्य निवेश, जीवन कंपनियों के मामले में निवेश की संपत्ति के 10% के भीतर किए गए और गैर के मामले में निवेश की संपत्ति के 5% - जीवन कंपनियों</p> <p>30. आवास या बुनियादी सुविधाओं परिसंपत्तियों अंतर्निहित, अगर डॉव नीचे डाउनग्रेड एएए या समकक्ष के साथ किसी भी प्रतिभूतिकृत संपत्ति अन्य निवेश के रूप में पुनर्वर्गीकृत</p> <p>बी. निवेश परिचालन / जोखिम पर पुष्टि</p> <p>1. शेयरधारकों धन विभाजन फंड प्रपत्र 3ए में शोधन क्षमता (एफआरएसएम) मार्जिन ( हिस्सा ए) का प्रतिनिधित्व किया गया है?</p> <p>2. यदि धन ऊपर 1 बिंदु प्रति के रूप में विभाजित कर रहे हैं, एफआरएसएम और शेष के बीच, एक ही अलग संरक्षक खाते में दोनों के जीवन और जनरल सहित पुन बीमा</p>		



अनुभाग	मानदंड	एक्सपोजर / अन्य मानदंड विनियमन, के अनुसार	आवश्यक मानदंड का अनुपालन ? (हां / नहीं)	टिप्पणियाँ
		<p>कंपनियों के लिए 'स्क्रिप' की पहचान के साथ बनाए रखा गया है और फॉर्म 3ए के साथ समझौता (एक हिस्सा) / 3बी फॉर्म?</p> <p>3. प्रत्येक पृथक्कृत निधि [एसएफआईएन] अंतर्निहित है 'स्क्रिप' अभिरक्षक स्तर तक पहचान की है?</p> <p>4. क्या प्रत्येक 'पृथक्कृत फंड' [एसएफआईएन] स्वीकृत निवेश के रूप में अधिनियम में परिभाषित के 75% से कम नहीं है?</p> <p>5. सभी संपत्ति या प्रतिभूति में सभी निवेश जो रेटड सक्षम हैं रेटिंग प्रतिभूति रेटिंग के आधार पर बना रहे हैं न की आधार पर करता है (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ सावधि जमा को छोड़कर)</p> <p>6. ए.ए. द्वारा रेट किए हुए ऋण प्रतिभूति में निवेश किया है - (ए.ए. ऋण) या नीचे अन्य निवेश के तहत वर्गीकृत?</p> <p>7. एक पब्लिक लिमिटेड विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बुनियादी ढांचा क्षेत्र में लगे में किए गए निवेश विनियमन 9 (बी) (i) तहत परियोजना लागत राशि (या) के 20% के भीतर है, जो भी कम है?</p> <p>8. अगर ऊपर बात का जवाब 'हां' है, सभी विनियमन 9 नोट 4 के तहत वर्णित आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है?</p>		

अनुभाग	मानदंड	एक्सपोजर / अन्य मानदंड विनियमन, के अनुसार	आवश्यक मानदंड का अनुपालन ? (हां / नहीं)	टिप्पणियाँ
		<p>9. गिरवी समर्थित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश [ एमबीएस / समर्थन एसेट्स प्रतिभूति [एमबीएस नोट 5 की आवश्यकताओं के साथ 9 नियमन का अनुपालन?</p> <p>10. हा 'प्रत्येक' खरीद और निवेश की बिक्री, रूप में सौदा स्लिप में उल्लेख किया है, 'प्रत्येक' निधि / अलग निधि को सम्मान के साथ की पहचान की यूलिप धन के संबंध में?</p> <p>11. कम कारोबार इक्विटी (सेबी के मानदंडों के अनुसार) "अन्य निवेश" के रूप में वर्गीकृत किया है?</p> <p>12. अंतर कोष हस्तांतरण, परिपत्र आईआरडीए एफए/ 10 /02 2003-04 और किसी भी अन्य यूलिप फंडों के बीच समय - समय पर जारी किए गए परिपत्र के अनुसार के रूप में बाजार घंटे के दौरान किया गया है, और मौजूदा कीमत पर इक्विटी और ऋण के लिए और के आधार पर नहीं बोली दलाल?</p> <p>13. 'प्रत्येक' (बंद पॉलिसी फंड (डीपीएफ) सहित) पृथक्कृत फंड सम्मान के साथ यूलिप व्यापार के मामले में, चाहे "इकाइयों" की सुलह किया गया है, पॉलिसी व्यवस्था प्रणाली (पीए) और निवेश लेखा प्रणाली के बीच एक पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली के माध्यम से प्रक्रिया</p>		

अनुभाग	मानदंड	एक्सपोजर / अन्य मानदंड विनियमन, के अनुसार	आवश्यक मानदंड का अनुपालन ? (हां / नहीं)	टिप्पणियाँ
		<p>एकीकरण का उपयोग करने के लिए मैन्युअल के हस्तक्षेप के बिना निर्बाध आंकड़ा हस्तांतरण सुनिश्चित?</p> <p>14. निवेश प्रबंधन, प्राथमिक डाटा सर्वर देश के भीतर रखा है.</p> <p>15. क्या बैंक और संरक्षक रिकॉर्ड के साथ प्रत्येक अलग कोष के लिए दिन के लिए दिन के आधार पर</p> <p>16. बीमा कंपनी, मेल मिलाप निवेश, निधि वार, प्रत्येक फंड के लिए अभिरक्षक रिकॉर्ड के साथ गैर - यूलिप व्यापार है सामान्य बीमा कारोबार के मामले में बीमा कंपनी, मेल मिलाप निवेश खातों, है?</p> <p>17. प्रत्येक कोष (यूलिप सहित) के निवेश के रूप में आईआरडीए में निर्धारित किया है (वित्तीय विवरण और बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के मूल्यांकन है?</p> <p>18. क्या किसी भी बंद नीतियाँ फंड (डी पी एफ) देनदारियों को पूरा करने में की कमी है?</p> <p>19. यदि उपरोक्त बात के लिए जवाब हाँ है तो, बीमाकर्ता एक त्रैमासिक आधार पर कमी के लिए प्रावधान करता है?</p> <p>20. सभी नकारात्मक रिपोर्ट 4ए रूप में (भाग ए) प्रदान की है.</p> <p>21. प्रत्येक अलग फंड की एनएवी [एसएफआईएन] इसकी घोषणा से पहले अंकित /</p>		

अनुभाग	मानदंड	एक्सपोजर / अन्य मानदंड विनियमन, के अनुसार	आवश्यक मानदंड का अनुपालन ? (हां / नहीं)	टिप्पणियाँ
		<p>आंतरिक समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा एक दिन के लिए दिन के आधार (टी0 के आधार पर) पर किया गया है?</p> <p>22. बीमा कंपनी को इस तिमाही के दौरान किसी भी नए फंड जारी किया गया है?</p> <p>23. अगर ऊपर बात का जवाब 'हां', है तो फंड अनुमोदन प्रक्रिया और एनएव्ही प्रक्रिया पर दिशानिर्देश के संबंध में परिपत्र आईआरडीए / एफ और / सीआईआर / आईएनव्ही /173/08/2011 दि. 29 जुलाई, 2011 के साथ पालन किया है?</p> <p>24. बीमा कंपनी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन रेटिंग से अलग, अपने उत्पाद की जटिलता और हर किए-गए निवेश के लिए अपने स्वयं के जोखिम विश्लेषण के अनुरूप आयोजन किया है.</p>		

**प्रमाणन**

प्रमाणित किया जाता है कि अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार यहाँ दी गई जानकारी सही, पूर्ण हैं और कुछ भी छुपाया या दबाया नहीं गया है

हस्ताक्षर: .....

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

तिथि:

हस्ताक्षर: .....

मुख्य वित्त अधिकारी

निवेश मुख्य अधिकारी

हस्ताक्षर:

क्रमांक - 4 (10 विनियमन के साथ पृष्ठ) बीमा कंपनी के नाम: पंजीकरण संख्या: व्यवस्थापक के नाम:	भाग बी	अनुबंध उल्लेख	लेखा परीक्षा उद्देश्य	लेखा परीक्षा अवलोकन	गैर अनुपालन की गंभीरता	अनुपालन के लिए कदम	एम एस एम / वाईवाईवाईवाई आवश्यकता के साथ पालन करने के लिए बीमाकर्ता इच्छा को बौद्धिक द्वारा प्रतिबद्ध	संबत (या) प्रदान बीमाकर्ता द्वारा प्रदर्शन, लेखा परीक्षक के लिए आवश्यकता के साथ अनुपालन	विचारक समय सीमा को लागू करने प्रणाली और प्रक्रियाओं पर इच्छा की कमी का पालन न करने पर बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की रिपोर्टिंग
संख्या:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
रिफरेंस नंबर के मुद्दे (एस)									
नो									
मुद्दे पर मौजूदा निमाही में अनुपालन									
<b>प्रमाण पत्र</b>									
हम प्रमाणित करते हैं कि सभी मुद्दों के लिए निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन पर इच्छा को निमाही के लिए हो सकता है और पिछली निमाही के लौकिक मुद्दों (ओआईआर) के रूप में कने के लिए प्रतिबद्ध है, और के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध जारी किए हैं, परिपत्र आईएनएल/सीआईआर/008/2008-09 दि. 22 अगस्त, 2008, उपरोक्त तालिका में शामिल किया गया है.									
स्थान:									
तिथि:									
नाम:									
1. संख्या में उपरोक्त तालिका में सूची के अंतर्गत प्रति के रूप में निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया के कार्यान्वयन को प्रमाणित करने के लिए नियुक्त समीक्षा लेखाकर्ता द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के लिए अनुबंध (एस) के प्रति के रूप में होगा									
2. यदि सभी मुद्दों के साथ पालन किया गया है और नहीं मुद्दों को सूचित किया जाता है, एक शून्य बयान दर्ज किया जाना चाहिए									

662 9713-16



फार्म - 4ए ( विनियमन 10 के साथ पढ़ें)						भाग बी		
बीमा कंपनी के नाम:								
पंजीकरण संख्या:								
			प्रपत्र 3ए प्रति के रूप में इस तिमाही के लिए कुल निवेश संपत्ति:					
वक्तव्य दि. पर:						र. कराड़		
ऋण मानदंड का अनुपालन प्रमोटर ग्रुप								
संख्या:	समूह की कंपनी का नाम	समूह के 9 नियमन के अनुसार पात्रता सीमा	वास्तविक निवेश (संचयी)	विचलन	विचलन के विनियमन करने के लिए सम्मान के साथ%			
क	ख	ग	घ	च = घ-ग	छ			
<b>प्रमाणन</b>								
प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ दी गई जानकारी सही, पूर्ण और कुछ भी नहीं छुपा कर लिया गया है या दबा अपने ज्ञान और विश्वास का सबसे अच्छा करने के लिए कर रहे हैं.								
तिथि:						हस्ताक्षर:		
						पूरा नाम:		
						मुख्य वित्त कार्यालय		
नोट:								
1. उपरोक्त तालिका में अपने कुल निवेश का कुल में पालन किया जाएगा								
2. एक्सचेंजर गैर - यूनिट लिक्विड कोष के लिए और यूनिट के लिए बाजार मूल्य पर बुक वैल्यू के आधार पर फंड जोड़ा जाएगा								

फार्म - 4ए								
(10 विनियमन के साथ पढ़ें)					भाग ग			
बीमा कंपनी नाम:								
पंजीकरण संख्या:								
वक्तव्य दि पर :					रु. करोड़			
			प्रपत्र 3ए प्रति के रूप में कुल निवेश संपत्ति:					
जॉयंट अनुपालन समूह मानदंड								
संख्या:	समूह की कंपनी का नाम	समूह के 9 नियमन के अनुसार पात्रता सीमा	वास्तविक निवेश (संचयी)	विचलन	विचलन के विनियमन करने के लिए सम्मान के साथ%			
क	ख	ग	घ	च = घ-ग	छ			
प्रमाणन								
प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ दी गई जानकारी सही, पूर्ण और कुछ भी नहीं छुपा कर लिया गया है या दबा अपने ज्ञान और विश्वास का सबसे अच्छा करने के लिए कर रहे हैं.								
					हस्ताक्षर:			
					पूरा नाम:			
					मुख्य वित्त अधिकारी			
नोट:								
1. तालिका के ऊपर जीवन, पेंशन, और जनरल वार्षिकी और समूह व्यापार के लिए और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक जुदा फंड (एसएफआईएन) के लिए और एसेट्स में अलग से अनुपालन करेगा प्रबंधन स्तर के तहत अपने कुल निवेश संपत्ति								
2. एक्सपोजर गैर - यूनिट लिक्विड कोष के लिए और यूनिट के लिए बाजार मूल्य पर बुक वैल्यू के आधार पर फंड जोड़ा जाएगा								









फार्म - 5ए											
( विनियमन 10 के साथ पढ़ें )											
बीमा कंपनी के नाम:											
पंजीकरण संख्या:											
वक्तव्य दि पर:											
इस कोष का नाम:											
म्यूचुअल फंड में निवेश का विवरण											
प्रस्तुत करने की नियत काल:											
वैसाखिफ											
व्यक्ति	सीआईआई	सेशन. सेष		तिमाही लिए खरीद		तिमाही के लिए बिक्री		सीएन. सेष		बाजार मूल्य	% सामान कुल.
		इकाइयां	राशि	इकाइयां	राशि	इकाइयां	बिक्री की लागत	इकाइयां	वही मूल्य		
स्वीकृत निवेश											
एमएफ - / गिल्ट जी सेक / लिक्विड योजनाएं											
इंजीएमएफ											
0											
0											
0											
कुल (एक)											
म्यूचुअल फंड - (बीमाकर्ता प्रमोटर ग्रुप के तहत)											
इएमपीजी											
0											
0											
0											
कुल (बी)											
कुल (एक बी +)											
अन्य निवेश											
म्यूचुअल फंड - ऋण आय // सीरियल / लिक्विड फंड											
ओएमजीएस											
0											
0											
0											
कुल (सी)											
म्यूचुअल फंड - (बीमाकर्ता प्रमोटर ग्रुप के तहत)											
ओएमपीजी											
0											
0											
0											
कुल (डी)											
कुल (सी डी)											
कुल (ए + बी + सी + डी)											
प्रमाणन											
प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ दी गई जानकारी सही, पूर्ण और कुछ भी नहीं छुपा कर लिया गया है या दबा अपने नान और विश्वास का सबसे अच्छा करने के लिए कर रहे हैं.											
इस्तेाहार:											
पूरा नाम:											
मुख्य विल्ल											
तिथि:											
नोट											
1. फार्म 5ए लाइफ, पेंशन, और जनरल वाषिकी और समूह व्यापार और यूलिप धन के संबंध में तैयार किया जाएगा											
2. प्रत्येक फार्म 5ए के उप कुल प्रपत्र 5 में इसी मद को लिंक किया जाएगा.											
3. अन्य निवेश के रूप में सेक (2) 27A और बीमा अधिनियम 1938 (3) 27B, के तहत अनुमति दी जाती											
4. फार्म 5 की तैयारी पर दिशा - निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.											
5. आईएनवी/सीआईआर/008/2008-09 दि: निवेश परिपत्र में निदिष्ट मानदंडों के अतिरिक्त में तरल और गिल्ट म्यूचुअल फंडों में बनाया है. 2 अगस्त, 2008: 5 प्वाइंट के तहत, के तहत रिपोर्ट की जाएगी											
6. फार्म 5A प्रत्येक निधि के संबंध में तैयार किया जाएगा. यूलिप 5 फार्म के मामले में भी पृथक्कृत फंड (एसएफआईएन) के स्तर पर और समेकित स्तर पर तैयार किया जाएगा.											

फार्म - 6								
(10 विनियमन के साथ पढ़ें)								
बीमा कंपनी के नाम:								
पंजीकरण संख्या:								
वक्तव्य पर के रूप में:								
धारा 28 (2) / 28 (2बी) / 28बी बीमा अधिनियम (3), 1938 के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की नियत काल: त्रैमासिक								
करोड़ रु								
संख्या:	निवेश ब्यारे	की निगरानी में						
		बैंक / हिरासत (रुपए)		स्व (रुपए)		अन्य (रुपए)		कुल (रुपए)
		शेयर धारकों	पॉलिसी धारकों	शेयर धारकों	पॉलिसी धारकों	शेयर धारकों	पॉलिसी धारकों	एसएच + पीएच
1	केन्द्रीय सरकार/सिक्वोरिटी							
2	केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ							
3	निवेश ऋण मानदंड विषय							
	ए. आवास और राज्य सरकार को ऋण, हाउसिंग एंड FFE के लिए							
	1. स्वीकृत निवेश							
	2. अन्य निवेश							
	बी. बुनियादी सुविधाओं में निवेश							
	1. स्वीकृत निवेश							
	2. अन्य निवेश							
	सी. स्वीकृत निवेश							
	डी. अन्य निवेश							
	कुल							
	प्रमाण पत्र							
	हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त प्रतिभूतियों के किसी भी भार, प्रभारी, गिरवी, के रूप में ऊपर लिखि पर या धारणाधिकार से मुक्त आयोजित कर रहे हैं.							
	हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर:				हस्ताक्षर:		
	पूरा नाम:	पूरा नाम:				पूरा नाम:		
	अध्यक्ष	निदेशक 1				2 निदेशक		
						हस्ताक्षर:		
						पूरा नाम:		
						प्रधान अधिकारी		
	नोट:							
	1. कस्टोडियन को प्रमाणित करना चाहिए कि वह सबी (प्रतिभूतियों की कस्टोडियन) विनियम, 1996 के							
	2. मूल्य सिक्वोरिटीज के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा							
	3. जीवन बीमा कारोबार के मामले में, फार्म-6 पृथक्कृत फंड के लिए प्रत्येक निधि के संबंध में और कुल में							
	4. प्रमाणपत्र के तहत मान / खरीदा और निपटान का इतजार कर निवेश की खरीद और बिक्री के लिए समायोजित किया जाना चाहिए.							
	इस आशय का सुलह प्रमाणपत्र से जुड़ी होनी चाहिए.							



**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY****NOTIFICATION**

Hyderabad, the 16th February, 2013

**Insurance Regulatory and Development Authority  
(Investment) (Fifth Amendment) Regulations, 2013**

**F. No. IRDA/Reg./16/74/2013.**—In exercise of the powers conferred by Sections 27A, 27B, 27D and 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to further amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, notified on 16<sup>th</sup> August, 2000 in the Gazette of India and amended on 31<sup>st</sup> May 2001 in the Gazette of India, further amended on 2<sup>nd</sup> April, 2002 in the Gazette of India and further amended on 5<sup>th</sup> January 2004 and further amended on 31<sup>st</sup> Jul, 2008 and further amended on 8<sup>th</sup> Feb, 2013 namely:-

**1. Short title and commencement:**

- (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) (Fifth Amendment) Regulations, 2013
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

**2. Amendment to Regulation 2:**

**Regulation 2** of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000 shall be substituted with the following:-

**“Definitions**

2. In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)
- (b) “Accretion of funds” means investment income, gains on sale/redemption of existing investment and operating surplus
- (c) “Accounting Standard” (AS) means: Accounting Standard as recommended by the Institute of Chartered Accountants of India and notified by the Central Government under the Companies Act, 1956 or any successor enactment thereunder
- (d) “Authority” means the Insurance Regulatory and Development Authority established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999)
- (e) “Financial Derivatives” means a derivative as defined under clause (aa) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, and includes a contract which derives its value from interest rates of underlying debt securities and such other derivative contracts as may be stipulated by the Authority, from time to time
- (f) “Group” means: two or more individuals, association of individuals, firms, trusts, trustees or bodies corporate, or any combination thereof, which exercises, or is established to be in a position to exercise, significant influence and / or control, use of common brand names, directly or indirectly, over any

associate as defined in AS 23, body corporate, firm or trust, or (ii) Associated persons, as may be stipulated by the Authority, from time to time, by issuance of guidelines under these regulations.

(g) "**Investment Assets**" mean all investments made out of:

(1) in the case of a Life Insurer

- (a) shareholders' funds representing solvency margin, non-unit reserves of unit linked insurance business, participating and non-participating funds of policyholders at their carrying value
- (b) policyholders' funds of Pension, Annuity business and Group business at their carrying value
- (c) policyholders' unit reserves of unit linked insurance business at their market value as per guidelines issued under these regulations, from time to time

(2) in the case of a General Insurer

- (a) shareholders' funds representing solvency margin and policyholders funds at their carrying value

as shown in its balance sheet drawn as per the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2000, but excluding items under the head 'Miscellaneous Expenditure'

(h) **Money Market Instruments**

Money Market Instruments shall comprise of Short term funds with maturity not more than one year comprising of the following instruments:

1. Certificate of deposit rated by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999
2. Commercial paper rated by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999
3. Repos, Reverse Repo
4. Treasury Bills
5. Call, Notice, Term Money
6. CBLO as per Schedules I and II of these Regulations.
7. Any other instrument as may be prescribed by the Authority

(i) "**Promoter**" means a promoter as defined under Regulation 2 (m) of IRDA (Issuance of Capital by Life Insurance Companies) Regulations, 2011

(j) "**Principal Officer**" means any person connected with the management of an insurer or any other person upon whom the Authority has served notice of its intention of treating him as the principal officer thereof.

(k) All words and expressions used herein and not defined but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Act, 1999 (41 of 1999), or in any Rules or Regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations"

### 3. Amendment of Regulation 3:

Regulation 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000 shall be substituted with the following:-

#### "Regulation of Investments

3. A life insurer, for the purpose of these Regulations, shall invest and at all times keep invested, the Investment Assets forming part of the Controlled Fund as defined in Section 27A of the Act as under:



- a. all funds of Life insurance business and One Year Renewable pure Group Term Assurance Business (OYRGTA), and non-unit reserves of all categories of Unit linked life insurance business, as per Regulation 4
- b. all funds of Pension, Annuity and Group Business [as defined under Regulation 2 (d) of IRDA (Actuarial Report and Abstract) Regulations, 2000] as per Regulation 5; and
- c. the unit reserves portion of all categories of Unit linked funds, as per Regulation 6”

**4. Insert New Regulation 4:**

Insert the following **New Regulation 4** to the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000:-

“4. Without prejudice to Sections 27 or 27A of the Act, every insurer carrying on the business of Life Insurance, shall invest and at all times keep invested his Investment Assets as defined in Regulation 3 (a) (other than funds relating to Pension & General Annuity and Group Business and unit reserves of all categories of Unit Linked Business) in the following manner:

No	Type of Investment	Percentage to funds as under Regulation 3(a)
(i)	Central Government Securities	Not less than 25%
(ii)	Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities	Not less than 50% (incl (i) above)
(iii)	Approved Investments as specified in Section 27A of the Act and Other Investments as specified in Section 27A(2) of the Act and Schedule I to these Regulations, (all taken together) subject to Exposure / Prudential Norms as specified in Regulation 9:	Not exceeding 50%
(iv)	Other Investments as specified under Section 27A (2) of the Act, subject to Exposure / Prudential Norms as specified in Regulation 9:	Not exceeding 15%
(v)	Investment in housing and infrastructure by way of subscription or purchase of: <p><b>A. Investment in Housing</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bonds / debentures of HUDCO and National Housing Bank</li> <li>b. Bonds / debentures of Housing Finance Companies either duly accredited by National Housing Banks, for house building activities, or duly guaranteed by Government or carrying current rating of not less than 'AA' by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999</li> <li>c. Asset Backed Securities with underlying housing loans, satisfying the norms specified in the guidelines issued under these regulations from time to time.</li> </ol> <p><b>B. Investment in Infrastructure</b></p> <p>(Explanation: Subscription or purchase of Bonds /</p>	Total Investment in housing and infrastructure (i.e.,) investment in categories (i), (ii), (iii) and (iv) above taken together shall not be less than 15% of the fund under Regulation 3(a)

No	Type of Investment	Percentage to funds as under Regulation 3(a)
	<p><i>Debentures, Equity and Asset Backed Securities with underlying infrastructure assets would qualify for the purpose of this requirement.</i></p> <p><i>'Infrastructure facility' shall have the meaning as given in clause (h) of regulation 2 of Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Amendment Regulations, 2008 as amended from time to time</i></p> <p><i>Note: Investments made under category (i) and (ii) above may be considered as investment in housing and infrastructure, provided the respective government issues such a security specifically to meet the needs of any of the sectors specified as 'infrastructure facility'</i></p>	

**5. Insert New Regulation 5:**

Insert the following New Regulation 5 to the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000:-

*"5. Without prejudice to Sections 27 or 27A of the Act, every insurer carrying on Pension, Annuity and Group Business [as defined under Regulation 2 (d) of IRDA (Actuarial Report and Abstract) Regulations, 2000] shall invest and at all times keep invested his Investment Assets of Pension, Annuity and Group business in the following manner:*

No	Type of Investment	Percentage to funds under Regulation 3(b)
(i)	Central Government Securities	Not less than 20%
(ii)	Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities	Not less than 40% (incl (i) above)
(iii)	Balance to be invested in Approved Investments, as specified in Schedule I, subject to Exposure / Prudential norms as specified in Regulation 9.	Not exceeding 60%

*Note: For the purposes of this regulation no investment falling under 'Other Investments' as specified under 27A (2) of the Act shall be made"*

**6. Insert New Regulation 6:**

Insert the following New Regulation 6 to the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000:-

*"6. Unit Linked Insurance Business: - Every insurer shall invest and at all times keep invested his segregated fund(s) under Regulation 3(c) (with underlying securities at custodian level) of Unit linked business as per pattern of investment offered to and approved by the policy-holders where the units are linked to categories of assets which are both marketable and easily realizable. However the investment in Approved Investments shall not be less than 75% of such fund(s) in each such segregated fund"*

**7. Amendment to Regulation 4:**

**Regulation 4** of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, shall be substituted with the following:-

**“Regulation of Investments**

7. *General Insurance Business – without prejudice section 27B of the Act, every General insurer (including Health insurer) shall invest and at all times keep invested his investment assets in the manner set out below:*

No	Type of Investment	Percentage of Investment Assets
(i)	Central Government Securities	Not less than 20%
(ii)	Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities	Not less than 30% (incl (i) above)
(iii)	Approved Investments as specified in Section 27B of the Act and Other Investment as specified in Section 27B(3) of the Act and Schedule II to these Regulations, (all taken together) subject to Exposure / Prudential Norms as specified in Regulation 9:	Not exceeding 70%
(iv)	Other investments as specified under Section 27B (3) of the Act, subject to Exposure / Prudential Norms as specified in Regulation 9:	Not more than 25%
(v)	<p>Housing and loans to State Government for Housing and Fire Fighting equipment, by way of subscription or purchase of:</p> <p><b>A. Investments in Housing</b></p> <p>a. Bonds / Debentures issued by HUDCO, National Housing Bank</p> <p>b. Bonds / debentures of Housing Finance Companies either duly accredited by National Housing Banks, for house building activities, or duly guaranteed by Government or carrying current rating of not less than 'AA' by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999</p> <p>c. Asset Backed Securities with underlying Housing loans, satisfying the norms specified in the Guidelines issued under these regulations from time to time.</p> <p><b>B. Investment in Infrastructure</b></p> <p>(Explanation: Subscription or purchase of Bonds/ Debentures, Equity and Asset Backed Securities with underlying infrastructure assets would qualify for the purpose of this requirement.</p>	<p>Total Investment in housing (i.e.) investment in categories (i), (ii), (iii) and (iv) above taken together shall not be less than 5% of the Investment Assets.</p> <p>Total Investment in Infrastructure (i.e.) investment in categories (i), (ii), (iii) and (iv) above taken together shall not be less than 10% of the Investment</p>

No	Type of Investment	Percentage of Investment Assets
	<p><i>'Infrastructure facility'</i> shall have the meaning as given in clause (h) of regulation 2 of Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations, 2008 as amended from time to time.</p> <p><i>Note:</i> Investments made under category (i) and (ii) above may be considered as investment in housing or infrastructure, as the case may be, provided the respective government issues such a security specifically to meet the needs of any of the sectors specified as 'infrastructure facility'</p>	<p>Assets.</p>

**8. Insert New Regulation 8:**

Insert the following New Regulation 8 to the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000:-

**8. Reinsurance Business** – Every re-insurer carrying on re-insurance business in India shall invest and at all times keep invested his investment assets in the same manner as set out in Regulation 7

**9. Amendment of Note appended at the end of Regulation 4:**

Note appended at the end of Regulation 4 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, shall be substituted with the following:-

**"Note – For the purpose of Regulations 3 to 8:**

1. All investment in assets or instruments, which are capable of being rated as per market practice, shall be made on the basis of credit rating of such assets or instruments. No approved investment shall be made in instruments, if such instruments are capable of being rated, but are not rated.
2. The rating should be done by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999.
3. Corporate bonds or debentures rated not less than AA or its equivalent and P1 or equivalent ratings for short term bonds, debentures, certificate of deposit and commercial paper, by a credit rating agency, registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 would be considered as 'Approved Investments'.
4. The rating of a debt instrument issued by All India Financial Institutions recognized as such by RBI shall be of 'AA' or equivalent rating. In case investments of this grade are not available to meet the requirements of the investing insurance company, and Investment Committee of the investing insurance company is fully satisfied about the same, then, for the reasons to be recorded in the Investment Committee's minutes, the Investment Committee may approve investments in instruments carrying current rating of not less than 'A+' or equivalent as rated by a credit rating agency, registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, would be considered as 'Approved Investments'.
5. Approved Investments under regulations 4, 5, 6, 7 and 8 which are downgraded below the minimum rating prescribed should be automatically re-classified under 'Other Investments' category for the purpose of pattern of investment.

6. Investments in equity shares listed on a registered stock exchange should be made in actively traded and liquid instruments viz., equity shares other than those defined as thinly traded as per SEBI Regulations and guidelines governing mutual funds issued by SEBI from time to time.
- 7 (a) Not less than 75% of investment in debt instruments (including Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities) in the case of life insurer and not less than 65% of investment in debt instruments (including Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities) in the case of general insurer - shall be in sovereign debt, AAA or equivalent rating for long term and sovereign debt, P1+ or equivalent for short term instruments. This shall apply at segregated fund(s) in case of Unit linked business.
- (b) Not more than 5% of funds under Regulation 3 (a) and Regulation 3 (c) in debt instruments (including Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities) in the case of life insurer and not more than 8% of investment in debt instruments (including Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities) in the case of general insurer - shall have a rating of A or below or equivalent rating for long term.
- (c) No investment can be made in other investments out of funds under Regulation 3 (b).
- (d) Investments in debt instruments rated AA - (AA minus) or below shall form part of Other Investments.
8. Notwithstanding the above, it is emphasized that rating should not replace appropriate risk analysis and management on the part of the Insurer. The Insurer should conduct risk analysis commensurate with the complexity of the product(s) and the materiality of their holding, or could also refrain from such investments.

#### 10. Amendment of Regulation 5:

Regulation 5 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, shall be substituted with the following:-

#### 9. Exposure / Prudential Norms

Without prejudice to anything contained in Sections 27A and 27B of the Act every insurer shall limit his investment as per the following exposure norms:

##### A. Exposure norms for investment assets of:

1. (a) all funds of Life, insurance business and One Year Renewable pure Group Term Assurance Business (OYRGTA), and non-unit reserves of all categories of Unit linked life insurance business.
- (b) all funds of Pension, Annuity and Group Business [as defined under Regulation 2 (d) of IRDA (Actuarial Report and Abstract) Regulations, 2000].
- (c) the unit reserves portion of all categories of Unit linked funds, as per Regulation 6" Life, Pension, Annuity and Group business and each segregated fund within Unit Linked Insurance business (except for promoter group exposure).
2. General Insurance business,
3. Re-insurance Business

for both Approved Investments as per the Act, Schedule I and Schedule II of these Regulations, and Other Investments as permitted under 27A(2) and 27B(3) of the Act shall be as under.

662 9713-20

B. The maximum exposure limit for a single 'investee' company (equity, debt and other investments taken together) from all investment assets under point (A.1.a, A.1.b, A.1.c all taken together), (A.2) and (A.3) mentioned above, shall not exceed the lower of the following;

- (i) an amount of 10% of investment assets as under Regulation 2 (g) (1), Regulation 2 (g) (2)  
(ii) an aggregate of amount calculated under point (a) and (b) of the following table

Type of Investment (1)	Limit for 'Investee' Company (2)	Limit for the entire Group of the Investee Company (3)	Limit for Industry Sector to which Investee Company belongs (4)
<p>a. Investment in 'Equity', Preference Shares, Convertible Debentures</p>	<p>10% * of Outstanding Equity Shares (Face Value)  or  10% of the amount under point A.1.(a) or A.1.(b) or A.1.(c) above considered separately in the case of Life insurers / amount under A.2 or A.3 in the case of General Insurer / Re-insurer  <b>whichever is lower</b></p>	<p>Not more than 15% of the amount under point A.1.(a) or A.1.(b) or A.1.(c) or A.2 or A.3 or 15% of investment Assets in all companies belonging to the group, whichever is lower  Exposure to Investments made in companies belonging to Promoter Group shall be made as per Point 7 under notes to Regulation 9</p>	<p>Investment by the insurer in any industrial sector should not exceed 15% of the amount under point A.1.(a) or A.1.(b) or A.1.(c) or A.2 or A.3 or or 15% of investment Asset, whichever is lower  <b>Note: Industrial Sector shall be classified in the lines of National Industrial Classification (All Economic Activities) - 2008 [NIC] for all sectors, except infrastructure sector. Exposure shall be calculated at Division level from A to R. For Financial and Insurance Activities sector exposure shall be at Section level.</b></p>
<p>b. Investment in Debt / Loans and any other permitted Investments as per Act / Regulation other than item 'a' above.</p>	<p>10% * of the Paid-up Share capital, Free reserves (excluding revaluation reserve) and Debentures / Bonds of the 'Investee' company  or  10% amount under point A.1.(a) or A.1.(b) or A.1.(c) above considered separately in the case of Life insurers. An amount under A.2 or A.3 in the case of General Insurer / Re-insurer  <b>whichever is lower.</b></p>		<p>Exposure to 'infrastructure' investments are subject to Note: 1, 2, 3 and 4 mentioned below</p>

\* In the case of insurers having investment assets within the meaning of Regulation 2 (g) (1) and Regulation 2 (g) (2) of the under mentioned size, the (\*) marked limit in the above table for investment in equity, preference shares, convertible debentures, debt, loans or any other permitted investment under the Act / Regulations, shall stand substituted as under:

Investment assets	Limit for 'investee' company	
	Equity	Debt
Rs 250000 Crores or more	15% of outstanding equity shares (face value)	15% of paid up share capital, free reserves (excluding revaluation reserve) & debentures / bonds
Rs. 50000 Crores but less than Rs. 250000 Crores	12% of outstanding equity shares (face value)	12% of paid up share capital, free reserves (excluding revaluation reserve) & debentures / bonds
Less than Rs. 50000 Crores	10% of outstanding equity shares (face value)	10% of paid up share capital, free reserves (excluding revaluation reserve) & debentures / bonds

**Note:**

- 1 Industry sector norms shall not apply for investments made in 'Infrastructure facility' sector as defined under Regulation 2(h) of IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000 as amended from time to time. NIC classification shall not apply to investments made in 'Infrastructure facility'.
- 2 Investments in Infrastructure Debt Fund (IDF), backed by Central Government as approved by the Authority, on a case to case basis shall be reckoned for investments in Infrastructure.
- 3 Exposure to a public limited 'Infrastructure investee company' will be 20% of outstanding equity shares (face value) in case of equity (or) 20% of equity plus free reserves (excluding revaluation reserve) plus debentures / bonds taken together, in the case of debt (or) amount under Regulation 9 (B) (i), whichever is lower. The 20% mentioned above, can be further increased by an additional 5%, in case of debt instruments alone, with the prior approval of Board of Directors. The outstanding tenure of debt instruments, beyond the exposure prescribed in the above table, in an infrastructure Investee Company, should not be less than 5 years at the time of investment. In case of Equity investment, dividend track record as per Sec 27A (1) (l) and 27B (1) (h) of the Act, in the case of primary issuance of a wholly owned subsidiary of a Corporate / PSU shall apply to the holding company. However all investments made in an 'infrastructure investee company' shall be subject to group / promoter group exposure norms.
- 4 An insurer can, at the time of investing, subject to group / promoter group exposure norms, invest a maximum of 20% of the project cost (as decided by a competent body) of an Public Limited Special Purpose Vehicle (SPV) engaged in infrastructure sector (or) amount under Regulation 9 (B) (i), whichever is lower, as a part of Approved Investments provided:
  - a. such investment is in Debt
  - b. the parent company guarantees the entire debt extended and the interest payment of SPV
  - c. the principal or interest, if in default and if not paid within 90 days of the due date, such debt shall be classified under other investments.
  - d. the latest instrument of the parent company (ies) has (have) rating of not less than AA
  - e. such guarantee of the parent company (ies) should not exceed 20% of net worth of parent company (ies) including the existing guarantees, if any, given
  - f. the net worth of the parent company (ies), if unlisted, shall not be less than Rs. 500 crores or where the parent company (ies) is listed on stock exchanges having nationwide terminals, the net worth shall not be less than Rs. 250 Crores.

Investment Committee should continuously evaluate the risk of such investments and take necessary corrective actions where the parent company (ies) is floating more than one SPV.

- 5 Investment in securitized assets [Mortgaged Backed Securities (MBS) / Asset Backed Securities (ABS) / Security Receipts (SR) both under approved and other investment category shall not exceed 10% of Investment Assets in case of Life companies and 5% of Investment Asset in the case of Non-life companies. Approved Investment in MBS / ABS with underlying Housing or Infrastructure Assets shall not exceed 10% of investment assets in the case of life companies and not more than 5% of investment assets in the case of non-life companies. Any MBS / ABS with underlying housing or infrastructure assets, if downgraded below AAA or equivalent, shall be reclassified as Other Investments.
- 6 Investment in immovable property covered under Section 27A (1) (n) of the Act shall not exceed, at the time of investment, 5% of (a) Investment Assets in the case of general insurer and (b) 5% of Investment Assets of funds relating to life funds, pension, annuity and group funds in the case of life insurer.
- 7 Subject to exposure limits mentioned in the table above, an insurer shall not have investments of more than 5% in aggregate of its total investments in all companies belonging to the promoters' groups. Investment made in all companies belonging to the promoters' group shall not be made by way of private placement (equity) or in unlisted instruments (equity, debt, certificate of deposits and fixed deposits (without prejudice to Section 27A (9) and Section 27B (10) of the Act) held in a Scheduled Commercial Bank), except for companies formed by Insurers under Sec 27A (4) or Sec 27B (5) of the Act.
- 8 The exposure limit for financial and insurance activities (as per Section K of NIC classification - 2008) shall stand at 25% of investment assets for all insurers.
- 9 Investment in fixed deposit and certificate of deposit of a Scheduled Bank shall be made in terms of the provisions of Section 27A (9) and Section 27B (10) of the Act. Such investments would not be deemed as exposure to financial and insurance activities (as per Section K of NIC classification - 2008).

**7. Amendment of Regulation 6:**

**Regulation 6** of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, shall be substituted with the following:-

**"10. Returns to be submitted by an Insurer**

Every insurer shall submit to the Authority the following returns within such time, at such intervals duly verified/certified in the manner as indicated there against.

No	Form	Description	Periodicity of Return	Time limit for submission	Verified / Certified by
1	Form 1	Statement of Investment and Income on Investment	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)/Chief of (Finance)
2	Form 2 (Part A, B)	Statement of Downgraded Investments, Details of Rated Instruments	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)/Chief of (Finance)
3	Form 3A (Part A, B, C, D,E)	Statement of Investments Assets (Life Insurers)	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)/Chief of (Finance)
4	Form 3B (Part A, B)	Statement of Investment Assets	Quarterly	Within 30 days of the	Principal Officer / Chief of



No	Form	Description	Periodicity of Return	Time limit for submission	Verified / Certified by
		(General Insurance & Re-insurer)		end of the Quarter	(Investments)/Chief of (Finance)
5	Form 4 (Part A)	Exposure / Prudential and other Investment Norms – Compliance Certificate	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Principal Officer, Chief of (Investments), Chief of (Finance)
6	Form 4 (Part B)	Internal / Concurrent Auditor's Certificate on Investment Risk Management Systems - Implementation Status	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Internal / Concurrent Auditor appointed under this regulation
7	Form 4A (Part A, B, C)	Statement of Investment Subject to Exposure Norms – Investee Company, Group, Promoter Group, Industry Sector	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)/Chief of (Finance)
8	Form 5	Statement of Investment Reconciliation	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)/Chief of (Finance)
9	Form 5A	Statement of Investment in Mutual Funds	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)/Chief of (Finance)
10	Form 6	Certificate under sections 28 (2A), 28 (2B) and 28B (3) of the Insurance Act, 1938	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Chairman, Director 1, Director 2, Principal Officer
11	Form 7	Statement of Non-Performing Assets	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)/Chief of (Finance)

662 G 13-21

**Note:**

1. *The Internal / Concurrent Audit Report of the previous quarter with comments of Audit Committee of the Board, on 'very serious', 'serious' points (as per the Technical Guide on Internal / Concurrent Audit of Investment functions of Insurance Companies, issued by the Institute of Chartered Accountants of India) in the report, and status of implementation of Audit committee recommendation shall be filed with the Authority along with current quarter returns.*
2. *All returns for the quarter ending March shall be filed within the period stipulated above based on provisional figures and later re-submitted with Audited figures within 15 days of adoption of accounts by the Board of Directors.*

**8. Amendment of Regulation 7:**

**Regulation 7** of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, shall be substituted with the following:-

**11. Power to call for additional information.**

*The authority may, by general or special order, require from the insurers such other information in such manner, intervals and time limit as may be specified therein.*

**9. Amendment of Regulation 8:**

**Regulation 8** of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, shall be substituted with the following:-

**12. Duty to Report extraordinary events affecting the investment portfolio.**

*Every insurer shall report to the Authority forthwith, the effect or the probable effect of any event coming to his knowledge, which could have material adverse impact on the investment portfolio and consequently on the security of policy-holder benefits or expectations.*

**10. Amendment of Regulation 9:**

**Regulation 9** of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, shall be substituted with the following:-

**"13. Provisions on Investment Management****A. Constitution of Investment Committee**

1. *Every insurer shall constitute an Investment Committee which shall consist of a minimum of two non-executive directors of the Insurer, the Chief Executive Officer, Chief of Finance, Chief of Investment division, and wherever an appointed actuary is employed, the Appointed Actuary. The decisions taken by the Investment Committee shall be recorded and be open to inspection by the officers of the Authority.*

**B. Investment Policy**

1. *Every Insurer shall draw up, an Investment Policy (fund wise IP in the case of Unit Linked Insurance Business) and place the same before its Board of Directors for its approval and its annual review.*
2. *Every insurer shall have a model code of conduct to prevent insider / personal trading of Officers involved in various levels of Investment Operations in compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 1992 as amended from time to time and place the same before its Board of Directors for its approval.*
3. *While framing the Investment Policy, the Board shall ensure compliance with the following:*
  - (i) *Issues relating to liquidity, prudential norms, exposure limits, stop loss limits including securities trading, management of all investment risks, management of assets liabilities mismatch, Scope of*

*Internal or Concurrent audit of Investments and investment statistics and all other internal controls of investment operations, the provisions of the Insurance Act, 1938 and Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, Guidelines and Circulars made there under.*

- (ii) *Ensuring adequate return on policyholders and shareholders' funds consistent with the protection, safety and liquidity of such fund(s).*
4. *The investment policy of both Life and Non-Life insurers, as approved by the Board shall be implemented by the investment committee. The Board shall review on a quarterly basis the monitoring of fund wise and product wise performance.*
5. *The Board shall review the investment policy and its implementation on a half-yearly basis or at such short intervals as it may decide and make such modification to the investment policy as is necessary to bring it in line with the investment provisions laid down in the Act and Regulations made there under, keeping in mind protection of policyholders' interest and pattern of investment laid down in these regulations or in terms of the agreement entered into with the policyholders in the case of unit linked insurance business.*

#### **C. Investment Operations**

1. *The funds of the insurer shall be invested and continued to be invested in equity shares, equity related instruments and debt instruments rated as per Note below Regulations 3 to 8 by a credit rating agency, registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999. The Board shall lay down clear norms for investing in 'Other Investments' as specified under sections 27A(2) and 27B(3) of the Insurance Act, 1938 by the investment committee, taking into account the safety and liquidity of the policyholders' funds and protection of their interest.*
2. *As required under Chapter II, Regulation 7 (c) of IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000, to ensure proper internal control of investment functions and operations the insurer shall clearly segregate the functions and operations of front, mid and back office (as provided in the Technical Guide on Internal / Concurrent Audit of Investment functions of Insurance Companies issued by the Institute of Chartered Accountants of India) and no function falling under Front, Mid and Back Office Investment function(s), shall be outsourced. Also, the primary data server of the computer application used for investment management shall remain within the country.*

#### **D. Processing of Unit Linked Business Applications and Declaration of NAV**

1. *All applications received for premium payment, switches, redemption, surrender, maturity claim etc., should be time stamped and dated.*
2. **Applications for "premium payment"**
- a. *for applications received, with local cheques, cash or demand draft payable at par at the place where the premium is received, before cut-off time (3.00 pm) on a business day, the applicable NAV would be the closing NAV of the same day.*
- b. *for applications received, along with local cheques, cash or demand draft payable at par at the place where the premium is received, after cut-off time (3.00 pm) on a business day, the applicable NAV would be the closing NAV of the next business day.*
- c. *for premiums received with an outstation cheque or demand draft, the closing NAV of the day on which the cheque / Demand Draft is realized shall be applied.*

3. **Applications for "other than" premium payment**
  - a. for applications received **before the cut-off time** (3.00 pm) on a business day, the applicable NAV would be the closing NAV of the same day.
  - b. for applications received, **after the cut-off time** (3.00 pm) on a business day, the applicable NAV would be the closing NAV of the next business day.
4. **Daily disclosure / reconciliation of Product and Fund information**
  - a. Every insurer doing Unit linked business shall reconcile, through the system, the premium received (net of charges and benefits paid) under each product (Unique Identification Number – UIN) with value of all the segregated fund(s) (Segregated Fund Identification Number – SFIN) net of fund management charges, held under a single UIN, **on a day to day basis**.
  - b. The insurer shall disclose UIN wise reconciliation (as in point 'a' above) and the value of policy wise units held by policyholder on the insurers website and fund wise NAV (SFIN wise) on both the Insurer's website and life council website on the same day.
  - c. The internal / concurrent Auditor shall report on the automated system and process to handle the UIN wise reconciliation (as in point 'a' above) and value of policy wise units held by policyholder and fund wise NAV, on a quarterly basis
5. **Applicable NAV for the applications received on the last business day of the Financial Year**
  - a. for applications received on the last business day of the financial year **UP TO 3.00 pm** shall be processed with NAV of the last business day (irrespective if the payment instrument is local or outstation)
  - b. for applications received **AFTER 3.00 pm** on the last business day, the same shall fall into the next Financial Year and NAV of the immediate **next business day** would be applicable.
  - c. The insurer shall declare NAV for the last business day of a Financial Year, even if it is a non business day.
6. For allotment of units, the applicable NAV shall be as per the date of commencement of policy for new policy contracts and date of receipt of premium for renewals.
7. All Insurers shall file a certificate, issued by Internal / Concurrent Auditor for compliance of each of the directions issued at point 5 above, regarding the applicable NAV for applications received on the last business day. The Statutory Auditors shall also confirm the same in the Annual Accounts.

**Note:**

**Business day** shall mean days other than holidays where stock exchanges with national wide terminals are open for trade (other than day on which exchanges are open for testing) or any day declared by the Authority as business day.

**E. Risk Management Systems and its Review**

1. The Board shall implement the Investment Risk Management Systems and Process, mandated by the Authority. The implementation shall be certified by a Chartered Accountant firm, as per the procedure laid down in the "Technical Guide on Review and Certification of Investment Risk Management Systems and Process of Insurance Companies", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as amended from time to time.
2. The Investment Risk Management Systems and Process shall be reviewed at the beginning of every second financial year or such shorter frequency as decided by the Board of the Insurer, by a Chartered Accountant firm and file the certificate issued by such Chartered Accountant, with the Authority along with the first quarter returns.
3. The appointment of Chartered Accountant firm to certify implementation and review of Investment Risk Management Systems and Process shall be as per the circular issued under these regulations.

**F. Audit and Reporting to Management**

1. Every Insurer shall constitute an Audit Committee of the Board. The Audit Committee shall be headed by a Chartered Accountant, if he is a member in the Board of the Insurer.
2. The Insurer shall have the investment transactions covering both Shareholders and Policyholders funds be audited through Internal or Concurrent Auditor as per the circular issued under this regulation.
3. The quarterly internal / concurrent audit report, covering investments of both shareholders as well as policyholders, shall be as per the "Technical Guide on Internal / Concurrent Audit of Investment functions of Insurance Companies" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as amended from time to time.
4. The Details of Investment Policy, implementation status of Investment Risk Management Systems and Process or its review shall be made available to the internal or concurrent auditor. The auditor shall comment on such review and its impact on the investment operations, systems and process in their report to be placed before the Board's Audit Committee.

**G. Category of Investments**

1. Every Insurer shall invest all his fund(s) only within the exhaustive category of investments listed in the guidelines issued by the Authority, as amended from time to time.

**H. Others**

1. The Authority may call for further information from time to time from the insurer as it deems necessary and in the interest of policyholders and issue such directions to the insurers as it thinks fit.

**11. Amendment of Regulation 10:**

**Regulation 10** of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, shall be substituted with the following:-

**14. Miscellaneous.**

1. Accounting of Investments shall be as per the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2000 and Valuation of Assets shall be as per guidelines issued under these regulations from time to time.
2. The Authority may, by any general or special order, modify or change the application of sub-regulations (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10) to any insurer either on its own or on an application made to it.

**12. Amendment of Regulation 11:**

**Regulation 11** of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, shall be substituted with the following:-

**"15. Dealing in Financial Derivatives**

1. Every Insurer carrying on the business of life insurance or general insurance may deal in financial derivatives only to the extent permitted and in accordance with the guidelines issued by the Authority in this regard from time to time.
2. Any margin or unamortized premium paid by any insurer in connection with the financial derivatives to the extent they are reflected as asset position in the balance sheet of the insurer in accordance with the guidelines issued by the Authority, shall be treated as 'Approved Investment' under Schedule I and Schedule II to these Regulations, only to the extent the derivative position constitutes a hedge for the underlying investment or portfolio which itself is treated as an approved investments under these

66247)13-22

regulations. All other margins or unamortized premium paid, to the extent reflected in the balance sheet of the insurer in accordance with the guidelines issued by the Authority in this regard from time to time, shall be treated as 'Other Investments'

### 13. Amendment of Schedule I:

Schedule I of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000 shall be substituted with the following:-

#### Schedule I

(See Regulation 3 to 6)

#### List of Approved Investments for Life Business

'Approved Investments' for the purposes of section 27A of the Act shall consist of the following:

- a) all investments specified in section 27A of the Act except
  - (i) clause (b) of sub-section (1) of section 27A of the Act;
  - (ii) first mortgages on immovable property situated in another country as stated in clause (m) of sub-section (1) of section 27A of the Act;
  - (iii) Immovable property situated in another country as stated in clause (n) of sub-section (1) of section 27A of the Act.
- b) In addition the following investments shall be deemed as approved investments by the Authority under the powers vested in it vide clause (s) of sub-section (1) of section 27A of the Act.
  - (i) All loans secured as required under the Act, rated debentures (including bonds) and other rated & secured debt instruments as per Note appended to Regulation 3 to 8. Equity shares and preference shares and debt instruments issued by all India Financial Institutions recognized as such by Reserve Bank of India – investments shall be made in terms of investment policy guidelines, benchmarks and exposure norms, limits approved by the Board of Directors of the insurer.
  - (ii) Bonds or debentures issued by companies rated not less than AA or its equivalent and P1 or equivalent ratings for short term bonds, debentures, certificate of deposits and commercial papers by a credit rating agency, registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations 1999 would be considered as 'Approved Investments'.
  - (iii) Subject to norms and limits approved by the Board of Directors of the insurers deposits (including fixed deposits as per section 27A (9) of Insurance Act, 1938) with banks (e.g. in current account, call deposits, notice deposits, certificate of deposits etc.) included for the time being in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and deposits with primary dealers duly recognized by Reserve Bank of India as such.
  - (iv) Collateralized Borrowing and Lending Obligations (CBLO) created by the Clearing Corporation of India Ltd and recognized by the Reserve Bank of India and exposure to Gilt, G Sec and liquid mutual fund forming part of Approved Investments as per Mutual Fund Guidelines issued under these regulations and money market instrument / investment.
  - (v) Asset Backed Securities with underlying Housing loans or having infrastructure assets as underlying as defined under 'infrastructure facility' in clause (h) of regulation 2 of Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Amendment Regulations, 2008 as amended from time to time.
  - (vi) Commercial papers issued by a company or All India Financial Institution recognized as such by Reserve Bank of India having a credit rating by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations 1999.
  - (vii) Money Market instruments as defined in Regulation 2(h) of these Regulation.

*Explanation –*

1. All conditions mentioned in the 'note' appended to Regulation 3 to 8 shall be complied with.

**14. Amendment of Schedule II:**

**Schedule II** to the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000 shall be substituted with the following:-

**Schedule II***(See Regulation 7 & 8)***List of Approved Investments for General Business**

'Approved Investments' for the purpose of section 27B of the Act shall consist of the following:

- a) All investments specified in section 27B of the Act except
- (i) clause (b) of sub-section (1) of section 27A of the Act;
  - (ii) Immovable property situated in another country as stated in clause (n) of sub-section (1) of section 27A of the Act;
  - (iii) First mortgages on immovable property situated in another country as stated in clause (i) of sub-section (1) of section 27B of the Act.
- b) In addition the following investments shall be deemed as approved investments by the Authority under the powers vested in it vide clause (j) of sub-section (1) of section 27B of the Act:
- (i) All loans secured as per the Act, rated debentures (including bonds) and other rated & secured debt instruments as per Note appended to Regulations 3 to 8. Equity shares, preference shares and debt instruments issued by All India Financial Institutions recognized as such by Reserve Bank of India – investments shall be made in terms of investment policy guidelines, benchmarks and exposure norms, limits approved by the Board of Directors of the insurer.
  - (ii) Bonds or debentures issued by companies rated not less than AA or its equivalent and PI or Equivalent ratings for short term bonds, debentures, certificate of deposits and commercial papers by a credit rating agency, registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations 1999 would be considered as 'Approved Investments'.
  - (iii) Subject to norms and limits approved by the Board of Directors of the insurers deposits (including fixed deposits as per section 27B (10) of Insurance Act, 1938) with banks (e.g. in current account, call deposits, notice deposits, certificate of deposits etc.) included for the time being in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and deposits with primary dealers duly recognized by Reserve Bank of India as such.
  - (iv) Collateralized Borrowing & Lending Obligations (CBLO) created by the Clearing Corporation of India Ltd and recognized by the Reserve Bank of India and exposure to Gilt, G Sec and liquid mutual fund forming part of Approved Investments as per Mutual Fund Guidelines issued under these regulations and money market instrument / investment.
  - (v) Asset Backed Securities with underlying Housing loans or having infrastructure assets as underlying as defined under 'infrastructure facility' in clause (h) of regulation 2 of Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Amendment Regulations, 2008 as amended from time to time.
  - (vi) Commercial papers issued by a company or All India Financial Institution recognized as such by Reserve Bank of India having a credit rating by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations 1999.
  - (vii) Money Market instruments as defined in Regulation 2(h) of this Regulation.

*Explanation:*

1. All conditions mentioned in the 'note' appended to Regulation 3 to 8 shall be complied with.

J. HARI NARAYAN, Chairman  
[ADVT. III/4/161/12/Exty.]

FORM - 1

(Read with Regulation 10)

Name of the Insurer:

Registration Number:

Statement as on:

Name of the Fund \_\_\_\_\_

Statement of Investment and Income on Investment

Periodicity of Submission: Quarterly

Rs Crore

No.	Category of Investment	Category Code	Current Quarter				Year to Date (current year)				Year to Date (previous year) <sup>3</sup>			
			Investment (Rs.) <sup>1</sup>	Income on Investment (Rs.)	Gross Yield (%) <sup>1</sup>	Net Yield (%) <sup>2</sup>	Investment (Rs.) <sup>1</sup>	Income on Investment (Rs.)	Gross Yield (%) <sup>1</sup>	Net Yield (%) <sup>2</sup>	Investment (Rs.) <sup>1</sup>	Income on Investment (Rs.)	Gross Yield (%) <sup>1</sup>	Net Yield (%) <sup>2</sup>
<b>TOTAL</b>														

**CERTIFICATION**

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature \_\_\_\_\_

Full Name \_\_\_\_\_

Chief of Finance

Note: Category of Investment (COI) shall be as per Guidelines, as amended from time to time

<sup>1</sup> Based on daily simple Average of Investments

<sup>2</sup> Yield netted for Tax

<sup>3</sup> In the previous year column, the figures of the corresponding Year to date of the previous financial year shall be shown

<sup>4</sup> FORM-1 shall be prepared in respect of each fund. In case of ULIP FORM 1 shall be prepared at Segregated Fund (SFIN) level and also at consolidated level.



662 4713-23

**FORM - 2**

(Read with Regulation 10)

Name of the Insurer:

Registration Number:

Statement as on:

Statement of Down Graded Investments

Periodicity of Submission: Quarterly

Name of Fund \_\_\_\_\_

**PART - A**

**FORM AMENDED**

*Rs Crore*

No	Name of the Security	COI	Amount	Date of Purchase	Rating Agency	Original Grade	Current Grade	Date of Downgrade	Remarks
A.	<u>During the Quarter</u> <sup>1</sup>								
B.	<u>As on Date</u> <sup>2</sup>								

**CERTIFICATION**

*Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.*

Date:

Signature \_\_\_\_\_

Full Name and Designation

Chief Finance Officer

Note:

- 1 Provide details of Down Graded Investments during the Quarter.
- 2 Investments currently upgraded; listed as Down Graded during earlier Quarter shall be deleted from the Cumulative listing.
- 3 FORM-2 shall be prepared in respect of each fund. In case of ULIP FORM 1 shall be prepared at Segregated Fund (SFIN) level and also at consolidated level.
- 4 Category of Investment (COI) shall be as per INV/GLN/001/2003-04

[श्री III-खण्ड 4]

श्री का नाम : श्रीमान

FORM - 2

(Read with Regulation 10)

Name of the Insurer:

Registration No:

INVESTMENT ASSETS - RATING PROFILE

PART - B

Name of the Fund: \_\_\_\_\_

Rs.Crore

No	Type of Investments	Investments in Sovereign Instruments		AAA or Equivalent		AA+ or Equivalent		AA or lower upto A+ or Equivalent		A or lower than A or Equivalent		Unrated		NPA		Equity or Equity Related Instruments and other Instruments		Total BV	
		BV	% to Inv. Assets	BV	% to Inv. Assets	BV	% to Inv. Assets	BV	% to Inv. Assets	BV	% to Inv. Assets	BV	% to Inv. Assets	BV	% to Inv. Assets	BV	% to Inv. Assets		
		(a)		(b)		(c)		(d)		(e)		(f)		(g)		(h)			(i)
i	Central Govt Securities																		
ii	State Govt Sec. or Other Approved Securities																		
iii	(1) Housing Sector																		
	(a) Debt or debt related instruments																		
	(b) Loans																		
	(c) Others (Specify)																		
	(2) Infrastructure Sector																		
	(a) Debt or debt related instruments																		
	(b) Equity or equity related instruments																		
	(c) Loans																		
	(d) Others (Specify)																		
	(3) Approved Investments																		
	(a) Debt or debt related instruments																		
	(b) Equity or equity related instruments																		
	(c) Loans																		
	(d) Investment Property - Immovable																		
	(e) Mutual Fund																		
	(f) Money Market																		
	(g) Net current assets																		
	(h) Others (Specify)																		
iv	Other Investments																		
	(a) Debt or debt related instruments																		
	(b) Equity or equity related instruments																		
	(c) Loans																		
	(d) Investment Property - Immovable																		
	(e) Mutual Fund																		
	(f) Others (Specify)																		

Investment Asset

Rs. Cr

Investment in 'Debt' Instruments	Book Value (Life, Pension Fund and General Insurers)	Market Value (for ULIP Funds)	%
Investments in Sovereign Instruments			
<b>APPROVED INVESTMENTS</b>			
AAA or upto AA or Equivalent			
MM, Loans, Others - Approved Invt			
<b>OTHER INVESTMENTS</b>			
AA-A, lower than A or Equivalent			
Unrated, Loans, Others - Other Invt			
<b>Total Debt Investments (a to g)</b>			

Certification

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge. Also certified that the various investments made and covered in the return are within the categories provided in Investment Guidelines as amended from time to time.

Note:

- 1 The figures in Col (i) must match (for each type of investment) with Form 3A (Part A)/Form 3B
- 2 Non-Performing investment assets shall be separately shown irrespective of the rating
- 3 For Linked business values of investments shall be at Market Value
- 4 Equity or Equity related instruments shall be as permitted under the Insurance Act, 1938 or IRDA (Investment) Regulations, 2000 as amended from time to time
- 5 FORM - 2 (Part B) shall be prepared in respect of each fund. In case of ULIP Form 2 shall be prepared at Segregated Fund (SFIN) level and also at consolidated level.

Signature: \_\_\_\_\_  
Full name: \_\_\_\_\_  
Chief of Finance

**FORM - 2****(Read with Regulation 10)**

Name of the Insurer:

Registration No:

**INVESTMENT ASSETS & INFRA INVESTMENTS - RATING PROFILE****PART - C**

Name of the Fund \_\_\_\_\_

<b>INVESTMENT ASSETS</b>		<b>Rs Crore</b>	<b>% to Inv. Assets</b>
Central Govt. Sec + Other Approved Securities			
<b>TOTAL (1)</b>			
<b>Approved Investments</b>			
	AAA or upto AA or Equivalent		
	Equity - Approved Invt		
	MM, Loans, Others - Approved Invt		
<b>TOTAL (2)</b>			
<b>Other Investments</b>			
	AA-, A, lower than A or Equivalent		
	Equity - Other Invt		
	Unrated, NPA, Loans, Others - Other Invt		
<b>TOTAL (3)</b>			
<b>TOTAL FUND (1+2+3)</b>			
<b>INFRASTRUCTURE INVESTMENTS</b>			
<b>Approved Investments</b>			
	AAA or upto AA or Equivalent		
	Equities-Approved		
	MM, Loans, Others-Approved Invt		
<b>TOTAL (1)</b>			
<b>Other Investments</b>			
	AA-,A, lower than A or Equivalent		
	Equities-Other Investments		
	Loans, NPAs, Others - Other Invt		
<b>TOTAL (2)</b>			
<b>Total Infra Investment (1+2)</b>			
<b>TOTAL FUND</b>		<b>0</b>	

**Certification**

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge. Also certified that the various investments made and covered in the return are **within** the categories provided in Investment Guidelines as amended from time to time.

Signature: \_\_\_\_\_

Full name: \_\_\_\_\_

Chief of Finance \_\_\_\_\_

**Note:**

1. The figures in Col (i) must match (for each type of investment) with Form 3A (Part A)/Form 3B
2. FORM - 2 (Part C) shall be prepared in respect of life fund

662 (17) 13-24

**FORM - 3A**

(Read with Regulation 10)

Name of the insurer:

Registration Number:

Statement as on:

Statement of Investment Assets (Life Insurers)

(Business within India)

Periodicity of Submission: Quarterly

**PART - A**

Rs. Crore

**Section I**

Total Application as per Balance Sheet (A)	0
<b>Add (B)</b>	
Provisions	Sch-14
Current Liabilities	Sch-13
	0
<b>Less (C)</b>	
Debit Balance in P& L A/c	
Deferred tax asset	
Loans	Sch-09
Adv & Other Assets	Sch-12
Cash & Bank Balance	Sch-11
Fixed Assets	Sch-10
Misc Exp. Not Written Off	Sch-15
	0
<b>Funds available for investments</b>	<u>0</u>

**Reconciliation of Investment Assets**

Total Investment Assets (as per Balance Sheet)

Balance Sheet Value of:

A. Life Fund

B. Pension & General Annuity and Group Business

C. Unit Linked Funds

0
_____
_____
_____
0

**Section II**

**NON - LINKED BUSINESS**

	% as per Reg	SH		PH		Book Value [SH+PH]	Actual % [g] = [(f) - (a)]%	FVC Amount (h)	Total Fund (i) = (a+f+h)	Market Value (j)
		Balance	FRSM <sup>+</sup>	UL-Non Unit Res	PAR					
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = [a+b+c+d+e]	(g)	(h)	(i)
1	Central Govt. Sec	Not Less than 25%								

2	Central Govt Sec, State Govt Sec or Other Approved Securities (incl (i) above)	Not Less than 50%							
3	Investment subject to Exposure Norms								
	a.	Housing & Infrastructure	Not Less than 15%						
		1. Approved Investments							
		2. Other Investments							
	b.	i) Approved Investments	Not exceeding 35%						
		ii) Other Investments							
<b>TOTAL LIFE FUND</b>			<b>100%</b>						

B. PENSION & GENERAL ANNUITY AND GROUP BUSINESS		% as per Reg	PH		Book Value (c) = (a+b)	Actual % (d)	FVC Amount (e)	Total Fund (f) = (c+e)	Market Value (g)
			PAR (a)	NON PAR (b)					
1	Central Govt. Sec	Not Less than 20%							
2	Central Govt Sec, State Govt Sec or Other Approved Securities (incl (i) above)	Not Less than 40%							
3	Balance in Approved investment	Not Exceeding 60%							
<b>TOTAL PENSION, GENERAL ANNUITY FUND</b>			<b>100%</b>						

LINKED BUSINESS		% as per Reg	PH		Total Fund (c) = (a+b)	Actual % (d)
C. LINKED FUNDS			PAR (a)	NON PAR (b)		
1	Approved Investments	Not Less than 75%				
2	Other Investments	Not More than 25%				
<b>TOTAL LINKED INSURANCE FUND</b>			<b>100%</b>			

**CERTIFICATION:**

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature: \_\_\_\_\_

Full name: \_\_\_\_\_

Chief of Finance

Note:

- 1 (+) FRSM refers to 'Funds representing Solvency Margin'
- 2 Funds beyond Solvency Margin shall have a separate Custody Account.
- 3 Other Investments' are as permitted under Section 27A(2) of Insurance Act, 1938
- 4 Pattern of Investment is applicable to both Shareholders funds representing solvency margin and policyholders funds.
- 5 Exposure Norms shall apply to Funds held beyond Solvency Margin, held in a separate Custody Account

FORM 3A

(Read with Regulation 10)

Unit Linked Insurance Business

Name of the Insurer:

Registration Number:

Link to Item 'C' of FORM 3A (Part A)

PART - B

Periodicity of Submission: Quarterly

Statement as on:

Rs. Crore

PARTICULARS	SFIN 1	SFIN 2	SFIN 'n'	Total of All Funds
Opening Balance (Market Value)				
<b>Add:</b> Inflow during the Quarter				
Increase / (Decrease) Value of Inv [Net]				
<b>Less:</b> Outflow during the Quarter				
<b>TOTAL INVESTIBLE FUNDS (MKT VALUE)</b>				

INVESTMENT OF UNIT FUND	SFIN 1		SFIN 2		SFIN 'n'		Total of All Funds	
	Actual Inv.	% Actual	Actual Inv.	% Actual	Actual Inv.	% Actual	Actual Inv.	% Actual
<b>Approved Investments (&gt;=75%)</b>								
Central Govt Securities								
State Government Securities								
Other Approved Securities								
Corporate Bonds								
Infrastructure Bonds								
Equity								
Money Market Investments								
Mutual funds								
Deposit with Banks								
<b>Sub Total (A)</b>								
<b>-Current Assets:</b>								
Accrued Interest								
Dividend Recievable								
Bank Balance								

Receivable for Sale of Investments								
Other Current Assets (for Investments)								
<b>Less: Current Liabilities</b>								
Payable for Investments								
Fund Mgmt Charges Payable								
Other Current Liabilities (for Investments)								
<b>Sub Total (B)</b>								
<b>Other Investments (&lt;=25%)</b>								
Corporate Bonds								
Infrastructure Bonds								
Equity								
Mutual funds								
Venture funds								
Others								
<b>Sub Total (C)</b>								
<b>Total (A + B + C)</b>								
<b>Fund Carried Forward (as per LB 2)</b>								

Signature: \_\_\_\_\_

Full name: \_\_\_\_\_

Chief of Finance

Date :

**Note:**

1. The aggregate of all the above Segregated Unit-Funds should reconcile with item C of FORM 3A (Part A), for both Par & Non Par Business
2. Details of Item 12 of FORM LB 2 which forms part of IRDA (Acturial Report) Regulation, 2000 shall be reconciled with FORM 3A (Part B).
3. Other Investments' are as permitted under Sec 27A(2)



662 21/13-25

**FORM - 3A**

(Read with Regulation 10)

Name of the Insurer:

Registration Number:

Link to FORM 3A (Part B)

Statement for the period:

Periodicity of Submission: Quarterly

Statement of NAV of Segregated Funds

PART - C

No	Fund Name	SFIN	Date of Launch	Par/Non Par	Assets Under Management on the above date	NAV as per LB 2	NAV as on the above date*	Previous Qtr NAV	2nd Previous Qtr NAV	3rd Previous Qtr NAV	4th Previous Qtr NAV	Return/Yield	3 Year Rolling CAGR	Rs.Crore
														Highest NAV since Inception
1	Segregated Fund 1													
2	Segregated Fund 2													
3	Segregated Fund n													
	<b>Total</b>													

**CERTIFICATION**

Certified that the performance of all segregated funds have been placed and reviewed by the Board. All information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

DATE :

Signature:

Full name:

Chief of Finance

Note:

1. \* NAV should reflect the published NAV on the reporting date

FORM - 3A

PART - D

(Read with Regulation 10)

Name of the Insurer:

Link to FORM 3A (Part A)

Registration Number:

Statement as on:

Statement of Accretion of Funds

Rs.Crore

(Business within India)

Periodicity of Submission : Quarterly

No	Category of Investments	POI	Opening Balance	% to Total (A)	Net Accretion for the Qtr.	% to Total Accretion	TOTAL	% to Total (1+2)
			(1)		(2)		(1+2)	
<b>A</b>	<b>LIFE FUND</b>							
1	Central Govt. Sec	Not less than 25%						
2	Central Govt Sec, State Govt Sec or Other Approved Securities (incl (i) above)	Not less than 50%						
3	Investment subject to Exposure Norms							
	a. Housing & Infrastructure							
	1. Approved Investments	Not less than 15%						
	2. Other Investments							
	b. (i) Approved Investments	Not exceeding 35%						
	(ii) Other Investments (Not to exceed 15%)							
Total (A)								

No	Category of Investments	POI	Opening Balance	% to Total (B)	Net Accretion for the Qtr.	% to Total Accretion	TOTAL	% to Total (1+2)
			(1)		(2)		(1+2)	
<b>B</b>	<b>PENSION &amp; GENERAL ANNUITY AND GROUP BUSINESS</b>							
1	Central Govt. Sec	Not less than 20%						
2	Central Govt Sec, State Govt Sec or Other Approved Securities (incl (i) above)	Not less than 40%						
3	Balance in Approved Investment	Not exceeding 60%						
Total (B)								

No	Category of Investments	POI	Opening Balance	% to Total (C)	Net Accretion for the Qtr.	% to Total Accretion	TOTAL	% to Total (1+2)
			(1)		(2)		(1+2)	
<b>C</b>	<b>LINKED FUNDS</b>							
1	Approved Investment	Not less than 75%						
2	Other Investments	Not more than 25%						
Total (C)								

**CERTIFICATION**

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature:

Full name: \_\_\_\_\_

Chief of Finance

**FORM - 3A**

(Read with Regulation 10)

**PART - E****Name of the Insurer:****Registration Number:****Statement as on:**

Statement of Investment Details of ULIP Products to Segregated Funds

(Business within India)

Rs.Crore

Periodicity of Submission : Quarterly

INVESTMENT DETAILS OF "ULIP" PRODUCTS [UIN] TO SEGREGATED FUNDS [SFIN]			
Inflow	UIN1	UIN2	UIN n
Premium			
Others (Specify)			
<b>TOTAL (A)</b>			
Outflow			
Commission			
Charges			
Claims			
Others			
<b>TOTAL (B)</b>			
<b>Total C = (A-B)</b>			
Policy Funds at "C" above allotted to			
SFIN 1			
SFIN 2			
SFIN n			
<b>TOTAL (D)</b>			
<b>Difference (if any) E = (C-D)</b>			

**CERTIFICATION**

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

**Date:****Signature:****Full name:****Chief of Finance****Note:**

1. UIN represents the Unique product number as per 'file and use' approved under ULIP products
2. SFIN represents the Segregated Fund Identification Number as approved by the Product Approval Committee

FORM - 3B

(Read with Regulation 10)

Name of the Insurer:

Registration Number:

Statement as on:

Statement of Investment Assets (General Insurer, Re-Insurers)

(Business within India)

Periodicity of Submission: Quarterly

PART - A

Rs. Crore

## Section I

No	PARTICULARS	SCH	AMOUNT
1	Investments	8	
2	Loans	9	
3	Fixed Assets	10	
4	Current Assets		
	a. Cash & Bank Balance	11	
	b. Advances & Other Assets	12	
5	Current Liabilities	13	
	a. Current Liabilities		
	b. Provisions	14	
	c. Misc. Exp not Written Off	15	
	d. Debit Balance of P&L A/c		
Application of Funds as per Balance Sheet (A)			0

No	Less: Other Assets	SCH	Amount
1	Loans (if any)	9	
2	Fixed Assets (if any)	10	
3	Cash & Bank Balance (if any)	11	
4	Advances & Other Assets (if any)	12	
5	Current Liabilities	13	
6	Provisions	14	
7	Misc. Exp not Written Off	15	
8	Debit Balance of P&L A/c		
Total		TOTAL (B)	0
'Investment Assets' As per FORM 3B		(A-B)	0

## Section II

No	'Investment' represented as	Reg. %	SH		PH	Book Value (SH + PH)	% Actual	FVC Amount	Total	Market Value (h)
			Balance	FRSM*						
			(a)	(b)	(c)	d = (a+b+c)	(e)	(f)	(g)=[d+f]	
1	Central Govt. Securities	Not less than 20%								
2	Central Govt Sec, State Govt Sec or Other Approved Securities (incl. (1) above)	Not less than 30%								
3	Investment subject to Exposure Norms									
	a. Housing & Loans to SG for Housing and FFE	Not less than 5%								
	1. Approved Investments									
	2. Other Investments									
	b. Infrastructure investments	Not less than 10%								
	1. Approved Investments									
	2. Other Investments									
	c. Approved Investments	Not exceeding 55%								
	d. Other Investments									
Investment Assets		100%								

## Certification:

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature: \_\_\_\_\_

Full name: \_\_\_\_\_

Chief of Finance

Note: 1. (+) FRSM refers 'Funds representing Solvency Margin'

2. Other Investments' are as permitted under 27B(3)

3. Pattern of investment is applicable to both Shareholders funds representing solvency margin and policyholders funds.

4. Exposure Norms shall apply to Funds held beyond Solvency Margin, held in a separate Custody Account

662 (17) 13-26

**FORM - 3B**

**(Read with Regulation 10)**

Name of the Insurer:

Registration Number:

Statement as on:

Statement of Accretion of Assets

(Business within India)

Periodicity of Submission : Quarterly

**PART - B**

Rs. Crore

No	Category of Investments	COI	Opening Balance	% to Opening Balance	Net Accretion for the Qtr.	% to Total Accrual	TOTAL	% to Total
			(A)		(B)		(A+B)	
1	Central Govt. Securities							
2	Central Govt Sec, State Govt Sec or Other Approved Securities (incl (i) above)							
3	<b>Investment subject to Exposure Norms</b>							
	a. Housing & Loans to SG for Housing and FFE							
	1. Approved Investments							
	2. Other Investments							
	b. Infrastructure Investments							
	1. Approved Investments							
	2. Other Investments							
	c. Approved Investments							
	d. Other Investments (not exceeding 25%)							
<b>Total</b>								

**Certification:**

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature: \_\_\_\_\_

Full name: \_\_\_\_\_

Chief of Finance

**Note:**

1. Total (A+B), fund wise should tally with figures shown in Form 3B (Part A)

**FORM 4**  
(read with regulation 10)  
**EXPOSURE / PRUDENTIAL AND OTHER INVESTMENT NORMS – COMPLIANCE CERTIFICATE**

**PART A**

Insurer Name and Code:

Date: as at: .....

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
I	<b>Investee Company Exposure</b>	<p>a. Investment in equity, preference shares, convertible debenture:-</p> <p>Exposure at any point of time did not exceed 10% of outstanding equity shares (face value) or 10% of the amount under point Regulation 9 (A.1.(a) or A.1.(b) or A.1.(c) considered separately) of this Regulation, in the case of Life insurers / an amount under Regulation 9 (A.2) or (A.3) of this Regulation, in the case of General Insurer / Re-insurer <b>whichever is lower.</b></p> <p>[In case of Infrastructure Co, the limit of 10% shall be read as 20%. Where the investment assets of the insurer is Rs. 250000 Crores or more, the limit of 10% shall be read as 15% of outstanding equity shares (face value) or where the investment assets of the insurer is Rs.50000 Crores but less than Rs 250,000 Crores the limit of 10% shall be read as 12% of outstanding equity shares (face value)]</p> <p>b. Investment in Debt/ loans and any other permitted Investments as per Act / Regulation, other than 'Equity', Preference Shares, Convertible Debentures :-</p> <p>Exposure at any point of time did not exceed 10% of the paid-up share capital, free reserves (except revaluation reserve) and debenture / bonds of the investee company or 10% of amount under point Regulation 9 (A.1.(a) or A.1.(b) or A.1.(c) above considered separately) of this Regulation, in the case of Life insurers / an amount under Regulation 9 (A.2) or (A.3) of this Regulation, in the case of General Insurer / Re-insurer <b>whichever is lower.</b></p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p>[In case of Infrastructure Co, the limit of 10% shall be read as 20%. Where the investment assets of the insurer is Rs. 250000 Crores or more, the limit of 10% shall be read as 15% of paid up share capital, free reserves (excluding revaluation reserve) and debenture / bonds or where the investment assets of the insurer is Rs.50000 Crores but less than Rs 250,000 Crores the limit of 10% shall be read as 12% paid up share capital, free reserves (excluding revaluation reserve) and debenture / bonds)</p> <p>c. Has the maximum exposure under limit for a single 'investee' company from all investment assets (Equity / Preference Shares / Convertible Debenture / Debentures/ bonds / CPs / loans and any other permitted debt Investments as per Act / Regulation), are within the limit prescribed in Regulation 9 (B) (In case of Infrastructure Co, the limit of 10% shall be read as 20%)?</p> <p>d. Has debt investments made in infrastructure SPV have complied with the limits, terms and conditions as mentioned in the Note: 4 of the Investment Regulation 9?</p>		
II	Limit for the entire Group of the Investee Company	<p>Has total investments made in entire "Group of the Investee Company" is the lower of:</p> <p>a. amount under point Regulation 9 (A.1.(a) or A.1.(b) or A.1.(c) above considered separately) of this Regulation, in the case of Life insurers / an amount under Regulation 9 (A.2) or (A.3) of this Regulation, in the case of General Insurer / Re-insurer (or)</p> <p>b. 15% of investment Assets in all companies belonging to the group (In case of Infrastructure company the limit mentioned in point 'a' above shall be read as 20%)</p>		
III	Promoter Group Company	Has total investments made in all "Companies falling under Insurer's Promoter Group":		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p>a. is not more than 5% in aggregate of its total investments in all companies belonging to the promoters' groups.</p> <p>b. not made investments in any companies belonging to the promoters' group by way of private placement (equity)</p> <p>c. not made any investment in unlisted instruments [equity &amp; debt certificate of deposits and fixed deposits (without prejudice to Section 27A (9) and Section 27B (10) of the Act) held in a Scheduled Commercial Bank], except for companies formed by Insurers under Sec 27A (4) or Sec 27B (5) of the Act.</p>		
IV	Industry sector	<p>Has investment made by the insurer in any industrial sector [except Financial and Insurance Activities sector as per National Industrial Classification (All Economic Activities) - 2008]:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. not exceeded the lower of: 15% of the amount under Regulation 9 (A.1.(a) or A.1.(b) or A.1.(c) considered separately) of this regulation in the case of life insurer / an amount under Regulation 9 (A.2) or (A.3) of this regulation, in the case of General Insurer / Re-insurer (or) 15% of investment Asset</li> <li>2. Has the investment made by the insurer in <b>Financial and Insurance Activities</b> sector as per National Industrial Classification (All Economic Activities) - 2008 (excluding Fixed Deposit, Term Deposit and Certificates of Deposit) not exceeded 25% of its total investment assets?</li> <li>3. Is the classification of industrial sectors been done <u>on the lines of National Industrial Classification (All Economic Activities) - 2008 [NIC] for all sectors, except "Infrastructure sector"</u>.</li> <li>4. Has exposure been calculated at <b>Division</b> level from A to R of (NIC (All Economic Activities) - 2008) Classification for all sectors other than</li> </ol>		



662 Q17/3-27

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p>infrastructure sector?</p> <p>5. Has exposure been calculated for Financial and Insurance Activities sector at Section level (of NIC (All Economic Activities) – 2008)?</p>		
V	Rating Criteria	<p>1. Are investments under 'Approved Investments' made only in rated instruments, if such instruments are capable of being rated?</p> <p>2. At the time of purchase, are Corporate Bonds rated below AA (A+ with the prior approval of the Board of the Insurer) or its equivalent and P1 or equivalent (in case of short term instruments) classified under "Other Investments"?</p> <p>3. Are instruments downgraded below the minimum rating prescribed under Note 3 &amp; 4 to Regulation 3 to 8 of the IRDA (Investment) Regulation, 2000, as amended from time to time, reclassified under "Other Investments" through the System?</p> <p>4. Are 'Debt' instruments (including Central Govt, State Govt Securities and Other Approved Securities) - fund wise, in the case life insurer (including ULIP funds at segregated fund level) and Investment Assets in the case of general insurer - have a minimum rating of Sovereign, AAA or equivalent rating for long term and Sovereign, P1+ or equivalent for short term instruments, not less than 75% (Life Insurer) / 65% (General Insurer)?</p> <p>5. Are 'Debt' instruments (including Central Government Securities, State Government Securities and Other approved securities) – fund wise, in the case of life insurer (including ULIP funds at segregated fund level) and Investment Assets in the case of general insurer – have a rating of A or below or equivalent rating for long term, are not more than 5% (8% in the case of Non-Life Insurers)?</p>		
VI	Others	A. CONFIRMATION ON POLICY / SYSTEMS / PROCEDURE		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Has the software application for Investment Operations, been <u>fully automated without manual intervention</u> in calculating the exposure norms of Investee Company, Group, Promoter Group and Industry Sector, as per the various slabs of 'investment assets' provided under Regulation 9 (B)?</li> <li>2. Is the Constitution of the Investment Committee of the Insurer in full compliance with the requirements mentioned under Regulation 13 of Investment Regulation?</li> <li>3. Was none of the functions of the insurer relating to Investment Operations falling under Front / Mid / Back Office, (covering both Shareholders and Policyholders Investments), outsourced (except to the extent permitted under Point 11 and 12 of Annexure II to Circular INV/CIR/008/2008-09 Dt. 22<sup>nd</sup> Aug, 2008 with respect to Outsourcing of Investment Advice and NAV Calculation)?</li> <li>4. Is the Audit Committee of the Board, headed by a Chartered Accountant, provided he is a member of the Board of the Insurer?</li> <li>5. Have periodical Investment Returns to be filed for the Quarter, prepared in full compliance with the "Guidance Note on preparation of Investment Returns" issued by IRDA?</li> <li>6. Have amendments to the Investment Policy, been approved by the Board of the Insurer?</li> <li>7. Has the model code of conduct, to prevent insider / personal trading of officers <u>involved in Investment Operations</u>, including front, mid and back office as approved by the Board, implemented? If so: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Does it cover Officers involved in Investment Operations at various levels?</li> <li>b. Does the code of conduct cover each Officer in such level?</li> <li>c. Has the Board been informed of compliance or otherwise to</li> </ol> </li> </ol>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p>model code of conduct during the Quarter?</p> <p>d. Has the Concurrent Auditor issued his Audit Report of previous Quarter, without any qualification on aspects of model code of conduct implemented by the Insurer? -</p> <p>e. Where breach of model code of conduct, if any, reported during the previous Quarter, been dealt properly and appropriate action as recommended by Audit Committee/ Board been taken?</p> <p>8. Does the segregation of front, mid and back office – are as per Technical Guide on Internal / Concurrent Audit of Investment functions of Insurance Companies issued by the Institute of Chartered Accountants of India?</p> <p>9. Have all non-compliance reported in the Chartered Accountant's certificate issued (as per the Technical Guide on Investment Risk Management Systems &amp; Process of Insurance Companies, by ICAI) on the 'status' of implementation of Investment Risk Management Systems and Process been implemented as per timelines committed to IRDA?</p> <p>10. Has the Internal / Concurrent audit Report of the <b>previous Quarter</b> with the with comments of Audit Committee of the Board, on 'very serious', 'serious' points (as per the Technical Guide on Internal / Concurrent Audit of Investment functions of Insurance Companies, issued by the Institute of Chartered Accountants of India) in the report, and status of implementation of Audit committee recommendation been placed before the Board of the Insurer during the current quarter?</p> <p>11. Have the Audit Report of the previous Quarter along with Audit Committees recommendation and its implementation status filed with the Authority along with these returns?</p> <p>12. Have the increase during the quarter, in Shareholders' funds (other than income from shareholders' investments, <u>maintained in a</u></p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p><u>separate custody account</u>) held beyond solvency margin requirement, is supported by surplus calculation certified by the <b>Appointed Actuary</b>? [annex a copy of Appointed Actuary's Certificate to this return]</p> <p>13. Has the Board reviewed (both life and non-life Insurers) during the previous quarter the performance of products <u>[at line of business level in the case of General Insurers]</u>?</p> <p>14. Has the Board, during the previous Quarter, reviewed (both life and non-life insurers) the performance of investments? <b>[the review in the case of life insurers should cover both Non-Linked and Linked funds [SFIN] level]</b></p> <p>15. Has the life insurer, in the case of ULIP business reconciled, <u>through the system</u>, the premium received (net of charges and benefits paid) under each product (Unique Identification Number – UIN wise) with value of all the segregated fund(s) (Segregated Fund Identification Number – SFIN wise) net of fund management charges, held under a single UIN, on a day to day basis, during the quarter?</p> <p>16. Has the life insurer disclosed UIN wise reconciliation, on the Insurer's website on the <b>same day</b>?</p> <p>17. Is there a fully automated system to generate, on a <b>day to day basis</b>, Form 3A - Part E (Investment Details of ULIP Products to Segregated Funds)?</p> <p>18. Has the life insurer disclosed the value of policy wise units held by policyholder on the Insurer's policyholder portal?</p> <p>19. Has the life insurer disclosed fund wise NAV (SFIN wise) on the Insurer's website and life council website <b>on the same day</b>?</p> <p>20. Has the Standard Operating Procedure (SOP) approved by the Investment Committee of the Insurer?</p>		

662 (17) 13-28

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p>21. Does the <b>SOP</b>, for each 'category of investment' <u>is same</u> across all fund(s)?</p> <p>22. Does SOP of the Insurer, for "each" Category of Investment, (as per Guidelines INV/GLN/001/2003-04, as amended from time to time, issued by the Authority) provide individual activities to be carried out in Front, Mid and Back office?</p> <p>23. Have all investments made (100%) followed the IC approved SOP?</p> <p>24. Does the Investment made during the Quarter, are <b>within</b> the exhaustive 'Categories of Investments' prescribed under Guidelines INV/GLN/001/2003-04, as amended from time to time?</p> <p>25. Has the Insurer during the Quarter taken any Derivative position (including interest rate swap and Credit default swap)? <b>If Yes:</b></p> <p>a. Has the Derivative Policy been approved by the Board of the Insurer?</p> <p>b. Has the insurer taken prior approval of IRDA for such Derivative policy?</p> <p>c. If so, is there a process to identify the risk to be <b>hedged</b> ['fund-wise' in the case of Life Insurers]?</p> <p>d. Does such derivative position comply with IRDA Guidelines?</p> <p>e. Has derivative exposure taken, are clearly identified with the portfolio risk to be hedged?</p> <p>f. Has the Insurer filed the regulatory information / returns required under the Guidelines issued?</p> <p>26. Are investment made in immovable property covered under Section 27A (1) (n) of the Act shall not exceed, at the time of investment, within 5% of the Investment Assets [as per FORM 3B (Part A)] in the case of General Insurer / within 5% of Life fund, Pension &amp; General Annuity Fund, [as per FORM 3A (Part A)] in the case of Life Insurer.</p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p>27. Have <b>NO</b> investments in Immovable Properties been made out of ULIP Funds?</p> <p>28. Are investments in equity shares through IPO, Mutual fund, Venture fund, SEBI approved Alternate Investment Funds, Corporate Bond Reverse Repo, IDF (as per Note 2 to Regulation 9) Perpetual Debt instruments of Bank's Tier-I Capital and Debt Capital instruments of Bank's Upper Tier-II Capital, made in compliance with the relevant circulars issued in this regards from time to time?</p> <p>29. Are investments in asset backed securities, PTC, SRs both under Approved and Other investment category, made within 10% of Investment assets in case of Life Companies and 5% of Investment assets in case of Non – life companies</p> <p>30. Are any securitized assets with underlying housing or infrastructure assets, if downgraded below AAA or equivalent reclassified as Other Investments</p> <p><b>B. CONFIRMATION ON INVESTMENT OPERATIONS / EXPOSURE</b></p> <p>1. Has Shareholders funds been split Funds Representing Solvency Margin (FRSM) in FORM 3A (Part A)?</p> <p>2. If funds are split as per point 1 above, between FRSM and Balance, have the same been maintained in separate custodian account with identified 'scrips' for both Life and General (including Re-insurance) companies and reconciled with FORM 3A (Part A) / FORM 3B?</p> <p>3. Do <b>each</b> 'Segregated fund' [SFIN] have underlying 'Scrips', identified upto to Custodian level?</p> <p>4. Do each 'Segregated Fund' [SFIN] have not less than 75% of Approved Investments as defined in the Act?</p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p>5. Does all investments in assets or instruments which are capable of being rated (except Fixed Deposits with Scheduled Commercial Banks) are made based on 'instrument' rating and <b>NOT</b> based on Investee 'Company' rating?</p> <p>6. Have Investments in debt instruments rated AA - (AA minus) or below classified under Other Investments?</p> <p>7. Are Investments made in a Public Limited Special Purpose Vehicle (SPV) engaged in infrastructure sector is within 20% of the project cost (or) amount under Regulation 9 (B) (i), whichever is lower?</p> <p>8. If answer to point above is 'yes', have all the requirements mentioned under Note 4 to Regulation 9 have been complied?</p> <p>9. Are investments made in Mortgaged Backed Securities [MBS] / Assets Backed Securities [ABS] complied with the requirements of Note 5 to Regulation 9?</p> <p>10. Has 'each' purchase and sale of Investments, as mentioned in the Deal Slip, been identified with respect to 'each' fund / 'segregated fund' in respect of ULIP funds?</p> <p>11. Are all thinly traded equity (as per SEBI norms) classified as "Other Investment"?</p> <p>12. Has inter fund transfer, been done as per circular IRDA/FA/02/10/2003-04 and any other circular issued from time to time , between ULIP funds during Market Hours, for Equity and Debt at the prevailing price and not based on broker quote?</p> <p>13. With respect to 'each' Segregated Fund [including Discontinued Policy Fund (DPF)] in the case of ULIP business, whether reconciliation of "Units" have been made, between Policy Admin System (PAS) and</p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p><i>Investment Accounting Systems through a fully automated system using process integrators to ensure seamless data transfer <u>without manual intervention</u>?</i></p> <p>14. <i>Does the Primary Data Server of the Computer Application used for Investment Management, maintained within the Country?</i></p> <p>15. <i>Has the insurer, reconciled investments, fund-wise, with bank and custodian records on 'day-to-day basis for 'each' segregated fund?</i></p> <p>16. <i>Has the insurer, reconciled investment accounts, for each fund in the case of Non-ULIP Business and General Insurance Business, with Custodian records?</i></p> <p>17. <i>Has valuation of investments of 'each' fund (including ULIP), done as prescribed in IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors Report of Insurance Companies) Regulations, 2002?</i></p> <p>18. <i>Is there any shortfall/deficit in meeting the Discontinued Policies Fund (DPF) liabilities?</i></p> <p>19. <i>If the answer to above point is 'Yes', has the Insurer provided for such shortfall / deficit on a quarterly basis?</i></p> <p>20. <i>Have all the negative deviations reported in FORM 4A (Part A)?</i></p> <p>21. <i>Has NAV of each segregated fund [SFIN] been audited before its declaration by Internal / Concurrent Auditor on a day-to-day basis (on T+0 basis)?</i></p> <p>22. <i>Has the Insurer floated any new fund during the quarter?</i></p> <p>23. <i>If the answer to point above is 'yes', has the directions in respect of Fund Approval procedure and Guidelines on NAV Process as per Circular IRDA/F&amp;I/CIR/INV/173/08/2011 Dt. 29<sup>th</sup> Jul, 2011 complied with?</i></p>		



662 27/13-29

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		24. Has the insurer, apart from the credit rating evaluated by the rating agencies, carried out their own risk analysis commensurate with the complexity of the product(s) and the materiality of their holding for every investment made?		

**CERTIFICATION**

Certified that the information given herein is correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Signature:.....  
Chief Executive Officer

Signature:.....  
Chief of Finance

Signature:.....  
Chief of Investments

Date:

(Read with Regulation 10)

Name of the Insurer:

Registration Number:

Statement as on:

INTERNAL / CONCURRENT AUDITOR'S CERTIFICATE ON INVESTMENT RISK MANAGEMENT SYSTEMS - IMPLEMENTATION STATUS

No	Annexure Ref	Audit Objective	Audit Observation	Severity of Non Compliance	Action(s) taken for Compliance	MMM/YYYY Committed by the Insurer's Board to IRDA for complying with the requirement	Proof provided (or) demonstrated by the Insurer, to the Auditor to comply with the Requirement	Remarks & Comments of Audit Committee of the Board on non-compliance of 'time frame' communicated to IRDA on implementing Systems & Processes
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A ISSUES OF PREVIOUS QUARTER(S)</b>								
<b>B ISSUES TO BE COMPLIED IN CURRENT QUARTER</b>								

CERTIFICATE

We certify that all issues, to be reported to IRDA on implementation of Investment Risk Management Systems and ProcessES, for the Quarter and pending issues of previous Quarter(s) [as committed to IRDA], and as listed in the Chartered Accountant's Certificate issued, vide Circular INC/CIR/008/2008-09 Dt. 22<sup>nd</sup> Aug, 2008, have been covered in the above table.

\_\_\_\_\_  
Chartered Accountants  
(Internal / Concurrent Auditor)

Place:

Date:

**Note:**

- No. (under Col. 1 in above table) shall be as per the Annexure(s) to the Certificate issued by the Chartered Accountant appointed to certify implementation of Investment Risk Management Systems and Process
- If all the issues have been complied with and no issues to be reported, a NIL statement should be filed

FORM - 4A

(Read with Regulation 10)

PART A

Name of the Insurer:

Registration Number:

Statement as on:

Total Investment Asset for the quarter as per FORM 3A:

EXPOSURE NORM COMPLIANCE - INVESTEE COMPANY

Rs. Crore

No	Investee Company	Whether (Equity/Debt)	Equity & Equity related		Debt + Others		Equity + Debt + Others		Deviation Amount			% of Deviation with respect to Regulation		
			Eligibility Limit as per Regulation 9*	Actual	Eligibility Limit as per Regulation 9*	Actual	Eligibility Limit as per Regulation 9*	Actual	Equity	(Debt + Others)	Equity + Debt + Others	Equity	(Debt + Others)	Equity + Debt + Others

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature:

Full name:

Chief of Finance

Note:

1. Above table shall be Complied separately for Life, Pension & General Annuity and Group Business and Individually for each Segregated Fund (SFIN) AND at Assets under Management Level
2. Only (-ve) deviations are to be reported
3. Exposure would be on the basis of Book Value for Non-unit linked funds & on Market Value for Unit linked Funds
4. Provisions of Section 27A (8) / Section 28B (9) of The Insurance Act, 1938 has been complied with.

**FORM - 4A**

**(Read with Regulation 10)**

**PART B**

**Name of the Insurer:**

**Registration Number:**

Total Investment Asset for the quarter as per FORM 3A:

Statement as on:

Rs. Crore

**EXPOSURE NORMS COMPLIANCE- PROMOTER GROUP**

No	Name of Group Company	Eligibility limit of group as per Regulation 9	Actual Investments (Cumulative)	Deviation	% of Deviation with respect to regulation
a	b	d	e	f=d-e	g

**CERTIFICATION**

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

**Signature:**

**Date:**

**Full name:**

**Chief of Finance**

**Note:**

1. Above table shall be Complied in aggregate of its total investments
2. Exposure would be on the basis of Book Value for Non-unit linked funds & on Market Value for Unit linked Funds

62 4713-80

FORM - 4A

(Read with Regulation 10)

PART C

Name of the Insurer:

Registration Number:

Statement as on:

Rs. Crore

Total Investment Asset as per FORM 3A:

EXPOSURE NORMS COMPLIANCE- GROUP

No	Name of Group Company	Eligibility limit of group as per Regulation 9	Actual Investments (Cumulative)	Deviation	% of Deviation with respect to regulation
a	b	c	d	f=c-d	g

**CERTIFICATION**

*Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.*

Date:

Signature:

Full name:

Chief of Finance

Note:

1. Above table shall be Complied separately for Life, Pension & General Annuity and Group Business and Individually for each Segregated Fund (SFIN) AND at Assets under Management Level its total investment assets
2. Exposure would be on the basis of Book Value for Non-unit linked funds & on Market Value for Unit linked Funds

**FORM - 4A**

**(Read with Regulation 10)**

**Name of the Insurer:**

**Registration Number:**

Statement as on:

**PART D**

Rs.Crore

Total Investment Asset as per FORM 3A:

**EXPOSURE TO INDUSTRY SECTOR**

No	Name of Industry Sector (as per Regulations)	Eligibility limit of industry as per Regulation 9	Actual Investments (Cumulative)	Deviation	% of Deviation with respect to regulation
a	b	c	d	e=d-c	f

**CERTIFICATION**

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature:

Full name:

Chief of Finance

**Note:**

1. Above table shall be Complied separately for Life, Pension & General Annuity and Group Business and Individually for each Segregated Fund (SFIN) AND at Assets under Management Level its total investment assets

2. Exposure would be on the basis of Book Value for Non-unit linked funds & on Market Value for Unit linked Funds

FORM - 5

(Read with Regulation 10)

Name of the Insurer:

Registration Number:

Statement as on:

Statement of Investment Reconciliation

(Business within India)

Periodicity of Submission : Quarterly

Name of the Fund: \_\_\_\_\_

Rs.Crore

No	Category of Investments	COI	Opening Balance		Purchase for the Period		Sale for the Period		Adjustments		Closing Balance			% to Total (1+2+3)
			Face Value	Book Value	Face Value	Book Value	Face Value	Book Value	Face Value	Book Value	Face Value	Book Value	Market Value	
1	Central Govt. Securities													
										Total (1)				
2	Central Govt. Sec, State Govt Sec or Other Approved Sec													
										Total [1+2]				
3	Investments subject to Exposure Norms													
	(a) Housing & Loans to State Govt for Housing / FFE													
	1. Approved Investments													
	2. Other Investments													
										Total [3(a)]				
	(b) Infrastructure Investments													
	1. Approved Investments													
	2. Other Investments													
										Total [3(b)]				
	(c) Approved Investments													
										Total [3(c)]				
	(d) Other investments													
										Total [3(d)]				
										Total [3 (a+b+c+d)]				
										Total (1+2+3)				
TOTAL														

**CERTIFICATION**

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Also, certified that all Cash Market transactions executed on the Stock Exchange are made only on Delivery basis.

Date:

Signature \_\_\_\_\_

Full Name & Designation

Chief of Finance

**NOTE:**

- Individual Categories under each of the above Major heads should be listed with Category Code
- FORM-5 shall be prepared in respect of each fund. In case of ULIP Form 5 shall be prepared at Segregated Fund (SFIN) level and also at consolidated level.
- Each sub-total of FORM-5 shall be linked to its corresponding head in PART-A of FORM-3A / FORM-3B.
- 'Other Investments' are as permitted under Sec 27A(2) and 27B(3)
- Guidelines on preparation of FORM 5 should be strictly followed.
- The '% to Total' Column, in the case of Non-Linked funds shall be computed on Book Value and in the Case of Linked Funds it shall to Market Value

6622/13-31

[ पत्र III - अनुसूची 4 ]

भारत का राष्ट्रपति : अमराधर

FORM - 5A

(Read with Regulation 10)

Name of the Insurer:

Registration Number:

Statement as on:

Name of the Fund: \_\_\_\_\_

Statement of Investment made in Mutual Funds

Rs. Crore

Periodicity of Submission : Quarterly

PARTICULARS	COI	Op. Balance		Purchase for the Qtr		Sale for the Qtr		Cl. Balance		Market Value	% to Total Inv.
		Units	Amount	Units	Amount	Units	Cost of Sale	Units	Book Value		
<b>Approved Investments</b>											
MF - Gilt / G Sec / Liquid Schemes	EGMF										
			0		0		0	Total (A)			
MF - (under Insurer's Promoter Group)	EMPG										
			0		0		0	Total (B)			
								Total (A+B)			
<b>Other Investments</b>											
MF - Debt / Income / Serial / Liquid Funds	OMGS										
			0		0		0	Total (C)			
MF - (under Insurer's Promoter Group)	DMPG										
			0		0		0	Total (D)			
								Total (C+D)			
								Total (A+B+C+D)			

**CERTIFICATION**

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature: \_\_\_\_\_

Full name:

Chief of Finance

**NOTE**

1. FORM-5A shall be prepared in respect of Life, Pension & General Annuity and Group Business and ULIP funds.
2. Each sub-total of FORM-5A shall be linked to its corresponding head in FORM-5.
3. 'Other Investments' are as permitted under Sec 27A(2) and 27B(3) of The Insurance Act, 1938
4. Guidelines on preparation of FORM 5 should be strictly followed.
5. Investments made in liquid and Gilt mutual funds in excess of norms specified in Circular: INV/CIR/DO8/2008-09 Dt. 2nd Aug, 2008 under Point:5, shall be reported under 'Other investments'
6. FORM-5A shall be prepared in respect of each fund. In case of ULIP Form 5 shall be prepared at Segregated Fund (SFIN) level and also at consolidated level.



FORM - 6

(Read with Regulation 10)

Name of the Insurer: \_\_\_\_\_

Registration Number: \_\_\_\_\_

Statement as on: \_\_\_\_\_

Certificate under Section 28(2A) / 28(2B) / 28B(3) of The Insurance Act, 1938

Periodicity of Submission : Quarterly

Name of the Fund: \_\_\_\_\_

Rs.Crore

No	Investment Particulars	Under the Custody of						Total (Rs) SH + PH
		Bank / Custody (Rs)		Self (Rs)		Others (Rs)		
		Share Holders	Policy Holders	Share Holders	Policy Holders	Share Holders	Policy Holders	
1	Central Govt. Security							
2	Central Govt Securities, State Govt Securities or Other Approved Securities							
3	Investment subject to Exposure Norms							
	a. Housing & Loans to State Govt. for Housing & FFE							
	1. Approved Investments							
	2. Other Investments							
	b. Infrastructure Investments							
	1. Approved Investments							
	2. Other Investments							
	c. Approved Investments							
	d. Other Investments							
	<b>TOTAL</b>							

**CERTIFICATE**

We certify that the above mentioned securities are held free of any encumbrance, charge, hypothecation, or lien as on the above date.

Signature: \_\_\_\_\_

Full name: \_\_\_\_\_

Chairman \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Full name: \_\_\_\_\_

Director 1 \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Full name: \_\_\_\_\_

Director 2 \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Full name: \_\_\_\_\_

Principal Officer \_\_\_\_\_

**Note:**

1. Custodian should certify that he is not disqualified under SEBI (Custodian of securities) Regulations, 1996 as amended from time to time.
2. Value of the Securities shall be as per Guidelines
3. In the case of Life Insurance Business, FORM-6 shall be prepared in respect of each fund and in aggregate for Segregated Funds
4. The values under certificate should be adjusted for Purchase / Sale of investments purchased and awaiting settlement.

A reconciliation to this effect should be attached to the Certificate.

[ भाग III - अनुसूची 4 ]

भारत का राक्षस : अनामिका

**FORM 7**

(Read with Regulation 10)

Name of the Insurer: \_\_\_\_\_

Registration No: \_\_\_\_\_

Name of Fund: \_\_\_\_\_

Rs.Crore

**DETAILS OF NON-PERFORMING ASSETS - QUARTERLY**

NO	PARTICULARS	Bonds / Debentures		Loans		Other Debt instruments		TOTAL	
		YTD ( As on date)	Prev. FY ( As on 31 Mar .....)	YTD ( As on date)	Prev. FY ( As on 31 Mar .....)	YTD ( As on date)	Prev. FY ( As on 31 Mar .....)	YTD ( As on date)	Prev. FY ( As on 31 Mar .....)
1	Investments Assets (As per Form 3A / 3B - Total Fund)								
2	Gross NPA								
3	% of Gross NPA on Investment Assets (2/1)								
4	Provision made on NPA								
5	Provision as a % of NPA (4/2)								
6	Provision on Standard Assets								
7	Net Investment Assets (1-4)								
8	Net NPA (2-4)								
9	% of Net NPA to Net Investment Assets (8/7)								
10	Write off made during the period								

**Certification**

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge. Also certified that the various investments made and covered in the return are **within** the exhaustive categories provided in Investment Guidelines as amended from time to time.

Signature: \_\_\_\_\_

Full name: \_\_\_\_\_

Chief of Finance

**Note:**

1. The above statement, in the case of 'Life' Insurers shall be prepared 'fund-wise' Viz. Life Fund, Pension & General Annuity and Group Business and ULIP Fund
2. Investment Assets should reconcile with figures shown in Schedule 8, 8A, 8B & 9 of the Balance Sheet
3. Gross NPA is investments classified as NPA, before any provisions
4. Provision made on the 'Standard Assets' shall be as per Circular: 32/2/F&A/Circulars/ 169/Jan/2006-07 as amended from time to time.
5. Net Investment assets is net of 'provisions'
6. Net NPA is gross NPAs less provisions
7. Write off as approved by the Board